खण्ड-377, अंक-5
सोमवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1908
(24 मार्च, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 377 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	3--4
प्रश्नोत्तर	5--56
व्यवस्था के प्रश्न	56--57
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	57
उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 के तहत राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने सम्बन्धी मुख्यमंत्री के आश्वासन का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	57--70
86-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या 23—खेल विभाग, अनुदान संख्या 85—सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 54—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 55—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या 56—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 57—वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 58—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या 59—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या 60—विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या 61—विधान सभा सचिवालय तथा अनुदान संख्या 62—विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) (स्वीकृत)	70--73
उत्तार प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 (पारित) ..	74--86
नत्थियां	87--88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 02 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	प्रमीला बद्धवार मेहरा,	
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	श्रीमती	बदायूं
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	फागू चौहान, श्री	आजमगढ़
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर	बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	बालेश्वर, श्री	देवरिया
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
उदयवीर सिंह राठौर, श्री	एटा	बैजनाथ, श्री	देवरिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	भगवती प्रसाद, चौधरी,	मिर्जापुर
केशरी सिंह, कर्नल	बस्ती	भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
खुरशेद अहमद, श्री	बहराइच	मुस्तामन्द अली खां, श्री	मथुरा
गेन्दा देवी, श्रीमती	बस्ती	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	मोहम्मद आकिल, श्री	मुरादाबाद
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	(उर्फ मुन्ना मियां)	
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	मोहम्मद उमर, डा0	गोण्डा
जय राम वर्मा, श्री	फैजाबाद	मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़	रघुधीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बाराबंकी	रजनी कान्त दत्त, डा0	वाराणसी
नत्थू लाल विकल, श्री	बरेली	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली	राजपती देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
नरेन्द्र सिंह कुंवर	सहारनपुर	राजा मोहम्मद अमीर	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	मोहम्मद खां, श्री	
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
नानक चन्द्र, श्री	मेरठ	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर		

राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू श्री	गोरखपुर
राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू)	शाहजहांपुर	सखावता हुसैन, श्री	मुरादाबाद
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
राम लाल, श्री	सीतापुर	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
रिछपाल सिंह बंसल, श्री	मेरट	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
लालता प्रसाद निषाद, चौधरी	गाजीपु	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिय	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा	हरदेव, श्री	बलिया
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
शशि शर्मा, श्रीमती	देवरिया	हरिशंकर तिवारी, "बिल-	
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली	ग्रामी", श्री	हरदोइ
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली		

नोट—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री ।

प्रदेश में ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने हेतु योजना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

**1—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांवों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन वर्ष पूर्व गठित उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा अपनी स्थापना से अब तक प्रदेश में ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना कार्यान्वित की गयी है ? यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या है ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

जी, हां,

संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।
(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 87 पर) ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मा0 मंत्री द्वारा दिए गये संक्षिप्त उत्तर को मैंने गौर से पढ़ा, परन्तु मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न कृपया देखने का कष्ट करें । जिसमें मैंने प्रश्न पूछा है कि तीन वर्ष पहले गठित उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा अपनी स्थापना से अब तक प्रदेश में ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना कार्यान्वित की गयी है । मैंने अपने प्रश्न में कार्यान्वयन पर जोर दिया है और उन्होंने जो उत्तर दिया है कि हम गरीबों के लिए कर्जा ले रहे हैं, उनको इतना दे रहे हैं और यह खर्च कर रहे हैं । मान्यवर, मेरा बिल्कुल साफ प्रश्न है कि ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा किसी योजना का क्रियान्वयन किया गया है, यदि हां, तो वह क्या है और वह अब किस स्थिति में है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जवाब मेरा साफ है कि ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा योजना बनाई गयी है, लेकिन अभी हमने इस योजना का क्रियान्वयन नहीं किया है । वैसे इस योजना के तहत हमने काम शुरू कर दिया है । जो लोग गरीबी की सीमा से नीचे का जीवन जी रहे हैं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके लिए भवनों का निर्माण हो रहा है और यह काम उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा हो रहा है । ग्रामीण आवास परिषद् ही इस कार्य को करा रहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि ग्रामीण विकास परिषद् द्वारा जो योजना बनाई गयी है और जो हरिजनों को 6 प्लाट आवंटित किये गये हैं, उन पर मकानों के बनाने का काम क्या परिषद् द्वारा किया जा रहा है या उन्हीं हरिजनों द्वारा सारा सामान खरीदकर आता है और वही हरिजन उन मकानों का निर्माण अपनी देख-रेख में करवा रहे हैं सिर्फ उन्हें इसके लिए कुछ पैसा दे दिया जाता है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि क्या उन मकानों के निर्माण की व्यवस्था उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा ही सुचारुरूप से करवाने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय वर्मा जी सही कह रहे हैं जो 6000 के मकान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए ग्रामीण अंचलों में बनाये जा रहे हैं उसमें हमने यह निर्देश दिया है कि यह रुपया सीधे लाभार्थी को मिले और तकनीकी सहायता के लिए जूनियर इन्जीनियर इसे देखें, जो ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा विकास खण्डों में तैनात है और मण्डल स्तर पर उप विकास आयुक्त इसे देख रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

इस परिषद् का उद्देश्य जहां तक देखा गया है केवल चन्द अधिकारियों का भरण-पोषण करना है। अब तक इस परिषद् में कुल कितना खर्च हुआ ? जहां तक टेक्निकल जानकारी दिलाने का सवाल है ऐसी किसी प्रकार की गाइडेन्स किसी अधिकारी या कर्मचारी को यह परिषद् नहीं दे रही है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, यह टोटल खर्चे का प्रश्न है, इसकी सूचना की आवश्यकता होगी लेकिन हमने पहले ही बताया कि ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा इस निर्बल वर्ग के लिए योजना तैयार की गयी है। जिसमें 9000 रु0 की लागत के अन्दर मकान बनाने के लिए हडको से अनुदान ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। अभी हडको ने 3000 रु0 तक का ऋण उपलब्ध कराना स्वीकार कर लिया है। अब इसको कार्य रूप में बदलने के लिए हम आगे विचार कर रहे हैं।

श्री राम चन्द्र दख्श सिंह—

जो हाउसिंग बोर्ड शहरों में है उसी उद्देश्य से यह देहातों में बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तीन वर्षों में कुल कितना खर्च हुआ, इसमें स्टाफ कितना है ? अधिकारी तथा कर्मचारी कुल कितने हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, कितना खर्चा हुआ ? यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। माननीय सदस्य, अलग से पूछ लें हम उसका जवाब दे देंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, ग्रामीण आवास परिषद् से संबंधित विधेयक 4-5 वर्ष पूर्व लाया गया था और उसके बाद 3 साल पहले प्रश्न हुआ तो उत्तर दिया गया कि नियमावली बनाने पर विचार कर रहे हैं, फिर नियमावली बनाने में 2-3 साल लगेगा। अब बता रहे हैं कि परिषद् के ऋण विनियमों का हिन्दी रूपान्तर कराया जा रहा है। हिन्दी रूपान्तर हो जाने के बाद उसे गजट में प्रकाशित किया जायेगा तदोपरान्त ऋण के प्रार्थना-पत्र विकास खण्डों के माध्यम से एकत्र किये जायेंगे और ऋण की स्वीकृति के बाद उसके वितरण की व्यवस्था की जायेगी। श्रीमन्, जो ऋण के बारे में नियम हैं, उनका अभी हिन्दी रूपान्तर नहीं करा पाये। क्या यह बात सही नहीं है कि जिस दिन यह विधेयक माननीय सदन में पास हुआ था ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह सही तरीके से सड़कों के रास्ते छोड़कर, सीवर लाइन छोड़कर हर चीज सही तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में भी किया जाय ?

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इस विधेयक को 4-5 साल पास हुए हो गया लेकिन अब तक कोई आवास काम्पलेक्स इलेक्ट्रिक में कहीं भी स्थापित करने में यह परिषद् असफल रही है ? क्या इसका मुख्य कारण यह है कि कम ब्याज पर हडको द्वारा धनराशि दी जाती है, उसको शहरों को दिया जा रहा है और गांवों में नहीं दिया जा रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

शहरी क्षेत्रों के लिए आवास विकास परिषद् बना है और ग्रामीण आवास परिषद् जो ग्रामीण अंचल के लिये बनाया गया है. । दोनों में भिन्नता है । इस परिषद् के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनको सुविधा उपलब्ध करायी जायगी । इस दृष्टिकोण से परिषद् का गठन किया गया है । जो मध्यम श्रेणी के आय वाले लोग 33 हजार 500 तक की लागत का मकान बनाना चाहते हैं, उनको 60 प्रतिशत अथवा 25 हजार रुपया जो कम हो, का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा । जो ऋण दिया जायेगा वह सस्ती ब्याज दर पर होगा । अल्प आय वाले 24 हजार 500 की लागत का हो मकान बनायेंगे उनको 70 प्रतिशत या 18 हजार रुपया जो कम हो, ऋण के रूप में उपलब्ध करायेंगे । निर्बल वर्ग के जो लोग हैं, यदि वे 9 हजार की लागत का मकान बनाना चाहते हैं, उसके लिये हड़को तीन हजार रुपया देने के लिए तैयार है. इसकी वसूली 11 वर्षों में होगी । 6 प्रतिशत ब्याज इस पर लगेगा । जो ग्रामीण अंचलों में मकान बनाना चाहते हैं, उनको इस परिषद् द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, योजना बनाने में सहायता दी जायेगी और तकनीकी सलाह दी जायेगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1965 में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का गठन किया गया था, उसके क्षेत्राधिकार में गांव भी थे, इस अधिनियम के बनने के बाद क्या सरकार उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधिनियम 1965 में से गांव को वापस ले लिया गया है या दोनों अधिनियम काम करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इसकी सूचना नहीं है । आवास विकास परिषद् से वापस लिया गया या नहीं इसकी जानकारी नहीं है । सूचना सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पिछले तीन वर्षों में जब यह 82-83 में बना तो मूल बजट में 13 लाख रुपया लिया गया था, उसको सरेन्डर किया गया । उसके बाद अनुपूरक बजट में फिर पैसा लिया गया । सरकार अनिश्चय में थी कि करें या न करें । मैंने यह पूछा था कि क्या किसी योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हुआ है ? मंत्री जी ने बताया कि आवास बना रहे हैं । आवास तो आर0 ई0 एस0, पी0 डब्लू0 डी0 और हरिजन वित्त विकास निगम बनाता है । तीन वर्षों में हमारा अनुमान है कि पौने 2 करोड़ रुपया अधिष्ठान पर खर्च हो चुका है । अभी तक किसी जगह कोई योजना क्रियान्वित नहीं हुई है । मुझे यह भी जानकारी है कि हडकों ने रुपया दिया था उस पैसे का भी उपयोग परिषद् ने नहीं किया । तो मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि जो योजनाएं बनी है, किसी योजना का क्रियान्वयन कब तक प्रारम्भ होगा ? यदि सरकार का यह निश्चय हो कि काम नहीं करना है, तो क्या इस परिषद् को भंग करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय गुप्त जी का जो विचार है, उसको मैंने स्वयं कहा है कि कई योजनायें बनाई गयी हैं । जो योजनायें बनाई गयी हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि उन योजनाओं को चालू कर दें । हम जो 20—22 मकान हर विकास खण्ड में बना रहे हैं और आर0 एल0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत, वह ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा कर रहे

है । लेकिन जो मूल प्रश्न है कि जिस उद्देश्य से यह परिषद् बनाया गया, उसमें से किसी योजना का कार्यान्वयन किया गया या नहीं । मैंने कह दिया है कि अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ । मैं गलतबयानी नहीं करता । हम कार्यक्रम बना रहे हैं तथा जो योजनाएं बनाई गई हैं, इनका कार्यान्वयन शीघ्रता से करायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या केन्द्रीय सरकार की हडको स्कीम के अन्तर्गत इस परिषद् को रुपया मिला था ? यदि हां, तो क्या उसका उपयोग हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों, यह मैं जानना चाहता हूं कि कितना रुपया मिला ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, अभी हडको से बात हुई है कि 3 हजार रुपया कर्ज के रूप में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उपलब्ध कराया जायगा ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, इस ग्रामीण आवास परिषद् के बारे में जो माननीय सदस्य बरार जी ने चिन्ता व्यक्त की है, यह सही है कि विधेयक लाते समय यह भावना व्यक्त की गयी थी कि गांवों में भी शहरों की तरह लोगों को मकान बनवाकर वितरित करेंगे । अब मंत्री जी इससे हटकर कह रहे हैं कि लोन दिया जायगा । तो लोन देते समय लोग रकमें खा लेते हैं, अधिकारी लोग मिल करके खा लेते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा क्या इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि आज तक जो ऋण दिया जा रहा है 2-3 हजार रुपया हरिजनों और निर्बल वर्ग के लोगों के लिये, उनको लोन न देकर इस ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा आवास बनाकर देने की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह जो अलग-अलग पैसा दिया जा रहा है मकान बनाने के लिये, इस ओर जो माननीय सदस्य का सुझाव है, उस पार विचार करेंगे ?

जनपद फर्रुखाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य संचालन हेतु डिवीजनल कार्यालय

**2—श्री सन्तोष चतुर्वेदी, एडवोकेट (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य संचालन हेतु 4 डिवीजन कार्यालय हैं जिनमें प्रत्येक में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर स्तर के अधिकारी तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या इन कार्यालयों का कार्यक्षेत्र तहसीलवार है और क्या ये सभी तहसीलवार डिवीजनल कार्यालय जनपद मुख्यालय पर स्थित है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन इन डिवीजनल कार्यालयों को शासन के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के अन्तर्गत संबंधित तहसील मुख्यालय पर ही स्थापित करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी हां ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अभी तक खण्डों की स्थापना कार्यभार के आधार पर की जाती रही है तहसीलवार नहीं की जाती है । इस प्रकार अब तक जनपद फर्रुखाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 4 खण्ड हैं जिनके कार्यालय जनपद के मुख्यालय फतेहगढ़ में हैं जिनमें से एक पूरे जानपद के भवन कार्यों के लिये है ।

अब अगले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर मार्ग के कार्य के लिये एक खण्ड या उप-खण्ड जैसा आवश्यक एवं संभव हो, स्थापित करने के लिये शासनादेश जारी किये जा चुके हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आर0 एम0 कार्यालय, मुरादाबाद में अग्नि काण्ड से क्षतिग्रस्त पत्रावलियां

*1—श्री मुहम्मद आजम खां (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 13-1-86 सायं 6 बजे आर0 एम0 कार्यालय, मुरादाबाद में अग्निकाण्ड से कुछ अति आवश्यक और बहुत सी महत्वपूर्ण फाइलें जला दी गईं ? यह फाइलें किस विषय से संबंधित थीं, इनके जलने का क्या कारण था तथा कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये और उनको क्या सजा मिली ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)—

मुरादाबाद के क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय के एक कमरे में दिनांक 11-1-1986 को सायंकाल लगभग 6.00 बजे आग लगी थी । कमरे में क्षतिग्रस्त पत्रावलियां अनुबन्धित बसों से संबंधित थी । घटना की जांच पुलिस एवं परिवहन निगम के सतर्कता सेल द्वारा की जा रही है । अनुबन्धित बसों से संबंधित कार्यालय के लिपिक को उस दिन द्वितीय शनिवार के अवकाश होते हुए, बिना अनुमति के कार्यालय में प्रवेश करने इत्यादि के आरोप में निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को चयन वेतनमान दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार

*2—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को भी अन्य शासकीय सेवाओं की भांति 10 वर्ष में चयन वेतनमान तथा 16 वर्ष में पदोन्नति वेतनमान दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 7 जनवरी, 1986 को प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों ने इस विधान सभा के सामने घेराव किया। क्या उनके प्रतिनिधियों ने मा0 मुख्य मंत्री जी को और आपके वरिष्ठ शिक्षा मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था जिसमें यह मांग की गयी थी कि 10 वर्ष पर चयन वेतनमान और 16 वर्ष पर पदोन्नति वेतनमान दिया जाय । उस समय सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि एक महीने के अन्दर इस सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इसे लागू करने पर विचार करेंगे ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस तिथि को सरकार को ज्ञापन मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की और इस प्रकार का आश्वासन दिया गया या नहीं ? और किन कारणों से अन्य शासकीय विभागों की तरह उन्हें 10 वर्ष पर चयन वेतनमान और 16 वर्ष पर पदोन्नति

वेतनमान न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, जहां तक आश्वासन का सवाल है, इस विषय में आश्वासन नहीं था । इस मांग को पहले स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री हरीशचन्द्र, हरीश जी—

क्या इस समय इस पर विचार करने की कृपा करेंगे क्योंकि इनकी भी सेवायें अन्य अध्यापकों के समान ही है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

इस सिलसिले में किसी भी अध्यापक वर्ग के लोगों को 10 वर्ष के अन्दर चयन वेतनमान की सुविधा नहीं है, 16 वर्ष की है । इसलिए इस पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ज्ञापन अध्यापकों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिया गया था उसमें कौन-कौन सी मांगे हैं तथा कौन-कौन सी मांगे स्वीकार की गयी हैं ? इस प्रश्न से संबंधित ही यह सवाल है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह सवाल इस प्रश्न से संबंधित नहीं है । इसलिए इसका विवरण यहां पर उपलब्ध नहीं है ।

शिक्षक और छात्र के अनुपात में प्राइमरी शिक्षकों की कमी दूर करने पर विचार

*3—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार छात्र, शिक्षक, अनुपात के अनुरूप प्राइमरी शिक्षकों की कमी को दूर करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां ।

निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर के प्रथम भाग में कहा है कि 'जी हां', दूसरे भाग में कहा है 'निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।' अब किसे सही माना जाय । मान्यवर, संविधान में ऐसी व्यवस्था थी कि वर्ष 1960 तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क कर दी जायेगी । दुख की बात है कि आज 1986 है फिर भी यह शिक्षा न अनिवार्य हो पायी और न बहुत सी चीजें लागू हो पायीं । अब ऐसी व्यवस्था की गयी है कि 1990 तक ऐसी व्यवस्था की जायेगी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि शिक्षक और छात्र के अनुपात की दृष्टि से आज प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक शिक्षकों की आवश्यकता है और वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनके अनुसार निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, इस समय कुल अध्यापकों की आवश्यकता है 2,99,332 और इस समय कार्यरत है 2,45,629 ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मैं यह जानना चाहता हूं कि 1985 तक प्राइमरी शिक्षण के लिये कितने ट्रेंड अध्यापक अब तक उपलब्ध हैं ? मंत्री जी ने जो कमी बतायी है उस कमी को दूर करने के लिये 1986 में आप इनमें से कितने लोगों को भर्ती करने जा रहे हैं?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

कितने ट्रेंड लोग उपलब्ध हैं, इसकी सूची इस समय नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि शिक्षक और छात्र के अनुपात के संबंध में शासन की नीति क्या है ? जो वर्तमान में स्थिति है, कार्यरत है, उसका अनुपात क्या है ? इसके अतिरिक्त जो कमी है, उसको कब तक पूरा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, 1/40 का अनुपात है । यानि एक अध्यापक पर 40 छात्र रहने चाहिये । जहां 40 छात्र से अधिक हैं और जो अधिकता है वह 20 से अधिक है, तो एक अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने की व्यवस्था है । जो आवश्यकता की बात बतायी उसमें स्थिति यह है कि 51 हजार 92 अध्यापक चाहिये । लेकिन, चूंकि संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में फिलहाल व्यवस्था करना संभव नहीं है । धीरे-धीरे प्रयास करके इस कमी को दूर किया जा रहा है ।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अध्यापकों की कमी और बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड बेरोजगार नौजवानों की अधिकता को देखते हुए कब तक उन स्थानों को वह भर देंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, रिटायरमेंट से ज्यों-ज्यों स्थान रिक्त होते जा रहे हैं, हम उन जगहों पर नये लोगों को भरती करते जा रहे हैं । हम प्रयास कर रहे हैं कि इस कमी को हम पूरा करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, प्रदेश में बेरोजगारों की भयंकर समस्या है और ट्रेन्ड अध्यापकों की बहुत बड़ी संख्या इस प्रदेश में है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ट्रेन्ड बी0 टी0 सी0 अध्यापकों की नियुक्ति कब से नहीं की गई है और जो यह शिक्षक और छात्र का अनुपात है इसे क्या तत्काल पूरा करने के लिए शासन के पास कोई मामला विचाराधीन है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, इस समय जो नियुक्ति हो रही है वह ट्रेन्ड बी0 टी0 सी0 लोगों की ही हो रही है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, 1974 से लेकर आज तक बी0 टी0 सी0 के लोग घर बैठे हुए हैं और जो अधिकतम सीमा नियुक्ति हेतु है, उसे वह पार करने जा रहे हैं । अध्यापकों की आवश्यकता भी आपको है । तो क्या माननीय मंत्री जी, ऐसे अध्यापकों को, जो आयु सीमा से बाहर होने जा रहे हैं, उनकी छटनी करके उन्हें समायोजित करने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, 45 वर्ष तक की उम्र के जितने लोग हो गये हैं, उन्हें सेवा में लिये जाने हेतु पहले ही सामान्य आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 45 वर्ष तक की उम्र वालों की सेवा में लिये जाने हेतु आदेश हो चुके हैं । लेकिन मान्यवर, मेरी जानकारी इससे भिन्न है । जो ओवर-एज हो चुके हैं उन्हें उप निदेशक, सचिव तथा शासन स्तर तक आना पड़ता है । जिसमें उन्हें 1-1 साल लग जाता है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनरल आदेश कर दिये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 45 वर्ष तक के लिए जो आपने सामान्य आदेश किये हैं वह कब से जारी किये हैं और क्या उन आदेशों में इस तरह की व्यवस्था है कि अब उनको शासन से अनुमति नहीं लेनी

पड़ेगी ? बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या अब स्वयं उनको एक्जम्पट कर देगा ? दूसरा आपने कहा कि 50 हजार अध्यापकों की कमी है । प्रतिवर्ष बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है । इसमें क्या कोई सन्तुलन बनाने के लिए शासन के पास कोई योजना है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर जैसा कि माननीय सदस्य ने चाहा है कि उन्हें लखनऊ न आना पड़े, इसी तरह के आदेश दिये जा चुके हैं । 45 वर्ष तक के लोगों को सेवा का अवसर दिया जाय । जहां तक बेकार बी0 टी0 सी0 लोगों को रोजगार देने का सवाल है उसमें करीब 5 हजार प्रति वर्ष सेवा का अवसर प्रदेश में दिया जाता है, जिसमें करीब-करीब 2 हजार के लगभग नये आ जाते हैं ट्रेन्ड लोग । इस तरह से पूरा प्रयास है कि ट्रेन्ड लोगों को सेवा का अवसर दिया जाय, जैसे-जैसे हमारे पास संसाधन होते जाते हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मोहन लाल शाह बालिका विद्या मंदिर, नैनीताल को इण्टर स्तर तक की मान्यता तथा अध्यापिकाओं को अनुमोदित वेतनमान

*1—श्री नरेश चन्द्र (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन लाल शाह बालिका विद्या मंदिर, नैनीताल जिसे शासन ने 2 वर्ष पूर्व अनुदान सूची में लिया था तथा जिसे अब इण्टर स्तर की मान्यता भी प्रदान की जा चुकी है, के हाई स्कूल तथा इण्टर स्तर की अध्यापिकाओं को शासन द्वारा अनुमोदित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? हाई स्कूल स्तर पर अनुदान सूची में लिए जाने तथा इण्टर स्तर की मान्यता दिये जाने के पश्चात् अभी तक इस विद्यालय की अध्यापिकाओं के वेतनादि व्यय के लिए शासन द्वारा कुल कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है, विद्यालय को कुल कितना प्राप्त हुआ है तथा वेतनादि के रूप में अध्यापिकाओं को कुल कितना भुगतान किया गया है ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं की गयी हैं और न ही मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका का अनुमोदन प्राप्त किया गया है ।

वर्ष 1983-84 में	42,000	रु0
तथा		
वर्ष 1984-85	1,35,000	रु0
कुल	1,77,000	रु0

का अनुदान दिया गया है ।

विद्यालय को 1,77,000 रु0 प्राप्त हुआ तथा संयुक्त खाते में जमा है । वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत नियमित नियुक्त शिक्षण कर्मचारियों को ही वेतन भुगतान करने का प्राविधान है। अतएव अनियमित नियुक्त अध्यापिकाओं को भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

[सोमवार, दिनांक 24 मार्च हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[दिनांक 17-2-86 को अता0 प्र0 सं0 84 द्वारा उत्तरित]

आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर की प्रभूत सम्पत्ति से होने वाली आय को विद्यालय के खाते में जमा न किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

*2—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर

जनपद शाहजहांपुर की प्राभूत सम्पत्ति में 10 दूकानें व चार मकान हैं जिसमें से 3 मकान व एक दुकान को प्रबन्धक ने बिना प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के 99 साल के पट्टे पर दे दिया है ? क्या यह भी सही है कि प्राभूत सम्पत्ति से होने वाली आय को विद्यालय के खाते में जमा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन इस अवैधानिक कार्य के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही, प्रबंधक के विरुद्ध करने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

विद्यालय के प्रबंधतंत्र के विरुद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से दो बातें पूंछी थीं । पहला यह था कि प्राभूत सम्पत्ति में 10 दुकानें व 4 मकान हैं, जिसमें से 3 मकान व 1 दुकान प्रबंधक ने बिना प्रबन्ध समिति की अनुमति के पट्टे पर दे दिया और जो धन अर्जित किया उसे भी विद्यालय के खाते में न डालकर अपने खाते में जमा कर लिया है । ये दोनों ही तथ्य ऐसे हैं जो 16-डी की कार्यवाही करने के लिये काफी हैं । साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने के लिये जो तथ्य हैं उनके अनुसार 16-डी के क्लाज-3 में जो सब-क्लाजेज दिए गये हैं, उनके तहत इन्होंने इम्मूवेबिल प्रापर्टी का गलत स्थानांतरण किया है । जिसे कि आपने अपने उत्तर में स्वीकार भी किया है । क्या आपने साधिकार नियंत्रक नियुक्त करने के लिये संस्तुति की है ?

डाक्टर संजय सिंह—

जहां तक आपका पहला सवाल है कि जो पैसा है, उसको निजी खाते में जमा करके दुरुपयोग किया गया है, यह सूचना गलत है । सिर्फ मैनेजमेन्ट के खिलाफ वही चार्ज सही हुआ है कि जमीन को बेचा है, बिना प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के बेचा है । इसलिये 16-घ की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मेरा प्रश्न था कि —"क्या यह भी सही है कि प्राभूत सम्पत्ति से होने वाली आय को विद्यालय के खाते में जमा नहीं किया जा रहा है ?" आपने कह दिया—"जी हां ।" । मेरा कहना यह है कि इसमें तो आपने "जी हां" कहा है, लेकिन इससे पहले जो स्वीकार किया है कि इसको पट्टे पर दिया गया है और 16-डी के क्लाज-3 और सब-क्लाज (5) और (6) में दिया गया है कि इम्मूवेबिल प्रापर्टी के लिये कोई भी प्रबन्ध समिति अगर दुरुपयोग करती है तो उसके ऊपर साधिकार नियंत्रक के लिये संस्तुति करेंगे क्लाज-4 के अंतर्गत । जब यह बात पूरी हो रही है कि उन्होंने उस सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है, फिर साधिकार नियंत्रक नियुक्त न करने का क्या कारण है ?

डाक्टर संजय सिंह—

माननीय सत्यपाल जी ने सवाल किया है कि —"क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर की प्राभूत सम्पत्ति में 10 दुकानें व 4 मकान हैं, जिसमें से 3 मकान व एक दूकान को प्रबन्धक ने बिना प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के 99 साल के पट्टे पर दे दिया है ?" मैंने उत्तर दिया है—"जी हां" । फिर आपने पूछा है कि—"क्या यह भी सही है कि प्राभूत सम्पत्ति से होने वाली आय को विद्यालय के खाते में

जमा नहीं किया जा रहा है ?'' मैंने उत्तर दिया है—''जी हां'', लेकिन इसको जमा न करने के बाद भी उन्होंने विद्यालय की चहारदीवारी बनवाई है और भी कुछ काम किया है । इसके बाद आपने प्रश्न किया है कि—''यदि हां, तो क्या शासन इस अवैधानिक कार्य के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही प्रबंधक के विरुद्ध करने पर विचार कर रहा है ?'' मैंने जवाब दिया है कि—''विद्यालय के प्रबंधतन्त्र के विरुद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।'' यह कार्यवाही इसीलिये हो रही है कि बिना प्रबन्ध समिति के पूछे खर्चा किया है ।

श्री मैनेजर सिंह—

प्रबन्ध तंत्र ने कोई प्रस्ताव जमीन के हस्तांतरण का नहीं किया था तो फिर प्रबन्धतंत्र कहां दोषी है ? प्रबन्धक ने गलत काम किया है, फिर प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही न करके प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने का क्या औचित्य है ?

डाक्टर संजय सिंह—

प्रबन्ध तंत्र का मतलब ही प्रबन्धक से है ।

श्री मैनेजर सिंह—

प्रबन्धक के जो एजेन्ट हैं उसके कहां अधिकार है ? प्रबन्ध समिति कैसे दोषी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सत्यपाल सिंह—

मंत्री जी ने बताया है कि शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । इसमें होता यह है कि पहले नोटिस दी जाती है उसके बाद 16-घ की कार्यवाही की जाती है । तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह 16-घ की कार्यवाही किस स्टेज पर है ?

डाक्टर संजय सिंह—

वहां 17-7-85 से 23-8-85 तक आडिट हुआ उसके बाद जिला मण्डल बरेली ने अपर शिक्षा निदेशक को इसे 11-2-86 को भेजा है और इस पर परीक्षण चल रहा है ।

जूनियर हाई स्कूलों में सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु योजना

*3—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि अशासकीय जू0 हा0 स्कूलों में संवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो वह क्या है और अब तक क्यों नहीं लागू हुई ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां ।

शासनादेश सं0 2186/15-(13)-1499(8)-77, दिनांक 20 जुलाई, 1979 के द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी जू0 हा0 स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था की गयी :

(1) 30 जून, 1978 को जिन अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की सेवा 10 वर्ष या दस वर्ष से ऊपर हो चुकी है उन्हें बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से छूट दे दी जाय ।

(2) उक्त निर्धारित तिथि पर जिन अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की सेवा 5 वर्ष या पांच वर्ष से ऊपर परन्तु 10 वर्ष से कम है उनके लिये कार्यरत अध्यापक प्रमाण-पत्र परीक्षा की व्यवस्था की जाय । परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को

बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण से छूट दे दी जाय । इस परीक्षा म कक्षा 8 के स्तर की हिन्दी, गणित, सोशल स्टडीज एवं विज्ञान के चार प्रश्न-पत्र होंगे तथा कक्षा शिक्षण प्रायोगिक परीक्षा ली जाय । प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से 15 रु0 परीक्षा शुल्क लिया जाय ।

(3) 30 जून, 1978 को जिन अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की सेवा 5 वर्ष से कम हो उनके लिये पत्रधारित प्रणाली द्वारा दो वर्ष की प्रशिक्षण दिया जाय जिसके लिये प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से 100 रु0 (50-रु0 प्रति वर्ष की दर से) प्रशिक्षण शुल्क लिया जाय और सफल प्रशिक्षार्थियों को बी0टी0सी0 प्रमाण-पत्र दे दिया जाय ।

योजना पूर्ण रूप से लागू की गई ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे स्पष्ट है कि जो राजाज्ञा दी गयी उसके द्वारा 30 जून, 1978 तक के मान्यताप्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं पर यह लागू है । लेकिन 30 जून, 1978 के बाद जिन स्कूलों को मान्यता प्राप्त हुई है, उनकी संख्या क्या है ? वहां के अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी योजना है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

इसकी सूची के लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मंत्री जी को सूची की जानकारी नहीं है, लेकिन उनसे मैं यह जानना चाहता हूं कि 30 जून, 1978 के बाद बड़ी संख्या में स्कूलों को मान्यता दी गयी जिनकी संख्या बहुत अधिक है और वहां पर अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की भी संख्या अत्यधिक है, तो क्या उनके प्रशिक्षित कराने की कोई योजना शासन की है ? यदि हां तो मंत्री कह दें कि कोई योजना है और यदि नहीं है तो फिर मंत्री जी कह दें कि कोई योजना नहीं है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मैंने बताया कि 30 जून, 1978 को यह नियम लागू हुआ, उस समय तक जितने अध्यापक/अध्यापिकायें अप्रशिक्षित थीं, उनको बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग देने के लिए दो माध्यमों से व्यवस्था की गयी थी । उसके बाद से बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड लोग मिल रहे हैं और उनकी नियुक्ति की जा रही है । उसके बाद के लोगों के लिए अभी तक कोई नियम नहीं बना है । लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि उस समय जो सेवा में थे उनका प्रशिक्षण पत्राचार के द्वारा कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रमाण-पत्र के द्वारा उनको अवसर देकर उनको भी ट्रेन्ड कर लिया जाय ।

जनपद बरेली के विकास क्षेत्र मझगवां में पुलिया का निर्माण

*4—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बरेली के विकास क्षेत्र मझगवां के ग्राम सभा बरा सिरसा में रुपया 76000 की लागत की पुलिया का निर्माण बिना किसी अभियन्ता की स्वीकृत के क्षेत्र विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान ने स्वयं देख-रेख में किया है और इतने बड़े धन का दरुपयोग किया है ? क्या इसकी जांच किसी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ता से करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद बरेली के विकास क्षेत्र मझगवां के ग्राम सभा बरा सिरसा में 76,666 रुपये की लागत से जिला ग्राम्य

विकास अभिकरण की स्वीकृति से पानी के बहाव व तालाब के दोनों ओर दोवारें, मिट्टी का कार्य, खड़ंजा तथा पुलिया के नीर्माण सम्बन्धी आगणन अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा किया गया था, जिनको शासनादेश संख्या 8629/38-1-84, दिनांक 6-9-84 के द्वारा ग्राम सभाओं द्वारा किये गाये प्रस्तावित कार्यों के लिए अधिकृत किया गया था । इस प्रकार स्वीकृत योजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय करके सन्तोषजनक कार्य हुआ । जिसमें धन के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई प्रतीत होती । एसी स्थिति में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ता से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका इस्टीमेट अवर अभियन्ता से बनवाया गया और यह पुलिया नहीं बनी और प्रधान तथा ब्लाक के अधिकारियों की देख-रेख में बनायी गयी, तो क्या आप किसी दूसरे विभाग के अभियन्ता से जांच करायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं टी0 ए0 सी0 से जांच करा लूंगा ।

जनपद गाजियाबाद में नये कालेज तथा महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव

*5—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद को जिला बने लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं तथा दिल्ली के निकट होने के कारण गाजियाबाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है ? क्या यह सत्य है कि जितने कालेज तथा महाविद्यालय जिला बनने से पहले चल रहे थे आज भी उतने ही हैं ? यदि हां, तो शासन के समक्ष गाजियाबाद में नए कालेज तथा महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद बनने के बाद हाईस्कूल, इण्टर कालेज तथा महाविद्यालय की संख्या में कुल 15 की वृद्धि हुई है ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

मान्यवर, जब गाजियाबाद जिला बना था, तो उस समय गाजियाबाद शहर की जनसंख्या 50 हजार थी, उसको बने हुए 10 वर्ष हो गये हैं और उसकी जनसंख्या 4 लाख हो गयी है । छात्र और छात्राओं के कालेजों की भी आवश्यकता बढ़ गयी है, तो क्या माननीय मंत्री जी छात्र और छात्राओं की संख्या को देखते हुए गाजियाबाद नगर में कितने महाविद्यालय तथा छात्र और छात्राओं के कालेज देने जा रहे हैं ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जनपद के विषय में जानकारी चाही थी, तो जनपद के विषय में जानकारी दी गयी । शहर के विषय में जानकारी चाहते हैं, तो इस पर विचार कर लूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, दिल्ली में जब छात्रों को प्रवेश नहीं मिलता है, तो वे गाजियाबाद में प्रवेश ले लेते हैं, इस कारण वहां पर कालेज अपर्याप्त हो गये हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी दिल्ली के आने वाले छात्रों पर रोक लगायेंगे या अधिक कालेज बनवायेंगे ? इन दो में से कौन सा काम माननीय मंत्री जी करेंगे, यह बता दें ?

डाक्टर संजय सिंह—

माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में बहुत जानकारी है, बहुत सारे सवालों के माध्यम से शिक्षा विभाग की आर्थिक स्थिति के बारे में उनको जानकारी है । मान्यता या उनके भवन बनाने या अन्य किसी प्रकार के खर्चे की बात आती है, तो आर्थिक असमर्थता का जवाब दिया जाता रहा है, तो इस बारे में भी मेरा वही जवाब है ।

श्री विजय सिंह राणा—

वह अपने पिता के नाम से कालेज वहां पर खोल दें ।

जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि

*6—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वर्ष 85-86 के प्रथम त्रैमास में जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल को एन0 आर0 ई0 पी0 (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना) के अन्तर्गत अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और इस धनराशि को आवंटित करते समय क्या मापदंड अपनाया गया है ? क्या यह भी सही है कि सीमान्त जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों की संख्या कहीं ज्यादा है ? यदि हां, तो इन जनपदों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में कम धन आवंटन करने का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 85-86 के प्रथम त्रैमास में जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल को क्रमश: 58 लाख रुपये, 45 लाख रुपये तथा 50 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं ।

भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार जनपदों को जनसंख्या के आधार पर वर्ष में धन आवंटन करने हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किया गया है :

(क) जिले में ग्रामीण कृषि मजदूरी और सीमान्त किसानों की जनसंख्या पर 75 प्रतिशत ।

(ख) जिले में ग्रामीण गरीबी के प्रभाव पर 25 प्रतिशत ।

(ग) जहां गरीबी के प्रभाव के बारे में जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं है वहां जिले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या पर 25 प्रतिशत बल दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है । ऊपर (क) (ख) तथा (ग) से स्थिति स्पष्ट है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि सीमान्त कृषक और ग्रामीण मजदूर जहां ज्यादा है और जहां गरीबी का प्रतिशत ज्यादा है उसके हिसाब से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल में सीमान्त कृषक भी ज्यादा है, सबसे अधिक ग्रामीण मजदूर भी है तो क्या कारण है कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भी उतना ही रुपया आवंटित किया गया है और जो (क), (ख), और (ग) में मानक आपने बनाया है उनमें किस मानक के आधार पर इन जनपदों को रुपया आवंटित किया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, जब रुपये का आवंटन किया जाता है तो जैसा मैंने बताया कि जिले में ग्रामीण कृषि मजदूर और सीमान्त कृषकों की जनसंख्या पर 75 प्रतिशत, ग्रामीण गरीबी के प्रभाव पर 25 प्रतिशत और यदि यह आंकड़ा उपलब्ध नही है तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 25 प्रतिशत के अनुपात

से पैरामीटर बनाया जाता है । इसमें कोई भेदभाव का प्रश्न नहीं है । जो आंकड़े हर जिले में उपलब्ध हैं उसी के आधार पर यह पैरामीटर बनाया जाता है । जो धन हमें भारत सरकार से मिलता है या प्रदेश सरकार जो धन उपलब्ध कराती है इसी अनुपात से हर जिले में उसे आवंटित किया जाता है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने केन्द्र से जो गाइड लाइन मिली है, उसका प्रारूप रखा है । मैं यह पूछ रहा हूं कि जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल में किस मापदण्ड को आपने माना है ? क्योंकि इन तीनों जिलों में सीमान्त कृषक और ग्रामीण मजदूरों की संख्या भी ज्यादा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, अल्मोड़ा में 1,68,948 कृषक मजदूर हैं और 1,57,855 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं । इनका टोटल पैरामीटर आता है 1,66,175 जिसका अनुपात है 0.89 प्रतिशत प्रदेश लेविल पर । इसी तरह से पिथौरागढ़ में 1,14,245 ग्रामीण कृषक मजदूर हैं 1,12,482 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिसका पैरामीटर अनुपात है 1,13,804, जिसका पैरामीटर प्रदेश लेबिल पर 0.61 प्रतिशत आता है । इसी तरह से नैनीताल में 1,19,259 सीमान्त कृषक मजदूर हैं, 2,61,211 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं इस तरह से इनका पैरामीटर आता है 1,54,747 जिसका प्रदेश लेविल पर अनुपात आता है 0.83 प्रतिशत । इस तरह से यह बिल्कुल साफ कलकुलेशन है । कोई भेदभाव का प्रश्न नहीं है । इस प्रदेश में हर जिले के अन्दर कितने सीमान्त कृषक हैं, कितने ग्रामीण मजदूर हैं, कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उसका एक पैरामीटर तैयार कर लिया जाता है और भारत सरकार से इस हेतु जो धन मिला है उसके अनुपात में उसका आवंटन हर जिले में कर लिया जाता है । इस तरह से कोई भेदभाव किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पैरामीटर में स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की संख्या जहां ज्यादा होगी । तो पिथौरागढ़ में सीमांत कृषक एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सबसे ज्यादा हैं लेकिन आपने जो त्रैमासिक पैसा दिया है वह केवल 45 लाख आवंटित किया है तो इस भेद का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, उस पैरामीटर में जो आपके जिले का अनुपात होगा, उतना धन दिया गया है । जैसे पिथौरागढ़ में 1,14,245 ग्रामीण सीमांत कृषक हैं, 1,12,482 अनुसूचित जाति के लोग हैं इनका टोटल पैरामीटर 1,13,804 आता है और उत्तर प्रदेश में प्रदेश लेविल पर अनुपात 0.61 है और उस हिसाब से आपको धन आवंटित हुआ है ।

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो एक आधार अभी बताया उसके आधार पर जनपद देहरादून में सन् 84 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कालसी और चकराता की अनूसूचित जाति और जनजातियों के विकास की एक योजना ग्राम्य विकास विभाग की ओर से 2 करोड़ 54 लाख की भारत सरकार को भेजी थी लेकिन कुछ दिनों बाद उसको भारत सरकार को

लिखा कि इसको वापस कर दिया जाय तो इसका क्या कारण था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, ग्राम्य विकास की बहुत सारी योजनायें भेजी गयी थी, किस हेतु भेजी गयी थी वह माननीय सदस्य बता दें ।

श्री गुलाब सिंह—

भारत सरकार से जो पैसा मिलता है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पैसा जिलों को आवंटित हुआ है उसका भारी अंश अभी तक खर्च नहीं हुआ है और 31 मार्च आने वाला है वह पैसा अभी तक वहां नहीं गया है, क्या यह सही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, राज्य सरकार से जो भी धन हमें आवंटित हुआ था सभी जनपदों को भेजा जा चुका है, कोई पैसा रुका नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह—

अभी 20, 21, 22 ता0 को जी0 ओ0 हुआ है । जिसमें बहुत सारा धन जिलों को गया है । वह एक सप्ताह में खर्च नहीं हो सकता है तो क्या ऐसा आदेश देंगे कि उस पैसे को 31 मार्च को विभागीय खाते में जमा कर दिया जाय ताकि उसके बाद उसका उपयोग हो सके ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, स्पैसिफिक मद बतायेंगे तो देखेंगे । बहुत सी मदें हैं, एन0 आर0 ई0 जी0 पी0 का पैसा तो पहले जा चुका है । कोई और मद का होगा तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

सरदार बल्लभ भाई पटेल इण्टर कालेज भदांव, हलधरपुर, जनपद बलिया की बेची गयी भूमि तथा व्यय

*7—श्री इकबाल अहमद (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरदार बल्लभ भाई पटेल इंटर कालेज, भदांव, हलधरपुर जनपद बलिया की भूमि नवलपुर (रतौही) मऊ कुंवर और भैरा सफीपुर में है ? क्या यह सही है कि उक्त कालेज की प्रबन्धक कमेटी ने उसे बेंच दिया है ? यदि हां, तो संबंधित धन का क्या हुआ ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

जी हां, मात्र मौजा मऊ कुंवर की भूमि में से 4 एकड़ 60 डिसमिल भूमि बेंची गयी है । धनराशि का विद्यालय के भवन के विकास हेतु उपयोग किया गया है ।

निजी नलकूपों के निर्माण में राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा योगदान

*8—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी नलकूपों के निर्माण में राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोई योगदान दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया केवल "जी हां" । मैंने पूछा था कि "निजी नलकूपों के निर्माण मे राज्य भू-गर्भ जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोई योगदान दिया जाता है ?" उत्तर है—"जी हां ।" जबकि बुन्देलखण्ड में जितने निजी नलकूपों की बोरिंग होती है, वह या तो

असफल होती है या बहुत कम पानी दे रहे हैं। विशेषकर, बांदा में भू-गर्भ जल सर्वेक्षण विभाग के लोग जांच करके बताते हैं कि पानी है किन्तु फिर भी बोरिंग असफल हो जाती है। दूसरी ओर किसान पर बैंक का कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए क्या निजी नलकूपों की बोरिंग के पश्चात् बुन्देलखण्ड में भू-गर्भ सर्वेक्षण के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे सफल बोरिंग हुई है इसका प्रमाण-पत्र दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, बोरिंग सफल हुई या असफल, इसके संबंध में प्रमाण-पत्र लघु सिंचाई विभाग देता है और भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन का प्रमाण-पत्र देने का काम नहीं है।

श्री औसान सिंह—

मान्यवर, निःशुल्क बोरिंग योजना जो सरकार की चल रही है उसके अन्तर्गत भू-गर्भ जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा परामर्श लेकर क्या मंत्री जी बोरिंग कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इस संगठन का ही यह काम है। यह संगठन तकनीकों का उपयोग करके जलधारक भूस्तरों की उपस्थिति एवं विस्तार का बोध, पानी के नमूनों का गुणात्मक अध्ययन, लघु सिंचाई साधनों के मध्य में रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी का निर्धारण, ब्लास्ट उथले एवं गहरे कूपों के निर्माण हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का चयन तथा विकास खण्डवार भू-जल उपलब्धता का वार्षिक आकलन संगठन द्वारा तैयार किया जाता है।

यह तैयार करने के बाद इसको लघु सिंचाई जल निगम और सिंचाई विभाग, जो विभाग यह काम करते हैं, फील्ड में, उन्हें उपलब्ध करा दिया जाता है। उसके अनुसार लघु सिंचाई विभाग के लोग बोरिंग का काम करते हैं और छोटे नलकूपों के छिद्रण का काम करते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर विभाग फील्ड में काम करते हैं।

*9—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[10वें बुधवार में तारां0 प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला परिषदों में कार्यरत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों को राजकीय चिकित्सकों के समान वेतन

*10—श्री राम सरन—

क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों में कार्यरत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों को राजकीय चिकित्सकों के समान वेतन मान दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस असमानता को दूर कर समान वेतनमान लागू करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

जिला परिषदें आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त विपन्न हैं और अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत ही वेतन दे सकती हैं। इसी कारण जिला परिषदों में कार्यरत आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सकों देकर सभी चिकित्सकों को समान वेतन देना सम्भव नहीं है।

जिला परिषदों की अर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मंत्री जी ने बता दिया कि उनकी हालत खस्ता है। इनका विभाग दिवालिया हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि जब आपकी हालत खस्ता

हो चुकी है, आप दवा दारू नहीं दे सकते हैं, इलाज नहीं करा सकते हैं जिला परिषद् के चिकित्सालयों से आप उन चिकित्सकों को तन्ख्वाह नहीं दे सकते हैं राजकीय चिकित्सकों के बराबर, तो जिला परिषदों के अन्दर जितने भी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग को सौंप दें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

स्वास्थ्य विभाग जिन अस्पतालों को चाहेगा और प्रस्ताव भेजेगा तो हम उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा—

वह प्रस्ताव नहीं भेजेगा, आप निवेदन करेंगे कि आप उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं । वह प्रस्ताव भेजें, यह उल्टी बात है । आपके पास वेतन देने के लिए नहीं है तो आप स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव भेजें कि वह उन्हें ले लें, क्योंकि आपके पास वेतन देने के लिए नहीं है । यह जिला परिषद् की अथारिटी पर निर्भर नहीं करता है कि वह किसको कितना वेतन देगा, यह शासन की नीति पर निर्भर करेगा और इस सम्बन्ध में शासन की नीति यह है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होगा । जब आप शासकीय चिकित्सालयों में इस नीति को लागू कर रहे हैं तो इसमें करने में क्या बाधा है ? समान कार्य के लिए समान वेतन देना शासन की नीति है, तो क्या आप जिला परिषदों को अतिरिक्त आय के स्रोत देकर सभी चिकित्सकों को समान वेतन दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषदों में जो यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं वह नान टी0 सी0 कैडर के हैं, इन पदों पर भर्ती जिला परिषदें स्वयं करती हैं और यह स्वयं अपने संसाधनों से इनके वेतन का भुगतान करती हैं । द्वितीय पे कमीशन के गठन से पूर्व भी जो हमारे सरकारी अस्पतालों में आयुर्वेदिक और यूनानी के डाक्टर्स थे, उनमें और जिला परिषदों के जो यूनानी और आयुर्वेदिक के डाक्टर्स थे, उनमें फर्क था । इनकी नियुक्ति जिला परिषद् स्वयं करती है । यह उसी जनपद में रहते हैं उसी जूरिस्डैक्शन में रहते हैं और इनका एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफर नहीं होता है । स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों के बराबर वेतन देने पर शासन स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, अच्छा संयोग है कि इस समय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हो गये हैं । मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में एक नीतिगत प्रश्न करना चाहता हूं कि अस्पतालों का मामला इन्सान की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है और सरकार यह मानती है कि जिला परिषद् द्वारा संचालित आयुर्वैदिक, यूनानी और एलोपैथिक सभी अस्पतालों की हालत खस्ता है । जिससे वेतनमान में तो असमानता है ही, जो सामग्री और उपकरण हैं वह भी पूर्ण और अच्छे नहीं है, सन्तोषजनक नहीं है, तो क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि जिला परिषदों द्वारा चलाये गये जितने भी अस्पताल हैं, चाहे जिस पैथी के हों, वह तुरन्त शासन अपने हाथ में लेकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दें ? अभी तक होता यह है कि जिला परिषद् अपना अस्पताल देने के लिए प्रस्ताव करती है तो उससे गवर्नमेंट यह भी कहती है कि यह अस्पताल ले लिया जायेगा तो उसके स्थान पर दूसरा उसे अस्पताल खोलना पड़ेगा, तो सवाल यह है कि जब वह एक चला नहीं पा रही है तो दूसरा उसके स्थान पर खोलने के लिए कैसे कह दें ? तो क्या सरकार इस पर विचार करेंगी कि जिला परिषद् द्वारा संचालित सभी अस्पतालों को सरकार अपने हाथ में लेकर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, एक तरफ यह मांग होती है कि लोकल बाडीज के पास कोई काम नहीं है और उनको काम दिये जायं । जहां पर जनप्रतिनिधि चुनकर जाते है तो वहां काम अच्छा होता है । मान लीजिये अभी चुनाव नहीं हुए है लेकिन चुनाव तो होना ही है । एक तरफ आप आलोचना करते है कि सरकारी अस्पताल ठीक से नहीं चल रहे है । जहां पर जनप्रतिनिधियों के लिये कोई व्यवस्था है और वह उसको अधिक अच्छा बना सकते है तो आप चाहते है कि उनसे वह अधिकार छीन कर सरकारी अस्पतालों को दे दिया जाय तो मेरी समझ से यह उचित नहीं होगा । हमारा प्रयास होगा कि जो हमारी लोकल बाडीज है उनको जितना ज्यादा काम दे सकें, अच्छा होगा । आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल जब उनके हाथ थे तो इतनी शिकायतें नहीं आती थीं लेकिन जबसे आपने अलग व्यवस्था कर दी है तो तरह-तरह की दिक्कतें पैदा हो रही है । उनके हाथ से अधिकार छीनना मेरी समझ से उचित नहीं होगा ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी यहां पहले नहीं थे, उनको पता नहीं सवाल क्या था ? मान्यवर, सवाल यह है कि क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों में कार्यरत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों को राजकीय चिकित्सकों के समान वेतनमान दिया जाता है । यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस असमानता को दूर कर समान वेतनमान लागू करेंगे । यदि हां, तो कब तक ?

मान्यवर, इसका जवाब यह आया है, 'जी हां, जिला परिषद् आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त विपन्न है और अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत ही वेतन दे सकती है । इसी कारण जिला परिषदों में कार्यरत आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सकों को राजकीय चिकित्सकों के समान वेतन देना सम्भव नहीं है । जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा करना सम्भव नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

तो मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी सवाल समझे नहीं और यह कहते है कि हमारे पास कुछ रहा नहीं है । मेरा तात्पर्य यह है कि जनहित को देखते हुए, चूंकि इन अस्पतालों में दवा नहीं मिलती है और डाक्टर उपलब्ध नहीं रहते है क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है जिससे उनका गुजारा नहीं चलता । तो इसको देखते हुए प्रश्न था कि इन अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ले ले और चलाये ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय राम सरन दास को समझा नहीं पाया । ये समझने की कोशिश भी नहीं करते है । (हंसी) सवाल पूछा गया कि सरकार जिला परिषदों के अस्पतालों को ले ले तो उसका उत्तर मैंने दिया है । मूल सवाल में क्या है ? सवाल में जो है माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है ।

*11—श्री भोपाल सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*12—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद की अनुमोदित प्रशासन योजना

*13—श्री शारदानन्द अंचल—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 5वें सोम के अता0 प्र0 सं0 73 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे

कि जब प्रश्नगत विद्यालय की प्रशासन योजना दि0 23-2-83 को उप शिक्षा निदेशक द्वारा अनुमोदित की गई थी तो उसमें ज्येष्ठता के अनुसार प्रबंध समिति के पदेन सदस्य के रूप में दो अध्यापकों का नाम प्रशासन योजना की धारा 16-क के अनुसार अंकित नहीं था ? यदि हां, तो उप निदेशक द्वारा अपूर्ण प्रशासन योजना अनुमोदित करने का क्या कारण है तथा अपूर्ण प्रशासन योजना पर उक्त विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता किस आधार पर शासन द्वारा प्रदान की गई ? क्या सरकार इसकी निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी नहीं । नाम अंकित नही थे क्योंकि नाम अंकित करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या बतायेंगे कि विद्यालय की प्रशासन योजना के अनुसार प्रबंध समिति में नियम 16 के अन्तर्गत कौन-कौन से 2 अध्यापक रखे गये हैं । यदि नहीं तो क्यों ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उक्त विद्यालय में प्रशासन योजना, जैसी अन्य विद्यालयों में है, लागू नहीं है ? तीसरा प्रश्न यह है कि सरकार क्या इसकी जांच करवायेगी ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, जो प्रशासन योजना है उसमें प्रतिबन्ध है कि नाम नहीं पद होना चाहिये । जो अध्यापक पदेन सदस्य के रूप में उसमें नामित किये जाते हैं, वह बदलते रहते हैं । अगर नाम अंकित होगा तो बदल नहीं सकते हैं । दूसरा सवाल जो आपने किया कि प्रशासन योजना लागू है या नहीं तो इसकी जानकारी आप चाहेंगे तो दिला दी जायेगी ।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि इस समय 2 लोग कौन से अध्यापक हैं ?

डाक्टर संजय सिंह—

इसकी सूचना यहां नहीं है । इसको सूचित करा देंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, प्रशासन योजना के अन्तर्गत 2 अध्यापकों का चयन उसमें अत्यन्त आवश्यक है । अंचल जी ने पूछा कि प्रशासन योजना जो 23-2-83 को सब्मिट की गई है उसमें दोनों अध्यापकों के नाम नहीं थे । परन्तु फिर भी उप शिक्षा निदेशक ने उसको अनुमति प्रदान कर दी और बजाय इसके कि इस अपूर्ण प्रशासनिक योजना के आधार पर विद्यालय को रिकग्नीशन नहीं दी जानी चाहिये, परन्तु उसको रिकग्नीशन दे दी गयी । ऐसा क्यों किया गया, जबकि आवश्यक पूर्ति उसमें नहीं की गयी थी ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, इसकी जांच करा ली जायगी और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायगी ।

*14—श्री विजय सिंह राणा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

*15—श्री सुखपाल पान्डे—

[35वें मंगलवार में तारां0 प्र0 सं0 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत कानून की कक्षाओं में दाखिले हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सुविधा देने की मांग

*16—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने

वाले कालेजों में कानून की कक्षाओं में मेरिट लिस्ट दाखिले के समय जो बनती है उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को अतिरिक्त अंक देकर दाखिले की कोई सुविधा दी गयी है ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस संबंध में उपरोक्त छात्रों को सुविधा देने का निर्देश देगी ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी नहीं । विश्वविद्यालय स्वायत्त-शासी संस्था है जिसकी प्रवेश समिति एक प्राधिकारी है । यह प्रवेश समिति विश्व-विद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों (मेडिकल, इन्जीनियरिंग और शिक्षा को छोड़कर) में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धांतों या प्रतिमानों को अधिकथित करती है । यह समिति विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में प्रवेश पाने के लिये मापदण्ड या रीति (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) के संबंध में निदेश देती है और ऐसे निदेश ऐसे कालेजों पर आबद्धकर होते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रवेश समिति, जिन सिद्धान्तों पर मूल्यांकन करके एड-मिशन के लिए प्रत्येक कालेज में भेजती है, क्या उसमें यह भी सम्बद्ध करके निर्देशित करने की कोशिश करेंगे कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के बच्चों को ला क्लासेज में दाखिल करने के लिए अति-रिक्त अंक देकर प्रवेश करायेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, चूंकि यह विश्वविद्यालय की समिति है, स्वायत्तशासी (आटोनामस बाडी) है, इसलिए इसको फोर्स नहीं किया जा सकता । लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे, तो इसके बारे में सुझाव भेज दिये जायेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह पुस्तक आपके सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को उपलब्ध कराई गयी है । इसमें मान्यवर लिखा है कि "स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को अपने जिले के आश्रितों को बी0 एड0 कक्षाओं में प्रवेश के लिए 10 अंक अति-रिक्त आवंटित किये जाते हैं ।" मान्यवर, जिस प्रकार से बी0एड0 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 10 अंक अति-रिक्त देने की सुविधा प्रदान की गयी है, उसी प्रकार से जैसा कि माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रश्न किया, ला क्लासेज में एडमीशन लेने के लिए तो यह आटो-नामस बाडी का प्रश्न कहां से पैदा हो गया ? इसलिए मान्यवर, यह उत्तर असंगत है । क्या माननीय मंत्री जी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों का ला क्लासेज में एडमिशन कराने हेतु 10 अंक अतिरिक्त देने के सम्बन्ध में एसी कोई नीति निर्धारित करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, शायद उन्होंने मेरा जवाब सुना नहीं । मान्यवर, मेडिकल इंजी-नियरिंग और शिक्षा को छोड़कर मैंने कहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का 3 परसेन्ट कोटा सुरक्षित है । हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो शिक्षा में दाखिला के लिए लड़के जाते हैं और उनको अतिरिक्त अंक दिये जाते हैं, उसी प्रकार से ला क्लासेज में अतिरिक्त अंक देकर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों का दाखिला करने की व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, उनको निर्देशित नहीं किया जा सकता है, उनको सुझाव ही भेजे जा सकते हैं ।

प्रदेश में सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

*17—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सरकार उन्हीं शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देती है जो पंजीकृत हैं ? यदि हां, तो गैर पंजीकृत आई0 टी0 कालेज सोसायटी, लखनऊ की प्रबन्ध समिति को प्रतिवर्ष सरकार किस नियम के तहत 14 लाख रुपया दे रही है ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी नहीं ।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त उन सभी महाविद्यालयों, जिन्हें उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वेतन संदाय सूची पर लिया गया है, के कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु अनुदान दिया जाता है ।

सोसाइटी को अनुदान नहीं दिया जाता । किन्तु राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय 11 ''क'' के प्राविधानों के अन्तर्गत आई0 टी0 कालेज लखनऊ के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन संदाय हेतु अनुदान दिया जाता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, यह तो नहीं कह सकता हूं कि इस प्रश्न को नहीं समझ पाये, परन्तु इतना तो अवश्य कह सकता हूं कि वह हम लोगों को इस प्रश्न को समझा नहीं पा रहे हैं । मान्यवर, कमिटमेन्ट आफ रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटी और एक रजिस्टर्ड सोसाइटी दोनों अलग-अलग चीजें हैं । मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब एक सोसाइटी पंजीकृत नहीं है, तो उसे अनुदान दिए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आई0 टी0 कालेज सोसाइटी, लखनऊ की प्रबन्ध समिति का क्या रजिस्ट्रेशन हो गया है और अगर नहीं हुआ है तो केवल कमिटमेन्ट आफ रजिस्ट्रेशन के आधार पर 14 लाख रु0 का अनुदान देने का क्या औचित्य है ?

डाक्टर संजय सिंह—

इसका पंजीकरण 9-10-1985 तक था और इन्होंने रिन्यूवल के लिए दिनांक 7-10-1985 को प्रार्थना-पत्र दिया था ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, फिर भी उसको 14 लाख रु0 मिलते रहे । इसलिये मैं इस आदरणीय सदन को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि इस सोसाइटी का सम्बन्ध सी0 आई0 ए0 से है और श्री सुरेन्द्र सिंह जो इस कालेज के वाइस प्रिंसिपल थे, वह भी सी0 आई0 ए0 के एजेन्ट थे और पूरी तरह से उन लोगों से संबंधित थे तो ऐसी सोसाइटी जो हमेशा अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों का केन्द्र रहा है और हमेशा स्पाई सेंटर रहा है तो ऐसी सोसाइटी को 14 लाख रु0 का अनुदान देने का क्या औचित्य है ? कृपया माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करने का कष्ट करें ।

डाक्टर संजय सिंह—

मैं अपने वरिष्ठ माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 14 लाख रु0 दिये जाते हैं, यह किसी सोसाइटी को नहीं दिये जाते हैं, बल्कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय 11 'क' के प्राविधानों के अन्तर्गत आई0 टी0 कालेज, लखनऊ के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन संदाय हेतु पोषण अनुदान दिया जाता है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह सोसाइटी 9-10-1985 तक ही पंजीकृत थी और इसके आगे के पंजीकरण के लिए उसने प्रार्थना-पत्र दिया था तो माननीय मंत्री को स्वयं ज्ञात होगा कि किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन को आप एक साल के अंदर-अंदर करवा सकते हैं और जब साल का अन्त होने वाला था तब उन्होंने रिन्यूवल के लिए दरख्वास्त दी तो ऐसी किन परिस्थितियों में उनको 14 लाख रुपया का अनुदान दे दिया गया जबकि वह नियमानुसार पंजीकृत भी नहीं हो पायी थी, क्योंकि सिर्फ प्रार्थना-पत्र दो दिन पहले ही उन्होंने दिया था ? इसलिये मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जो रु0 उन्हें दे दिया गया है, पहले उनसे वह रु0 वापस लिया जाये और जब उनका नियमानुसार पंजीकरण हो जाये, तब उन्हें दिया जाये ।

डाक्टर संजय सिंह—

सोसाइटी को रु0 नहीं दिया जाता है । आई0 टी0 कालेज की तरह से सैकड़ों कालेज हैं, जो यूनिवर्सिटी के अधीन है, इसलिये उन्हें अनुदान दिया जाता है, किसी पटोंकुलर सोसाइटी को नहीं दिया जाता है ।

रतनसेन महाविद्यालय बांसी, बस्ती के प्रबन्ध समिति एवं प्राचार्य के विरुद्ध श्री अरुण कुमार त्रिपाठी का शिकायती-पत्र

*18—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 7-11-85 के साथ संलग्न श्री अरुण कुमार त्रिपाठी, सदस्य, राज्य परिषद् जनता पार्टी उ0 प्र0 बांसी जनपद बस्ती का एक शिकायती पत्र रतनसेन महाविद्यालय बांसी जनपद बस्ती के प्रबंध समिति एवं प्राचार्य द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोप क्या हैं और उन पर शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

मुख्य आरोप संलग्नक में उल्लिखित हैं । शासन द्वारा जांच के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आख्या प्राप्त नहीं हुई है । अतः अभी सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है ।

इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि धारा 57 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेश मैंने आज ही दे दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 88 पर) ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, इस मामले में इतने बड़े और गम्भीर आरोप हैं, इनको देखते हुए मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रकरण ही गम्भीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह—

इन तमाम अनियमितताओं के कारण सी0 आई0 डी0 जांच हो रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही होती परन्तु मैंने इस सम्बन्ध में जैसा कि प्रश्न के प्रारम्भ में कहा कि इसके संबंध में धारा 57 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु मैंने आज ही आदेश दे दिए हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डे—

मान्यवर, इसी विषय को लेकर मैंने पिछले 4-5 वर्ष पहले वर्ष 1980-81 में भी उठाया था, जिस पर दो सदस्यीय जांच समिति गठित हुई थी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस विद्यालय में अनियमितताओं का होना कोई नई बात नहीं है, इससे पूर्व भी इसमें तमाम अनियमितताएं हुई हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विद्यालय की पूर्व की भी तमाम अनियमितताओं व इस बार की हुई अनियमितताओं की पूरी छान-बीन करते हुए मौजूदा प्रबन्ध-तंत्र को भंग करके, दोषी व्यक्तियों को दण्ड देते हुए इसके दूसरे प्रबन्ध-तंत्र की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

संख्या के आधार पर राजकीय इण्टर कालेज, देवरिया में कक्षा 11 विज्ञान में कई सेक्शन खोले जाने की मांग

*19—श्री रणजीत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज देवरिया में कक्षा 11 विज्ञान का एक सेक्शन से बढ़कर दो या तीन सेक्शन छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के आधार पर बढ़ाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

शिक्षा सत्र 1986-87 में आवश्यकता और औचित्य के आधार पर सेक्शन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ।

*20—श्री कनक सिंह—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती एन0 फातिमा निवासी रसूलपुर, बाराबंकी की नगरक्षेत्र में सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति

1—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1984 में श्रीमती एन0 फातिमा, निवासी रसूलपुर, बाराबंकी की नियुक्ति बेसिक शिक्षा परिषद् बाराबंकी के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापिका के पद पर की गयी है ? यदि हां, तो इस अध्यापिका ने बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण किस वर्ष उत्तीर्ण किया है एवं इस नियुक्ति हेतु साक्षात्कार कब लिया गया एवं इस साक्षात्कार में कुल कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

2—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

[दि0 17-2-86 को अता0 प्र0 सं0 43 द्वारा उत्तरित]

प्रबंधक, बहुधन्धी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनहिता, जौनपुर के विरुद्ध श्री रामराज चौबे वगैरह का शिकायती-पत्र

3—श्री चन्द्र सेन सिंह, श्री विश्राम दास, श्री बलराम यादव, श्री रामपाल सिंह एडवोकेट तथा श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम राज चौबे व श्री राम अकबाल चौबे द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र दिनांक 21-3-84 व 26-10-84 जो प्रबन्धक, बहुधंधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनहिता, जौनपुर के खिलाफ

था तथा जिस पर शासन ने जांच का आदेश भी किया था, उस जांच में क्या-क्या अनियमितताएं पायी गयीं तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी हैं :

(1) प्राभूत की भूमि प्रबन्धक ने अन्य कार्य अथवा बेचने में अथवा अपने नाम कराने में उपयोग किया ।

(2) प्रबन्धक ने कुल 6.44 एकड़ भूमि बेंची है । स्टाम्प दरों से स्पष्ट है कि भूमि सरकारी रेट से भी कम दामों पर बेंची गयी है ।

(3) प्रबन्धक ने 30 गाटा, 14-58 एकड़ भूमि का विवरण भेजा है जो श्री दुखी पुत्र श्री ईश्वरी दीन प्रबंधक निवासी--विकेपुर, बहुधंधी उ0 माध्यमिक विद्यालय सोनहिता के नाम अंकित है जबकि यह भूमि विद्यालय के नाम होनी चाहिए ।

(4) श्री शम्भू नाथ शुक्ल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं जो प्रबन्धक के पुत्र हैं ।

विद्यालय के प्रबन्धक के विरुद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम अकबाल चौबे, ग्राम विकेपुर जिला जौनपुर द्वारा ग्राम प्रधान श्री दुखी शुक्ल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

4—श्री चन्द्र सेन सिंह, श्री विश्राम दास, श्री रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री बलराम यादव तथा श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम अकबाल चौबे ग्राम विकेपुर, परगना गड़वारा, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर का दिनांक 23-4-84 का शिकायती-पत्र जो ग्राम प्रधान श्री दुखी शुक्ल के खिलाफ धारा 95 जी के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु दिया था ? क्या उस पर शासन ने जांच का आदेश भी दिया था ? यदि हां, तो उस जांच में क्या-क्या अनियमितताएं पायी गयीं तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जांच में शिकायतें निराधार एवं असत्य पाई गई, अतः प्रधान के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

5—श्री अमर चन्द्र—

[7वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में आवास हेतु रुपये के आवंटन में निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन

6—श्री हर्षवर्धन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विकास खण्डों के माध्यम से दो हजार रुपया (2000) प्रति आवास हेतु निर्बल वर्ग को दिये जाने वाली योजना के आवंटियों के चयन का आधार क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रदेश के विकास खण्डों के माध्यम से दो हजार रुपया आवास हेतु निर्बल वर्ग को दिये जाने वाली योजना के आवंटियों (लाभार्थियों) के चयन का आधार वर्तमान में इस प्रकार है :

निर्बल वर्ग आवासीय योजना विशेष रूप से निर्बल वर्ग के ग्रामीण व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित है । प्रसंगगत योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ सीमान्त कृषकों तथा निर्बल वर्ग के अन्य पात्र व्यक्तियों

को शामिल किया जाता है । आवंटियों (लाभार्थियों) का चयन ग्राम सभा की बैठक में किया जाता है । चयन में 80 प्रतिशत लाभार्थी हरिजन समुदाय के होना आवश्यक है प्राथमिकता ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है जिनके पास आवास की कोई सुविधा नहीं है तथा जिन्हें एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत लाभार्थी चुना गया है और जिन्हें आवास हेतु भूमि आवंटित की गई है ।

7—श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

[दिनांक 3-3-86 को अता0 प्र0 सं0 13 द्वारा उत्तरित]

8—13—श्री राम सजीवन—

[दिनांक 17-2-86 को अता0 प्र0 सं0 111 द्वारा एवं 28-2-86 को अता0 प्र0 सं0 52-53 द्वारा उत्तरित]

जनता इण्टर कालेज सठला, बुलन्दशहर में नागरिक शास्त्र प्रवक्ता के पद पर दो व्यक्तियों की अवैध नियुक्ति

14—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनता इण्टर कालेज सठला, जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 1-10-82 से नागरिक शास्त्र प्रवक्ता के एक ही पद पर दो व्यक्ति नियुक्त हैं तथा अब तक राजकोष पर लगभग 40,000 रु0 उनके वेतन पर व्यय हो चुका है ? इस अवैध नियुक्ति को रोकने के लिए सरकारी विभाग ने क्या कार्यवाही की तथा राजकोष का 40,000 रु0 दोषी अधिकारियों से वसूला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी नहीं, विद्यालय में नागरिक शास्त्र प्रवक्ता का एक ही पद है और उस पर एक ही व्यक्ति नियुक्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर हाईस्कूल बिगरामऊ विकास खंड स्याना, बुलन्दशहर के भवन का निर्माण

15—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1982 में स्वीकृत जूनियर हाईस्कूल बिगरामऊ, विकास खण्ड स्याना, जनपद बुलन्दशहर के निर्माण के लिए पैसा भी जिला स्तर पर उसी वर्ष उपलब्ध हो गया था ? यदि हां, तो उक्त स्कूल का भवन निर्माण आज तक नहीं हो पाया जबकि भूमि भी उपलब्ध करा दी गयी थी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है ।

श्री चन्द्रपाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, लडाना विकासखण्ड ऊंचागांव, बुलन्दशहर के विरुद्ध भूतपूर्व विधायक श्री छत्तर सिंह के शिकायती-पत्र की जांच

16—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 29 मई, 1985 को छत्तर सिंह भू0 पू0 विधायक के द्वारा कोई पत्र चन्द्रपाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी, लडाना विकास खण्ड ऊंचागांव जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर जांच के क्या परिणाम रहे एवं क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

उस पर खण्ड विकास अधिकारी ऊंचागांव से जांच करायी गयी । जांच आख्या से प्रगट हुआ कि प्रश्नगत शिकायतें निराधार हैं । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

17—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

[दि0 10-3-86 को अता0 प्र0 सं0 10 द्वारा उत्तरित]

बस्ती जिले के कतिपय विकास खण्डों में प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण

18—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी, मिठवल तथा खेसरहा विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कराने हेतु, दिनांक 26 दिसम्बर, 85 का पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां । उक्त पत्र शिक्षा निदेशक (बेसिक) को यथावश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है । फिलहाल विकास खण्ड बांसी में प्रा0 भैसठ तथा विकास खंड खेसरहा में सकारपार के प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला समिति के अनुमोदनोपरांत निर्माण एजेन्सी जिला परिषद् बस्ती द्वारा कराया जा रहा है ।

19—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

उ0 प्र0 सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र में चयनित परिचालकों की नियुक्ति में धांधली

20—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1980 में परिचालक के पद की नियुक्ति हेतु चयनित सूची प्रकाशित की गयी थी ? यदि हां, तो उन परिचालकों में से कितने को कार्य का अवसर प्रदान किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि परिचालकों के प्रकाशित सूची के क्रम में कनिष्ठतम लोगों को कार्य का अवसर देकर वरिष्ठ परिचालकों की उपेक्षा की गयी है ? यदि हां, तो ऐसी किन परिस्थितियों में किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शेष बचे चयनित परिचालकों को कब तक सेवा का अवसर प्रदान कर दिया जायगा ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

प्रकाशित सूची में 219 कार्मिकों को गोरखपुर क्षेत्र में नियमित एवं अल्पकालिक रिक्तियों में समय-समय पर नियुक्तियां दी गयीं । उक्त के अतिरिक्त 48 अभ्यर्थियों का स्थानांतरण कार्य की आवश्यकता को देखते हुये लखनऊ क्षेत्र हेतु किया गया ।

जिन अभ्यर्थियों ने जिस क्रम में तैनाती की शर्तें पूरी की, उन्हें उन्हीं क्रम में नियुक्तियां दी गयीं । कुछ वरिष्ठ अभ्यर्थियों को जो डिपो में आवश्यकता के समय तत्काल उपलब्ध नहीं थे, को सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो सका । वर्णित परिस्थितियों में सूची के क्रम के अनुसार तैनाती सम्भव नहीं थी ।

शेष बचे चयनित परिचालकों को जिन्होंने निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर ली थीं, उन्हें निगम द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सम्प्रति अल्पकालिक अथवा अवकाश रिक्तियों में समय-समय पर सेवा का अवसर दिया जा रहा है । सम्प्रति स्वीकृत जनशक्ति से अधिक कार्मिक कार्यरत होने के कारण नियमित नियुक्तियां करना सम्भव नहीं है ।

21—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[दि0 17-3-86 को अता0 प्र0 सं0 109 द्वारा उत्तरित]

22—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[दि0 7-3-86 को अता0 प्र0 सं0 43 द्वारा उत्तरित]

23—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

24—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

25—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[दिनांक 17-3-86 को अता0 प्र0 सं0 111 द्वारा उत्तरित]

26—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

27—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा तथा श्री किरन पाल सिंह—

[दिनांक 17-2-86 को अता0 प्र0 सं0 102 द्वारा उत्तरित]

28—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

29—श्री शेर बहादुर सिंह—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद देवरिया में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ठेकेदारों द्वारा कार्य कराये जाने की शिकायतें

30—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों में ग्रामीण मजदूरों की दैनिक मजदूरी कराने के स्थान पर ठेकेदारों द्वारा कार्य कराये जाने की शिकायतें जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है ? क्या शासन इस सम्बन्ध में जांच कराकर ठेकेदारी प्रथा को रोककर ग्रामीण मजदूरों को कार्य दिलाने का उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद देवरिया मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों में ग्रामीण मजदूरों को दैनिक मजदूरी कराने के स्थान पर ठेकेदारों द्वारा कार्य कराये जाने की शिकायतें जिला प्रशासन को यदाकदा प्राप्त हुई हैं । जांच में ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया जाना प्रमाणित नहीं हुआ । मजदूरों को भुगतान सीधे मस्टररोल के आधार पर किया जा रहा है ।

प्रभारी जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा विभिन्न पदों पर की गयी अवैधानिक नियुक्ति

31—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के वर्तमान प्रभारी जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी ने जिला चयन समिति की अवहेलना करके अपने रिश्तेदारों में से एक को नैत्यिक लिपिक पद पर तथा दूसरे को चतुर्थ श्रेणी में तथा एक अन्य व्यक्ति को अवैधानिक रूप से ड्राइवर पद पर नियुक्त किया है ? क्या इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में जिला सेवायोजन अधिकारी द्वारा आपत्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या शासन पूर्वोक्त नियुक्तियों को निरस्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

पदों पर नियुक्ति के समय जिला चयन समिति, देवरिया के पास चयनित सूची के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण विशेष परिस्थितियों में जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति की गयी थी । नियुक्त व्यक्तियों में से कोई भी जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी का रिश्तेदार नहीं है ।

जी हां ।

निदेशक प्रौढ़ शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा इस प्रकार की नियुक्ति समाप्त कर जिला चयन समिति द्वारा चयनित व्यक्तियों को रखने के आदेश दे दिये हैं । जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध शिकायतों की जांच करायी जा रही है । आरोप प्रमाणित होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद के विकास क्षेत्र सोहावल स्थित निर्माणाधीन सड़क ड्योढ़ी सुखारी में ईंट की चोरी

32—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित विकास क्षेत्र सोहावल स्थित निर्माणाधीन सड़क ड्योढ़ी सुखारी जो शारदा सहायक खण्ड 5 द्वारा निर्माण की जा रही थी उसका 30,000 ईंटा माह दिसम्बर, 85 में अधिकारियों की मिली भगत में उठा लिया गया जिससे लगभग 15 हजार रुपये की क्षति हुई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? इसके सम्पूर्ण तथ्य क्या हैं तथा ईंटा ले जाने वाला व्यक्ति कौन है और उसके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत सड़क का निर्माण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी शारदा सहायक खण्ड-5, फैजाबाद द्वारा किया जा रहा है । जहां तक 30,000 ईंट की क्षति का प्रश्न है, विभाग द्वारा दिनांक 7-1-1986 को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रौनाही में दर्ज की गई तथा मामले में चार्जशीट दिनांक 26-2-86 को न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी है । मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

33—श्री अवधेश प्रसाद—

[दि0 17-3-86 को अता0 प्र0 सं0 96 द्वारा उत्तरित]

34—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री किरन पाल सिंह, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[दि0 17-3-86 को अता0 प्र0 सं0 24 द्वारा उत्तरित]

35—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत श्री मोहर सिंह को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति

36—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता भूगर्भ जल सर्वेक्षण मंडल, प्रथम लखनऊ ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 3431/भू0 ज0 स0 सं0 म0 1/ई 12, दिनांक 4 दिसम्बर, 1985 द्वारा अनुसूचित जनजाति के एक मात्र व्यक्ति श्री मोहर सिंह की चतुर्थ श्रेणी के पद पर वेतनमान रु0 305--390 में नियुक्ति के लिये निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को स्वीकृति प्रदान करने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो स्वीकृति कब दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और इस देरी का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी का कोई पद रिक्त न होने के कारण श्री मोहर सिंह को नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है ।

गोरखपुर जनपद के बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में दूरदर्शन सेट्स लगाये जाने की व्यवस्था

37—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि गोरखपुर जनपद में दूरदर्शन सेट्स लगाए

जाने निमित्त जो बेसिक प्राइमरी पाठशाला चयनित किये गये हैं उनके भवन इस अवस्था में हैं कि उनमें दूरदर्शन सेट्स रखे जा सकें ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां ।

अधिकतर भवन दूरदर्शन सेट्स रखने के लिए उपयुक्त अवस्था में है । जिन विद्यालयों के भवन मरम्मत योग्य थे उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

38—श्री हर्ष वर्धन—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

जिला परिषद्, मथुरा के चमरपुरा से सिहौरा मार्ग का सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरण

39—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला परिषद्, मथुरा के चमरपुरा से सिहौरा मार्ग को सार्व0 निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड, मथुरा को हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी, मथुरा के पत्रांक 355/1-पूल-82/85-86 दिनांक 27 मई, 85 द्वारा सचिव, पंचायती राज अनुभाग (3) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को भेजे गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब इस सड़क को सार्व0 निर्माण विभाग को देने का कष्ट करेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् मथुरा के चमरपुरा से सिहौरा मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु जिलाधिकारी मथुरा के उल्लिखित पत्र दिनांक 27 मई, 1985 के सम्बन्ध में उनसे मांगा गया प्राविधिक औचित्य प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

40—श्री राम सागर—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

श्री जावेद सईद परीक्षार्थी हाईस्कूल द्वारा सचिव यू0 पी0 बोर्ड, इलाहाबाद को भेजा गया प्रार्थना-पत्र

41—श्री किरनपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई प्रार्थना-पत्र श्री जावेद सईद परीक्षार्थी हाईस्कूल परीक्षा 1985 ई0 रोल नम्बर 274609 परीक्षा केन्द्र अंसार इण्टर कालेज, मुरादाबाद दिनांक 11-8-85 सचिव यू0 पी0 बोर्ड, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

नहीं । हाईस्कूल परीक्षा 1985 अनुक्रमांक 274609, श्री जावेद सईद के परिवाद सं0 200(74)/85, से सम्बन्धित प्रकरण माननीय लोकायुक्त के माध्यम से दिनांक 5 नवम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ था ।

उक्त परीक्षार्थी का मामला जांचोपरान्त अन्तिम निर्णय हेतु परिषद् की परीक्षा समिति में विचाराधीन है ।

42—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

43—श्री अवनीश कुमार सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

फैजाबाद जनपद में मिल्कीपुर क्षेत्र से विभिन्न स्थानों के लिये बस सेवाएं संचालित किये जाने की मांग

44—श्री मित्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के फैजाबाद जनपद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र से विभिन्न स्थानों के लिए बस सेवाएं संचालित करने

विषयक पत्र दिनांक 21-11-85 के क्रम में मंत्री जी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 11-12-85 के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है तथा किन-किन स्थानों के लिए बसें संचालित करने के आदेश कब निर्गत किये गये हैं ?

डाक्टर संजय सिंह—

माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 21-11-85 में की गयी बस संचालन संबंधी मागों के बारे में स्थिति निम्नवत् है :

कुमारगंज-अमानीगंज-भेलसर-बाराबंकी-लखनऊ मार्ग एवं भेलसर-अमानीगंज-मिल्कीपुर-हरिगटनगंज खजुर-हट-बीकापुर-फैजाबाद मार्ग में अमानीगंज से रुदौली तक का मार्ग अराष्ट्रीयकृत है, जिन पर निजी बसों का संचालन है । इस मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस चलाना सम्भव नहीं है । कुमारगंज से लखनऊ के लिए हलियन-पुर, जगदीशपुर होकर निगम बस सेवा उपलब्ध है । इसी प्रकार रुदौली से लखनऊ, रूदौली तथा भेलसर से फैजाबाद एवं अमानीगंज-मिल्कीपुर-खजुरहट-बीकापुर-फैजाबाद के लिए भी बस सेवायें उपलब्ध है । खण्डासा से मिल्कीपुर होकर फैजाबाद एवं हरि-गटनगंज -खजुरहट -बीकापुर- फैजा-बाद मार्गों पर बस सेवाएं उपलब्ध है ।

संजय स्मारक विद्यालय डीली सरैया गद्दोपुर, फैजाबाद में आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताएं

45—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के स्थायी मान्यता प्राप्त संजय स्मारक विद्यालय डीली सरैया गद्दोपुर, फैजाबाद के आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं विषयक शिकायती-पत्र दिनांक 2-10-85 के क्रम में आयुक्त फैजाबाद को प्राप्त संदर्भित पत्र संख्या 52/27-7-(85-86) दिनांक 9 अक्टूबर 1985 की किन-किन बिन्दुओं पर जांच करायी गयी है तथा अब तक की जांच आख्या क्या है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र दिनांक 2 अक्टूबर, 1985 मण्डलायुक्त कार्यालय फैजाबाद के पत्र संख्या 52/सत्ता-इंस-1(85-86) दिनांक 9-10-85 द्वारा मूलरूप में जांच हेतु जिलाधिकारी फैजाबाद को भेजा गया था जिलाधिकारी फैजाबाद की आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, वाराणसी के अन्तर्गत विकास खण्ड साहबगंज, वाराणसी में श्री सिराजुलहक ठेकेदार का भुगतान

46—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, वाराणसी के कार्यादेश सं0 48 दिनांक 20-11-76 के अनुसार शहावगंज, वाराणसी में है रोड और बुल रोड का निर्माण कार्य चकिया टाउन, वाराणसी के निवासी ठेकेदार श्री सिराजुलहक पुत्र मुहम्मद कासिम ने पूरा कराया है ? यदि हां, तो कार्यादेश से संबंधिथ मु0 3380-06 रुपये की एम0 बी0 से 64 (एल) तथा सहायक व अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0 अ0 सेवा वाराणसी को स्मरण पत्र दिनांक 24-8-77, 19-10-77, 27-11-77 27--3-79, 28-2-80, 25-4-80 देने के बावजूद उक्त ठेकेदार को अंतिम भुगतान अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो भुगतान कब तक हो जायगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड वाराणसी के अन्तर्गत विकारा खण्ड साहबगंज, वाराणसी में श्री सिराजुलहक ठेकेदार पुत्र श्री मोहम्मद कासिम के कार्यादेश संख्या-48 के भुगतान के सम्बन्ध में जांच कार्य-

वाही चल रही थी । जांच आख्या प्राप्त होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को भुगतान हेतु चेक प्राप्त करने के लिए दिनांक 11 मार्च, 86 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

आगरा के फिरोजाबाद बस स्टेशन पर बसों को उपलब्ध कराये जाने की मांग

47—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि आगरा क्षेत्र का फिरोजाबाद नगर का बस स्टेशन शिकोहाबाद क्षेत्र में लगा है जिसके कारण फिरोजाबाद में सुबह 10 बजे के बाद दोपहर के 3 बजे तक प्रति-दिन यात्रियों को बसें फिरोजाबाद स्टेशन पर उपलब्ध नहीं होती ? यदि हां, तो शासन ने इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी नहीं ।

फिरोजाबाद बस स्टेशन से विभिन्न स्थानों के लिए प्रातः 10 बजे से अप-रान्ह 3 बजे तक निगम को कुल 96 सेवायें संचालित होती हैं, जो यात्रियों को विभिन्न गन्तव्य स्थानों तक आवागमन हेतु पर्याप्त है ।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा क्षेत्र में बसों की संख्या तथा यात्रियों को असुविधा

48—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के आगरा क्षेत्र में कुल कितनी बसें सेवारत हैं और उनमें से निगम की कितनी बसें खराब पड़ी हैं? क्या उन खराब बसों के डिपो में पड़े रहने से यात्रियों को असुविधा और निगम को हानि हो रही है ? यदि हां, तो उसे दूर करने का क्या उपाय किया है ?

डाक्टर संजय सिंह—

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के आगरा क्षेत्र में कुल 435 बसों का बेड़ा है जिनमें से 75 बसें आफरोड हैं । निगम का निर्धारित संचालन 350 बसों का है जिसके विपरीत 360 बसें संचालन के लिए उपलब्ध हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में एन0 सी0 सी0 के अध्यापकों का महंगाई भत्ता

49—श्री धनराज यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में एन0 सी0 सी0 का संचालन किस वर्ष से प्रारम्भ हुआ और प्रारम्भिक वर्ष में एन0 सी0 सी0 का कार्य करने वाले अध्यापकों को भत्ते के रूप में कितना रुपया दिया जाता था और अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है ? क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि महंगाई को देखते हुए भत्ते में कब तक संशोधन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में एन0 सी0 सी0 का संचालन वर्ष 1948 से प्रारम्भ हुआ । प्रारम्भ में जूनियर/सीनियर डिवीजन अधिकारियों को मान-देय भत्ते के रूप में क्रमशः रु0 50 तथा रु0 75 प्रतिमाह दिया जाता था । मानदेय भत्ते की दरों में भारत सरकार द्वारा अब तक दो बार संशोधन किया गया है । प्रथम बार संशोधित दरों को लागू कर दिया गया था । द्वितीय बार संशोधित दरों को लागू किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

50—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[8वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 134 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर के विकास खण्ड बृहमपुर तहसील सदर ग्राम राजी जगदीशपुर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

51—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड बृहमपुर तह0 सदर के ग्राम राजी जगदीशपुर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक 7-8-85 को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (सक0) जनपद गोरखपुर द्वारा कराई गई । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

52-52ए—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

53—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद फर्रुखाबाद में बी0 टी सी0 प्रशिक्षित छात्र एवं छात्राओं की नियुक्ति

54—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-85 तक कुल कितने बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित छात्र व छात्रायें बेसिक शिक्षा विभाग, फर्रुखाबाद की प्रतीक्षा सूची में है और उनकी नियुक्ति हेतु विभाग क्या व्यवस्था कर रहा है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1974 से दिनांक 31-10-85 तक 1416 बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित छात्र/छात्रायें प्रतीक्षा सूची में हैं । जैसे-जैसे रिक्त उपलब्ध होते रहते हैं, नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है ।

जनपद फर्रुखाबाद के कतिपय विकास खंडों में भवनहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई-स्कूलों का विवरण

55—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड छिबरामऊ सौरिख, तालग्राम एवं राजेपुर में कितने प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल भवन हीन हैं एवं भवन उपलब्ध कराने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जनपद फर्रुखाबाद के प्रश्नगत विकास खण्डों में भवनहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों की स्थिति निम्नवत् है :

1—छिबरामऊ	20
2—सौरिख	26
3—तालग्राम	21
4—राजेपुर	21

जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता है भवनों का निर्माण कराया जा रहा है ।

जनपद मथुरा के अंतर्गत मानागढ़ी गांव के आयुर्वेदिक अस्पताल में डाक्टर का रिक्त पद

56—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मथुरा के मानागढ़ी गांव में जिला परिषद् द्वारा कोई आयुर्वेदिक अस्पताल चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस अस्पताल में पिछले दो साल से कोई डाक्टर कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जी नहीं ।

एकीकृत मानव चिकित्सालय, बरसाना के चिकित्साधिकारी को मानागढ़ी औषधालय के लिए स्थानांतरित किया गया था किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण स्थानान्तरण आदेश का पालन नहीं हो सका ।

उन्नाव जिले के हिलौली रोड से दुंदपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मजदूरी का भुगतान

57—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के हिलौली विकास खण्ड की मौरावां हिलौली रोड से दुंदपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी उन्नाव को लिखे गये पत्र संख्या 251 दिनांक 20-12-85 पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद उन्नाव के विकास खंड हिलौली में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1984-85 में स्वीकृत सम्पर्क मार्ग मौरावां हिलौली रोड से दुन्दपुर मार्ग के निर्माण हेतु लगे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर के जूनियर हाईस्कूलों को प्रारम्भिक अनुदान

58—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के किन-किन बालकों तथा बालिकाओं के जूनियर हाईस्कूलों को वर्ष 1985-86 में प्रारम्भिक अनुदान सूची पर लाया गया है ? यदि अभी तक किसी भी विद्यालय को अनुदान नहीं दिया गया है तो यह अनुदान कब तक स्वीकृत करा दिया जायेगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी नहीं ।

बजट में प्राविधान होने पर विचार करना सम्भव होगा ।

अरबिया अनवारुलउलूम स्कूल भौरहरा, लखीमपुर खीरी के प्रबन्धाधिकरण द्वारा किये गये अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र

59—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अरबिया अनवारुलउलूम स्कूल, धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी के प्रबन्धाधिकरण द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में 30-10-85 को एक शिकायती पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां ।

शिकायत की जांच करायी गयी जो निराधार पायी गयी ।

इलाहाबाद के बारा क्षेत्र में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण में व्यय धनराशि

60—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के बारा क्षेत्र में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 1984-85 में स्वीकृत धूधापुर-पतेवरा मार्ग नौगवा-बारीबजरिया मार्ग, करमा-घूरपुर मार्ग पर कितनी धनराशि व्यय हुई तथा इन मार्गों पर खड़ंजा स्तर तक स्वीकृत धनराशि से कितने कि0 मी0 खड़ंजा लगाया गया तथा पूरा खड़ंजा न लगाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इससे संबंधित लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद इलाहाबाद के बारा क्षेत्र में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में स्वीकृत धूधापुर-पतेवरा मार्ग, नौगवां-बारी-बजरिया मार्ग, करमा-घूरपुर मार्ग पर अब तक कुल 3,82,536 रुपये की धनराशि व्यय हुई । धूधापुर-पतेवरा सम्पर्क मार्ग पर खड़ंजा का कोई प्राविधान नहीं था । नौगवां-बारीबजरिया सम्पर्क मार्ग पर खड़ंजा का कार्य धनाभाव के कारण नहीं किया गया । करमा-घूरपुर सम्पर्क मार्ग पर खड़ंजा पहले से ही लगा था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

61—श्री रमाकान्त मिश्र—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

62—श्री मनोहर लाल—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा खैरहनिया विकास क्षेत्र शिवपुरा में ग्राम समाज के अन्तर्गत वृक्षों के सम्बन्ध में जानकारी

63—श्री मयंकर सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा खैरहनिया विकास क्षेत्र शिवपुरा में ग्राम समाज के सम्पत्ति के अंतर्गत कितने वृक्ष स्थित हैं, कितने वृक्ष ग्राम प्रधान द्वारा कटान करा लिया गया है ? क्या ग्राम प्रधान ने उक्त पेड़ों के कटाने हेतु वैधानिक आज्ञा प्रदान की है तथा कितने एकड़ ग्राम समाज भूमि पर घास खर है ? बिक्री करके कितना धन ग्राम समाज के कोष में जमा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद गोण्डा के अंतर्गत ग्राम सभा खैरहनिया विकास क्षेत्र शिवपुरा में ग्राम समाज की सम्पत्ति के अंतर्गत कुल 43 वृक्ष हैं । गत वर्ष ग्राम प्रधान के लड़के श्री राम कुमार सिंह ने 5 पेड़ शीशम के कटाये थे, जिसके लिए कोई वैधानिक अनुमति प्राप्त नहीं थी । ग्राम समाज की 6 एकड़ भूमि पर घास खर है, जिसकी कोई नीलामी/बिक्री ग्राम प्रधान द्वारा नहीं की गई है और न कोई धन ही ग्राम सभा कोष में जमा किया गया है ।

फैजाबाद से महिनीपुर चलने वाली रोडवेज के बस में खराबी तथा उसके बनवाने में विलम्ब

64—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद से रोडवेज की बस नम्बर यू0 पी0 एक्स0 6529 जो फैजाबाद से महिनीपुर चलती है, दिसम्बर, 1985 में ब्रेक डाउन के कारण 18 दिन बन्द रही और एक प्राइवेट दूकान पर बनवाने के बाद ही चल सकी ? यदि हां, तो विभागीय कर्मचारियों द्वारा बस को ठीक न करने और इतने अधिक समय तक बस सेवा बन्द रखने के लिए कौन दोषी है ?

डाक्टर संजय सिंह—

परिवहन निगम, फैजाबाद क्षेत्र द्वारा संचालित बस संख्या यू0 पी0 एक्स0 6529 फैजाबाद से महिनीपुर नहीं बल्कि पहिनीपुर चलती थी । यह बस दिसंबर 1985 में ब्रेकडाउन के कारण 8 दिन बन्द रही । उक्त बस निगम के ही कर्मचारियों द्वारा ठीक की गयी । किसी प्राइवेट दूकान पर नहीं बनवायी गयी ।

अकबरपुर में टाटा वाहनों के मरम्मत की ही सुविधा है । लीलैण्ड वाहन होने के कारण इस वाहन को फैजाबाद से सामग्री व कर्मचारी बुलवाकर ठीक कराया गया जिसके कारण विलम्ब हुआ । इस विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं था ।

आगरा जनपद के विकास खण्ड शमशाबाद के कतिपय व्यक्तियों को फर्जी तौर से दिये गये डीजल, पम्प व खाद की धन-राशि में छूट की जांच

65—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के खण्ड समसाबाद के मोहन सिंह श्री कृष्ण, श्यो प्रसाद प्रेम सिंह, हीरा सिंह निवासी क्रमशः ग्राम पावसर, सेवला, गौरवा, गुढ़ा पावसर तथा हज्जूपुरा के रघुवीर सिंह व भगवान सिंह धनी किसानों को क्रमशः फर्जी तौर पर लघु व सीमान्त किसानों को डीजल पम्प व खाद पर मिलने वाली अनुदान की धनराशि की छूट वर्ष 1984-85 में दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दण्डित करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

आगरा जनपद के विकास खण्ड शमशाबाद के सर्व श्री मोहन सिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र, श्री कृष्ण पुत्र श्री दीवान सिंह श्री हीरा सिंह पुत्र श्री मलखान सिंह सभी निवासी ग्राम पावसर तथा श्री श्यो प्रसाद पुत्र श्री पन्ना लाल निवासी ग्राम सेवला गौरवा एवं प्रेमसिंह पुत्र श्री टुण्डा, निवासी ग्राम गुढ़ा और सर्व श्री राघुबीर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह तथा भगवान सिंह पुत्र श्री देबी सिंह निवासी ग्राम हज्जूपुरा, तहसीलदार फतेहाबाद द्वारा लघु /सीमान्त कृषक के खाते के आधार पर प्रेषित सूची के अनुसार, लघु कृषक की श्रेणी में आते हैं । अतएव इन्हें नियमानुसार, पम्पसेट के क्रय पर वर्ष 1984-85 में अनुमन्य अनुदान दिया गया था । उक्त लाभार्थियों को वर्ष 1984-85 में खाद के क्रय पर कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

वाराणसी के विकास खण्ड पिंडरा अन्तर्गत ग्राम सभा बनाये गये विक्रमपुर में ग्राम प्रधान के चुनाव की मांग

66—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास व पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास खण्ड पिंडरा अंतर्गत ग्राम सभा खालिसपुर से गांव विक्रमपुर को अलग करके 21 जुलाई, 1981 से एक ग्राम सभा दर्जा प्रदत्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो ग्राम सभा विक्रमपुर के प्रधान का चुनाव कब होगा ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

निदेशक पंचायत राज, उत्तर प्रदेश की विज्ञप्ति संख्या 3/69/81-7-27-77, दिनांक 24-1-81 द्वारा ग्राम विक्रमपुर को गांव सभा बना दिया गया ।

चुनाव कराये जाने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ।

मुरादाबाद में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना की प्रगति रिपोर्ट एवं नये पुराने लाभार्थियों की सूची में भ्रष्टाचार की जांच

67—श्री मो0 रिजवानुल हक—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण मुरादाबाद के आदेश दिनांक 15-10-85 पत्रांक 4952/आई आर0 डी0/एम0 पी0 आर0 के बावजूद भी खण्ड विकास अधिकारी मूढ़ा पांडा श्री मेहरोत्रा ने एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के नये एवं पुराने लाभार्थियों की सूची इस कारण उपलब्ध नहीं करायी कि उसमें अधिकांश धनी एवं व्यावसायिक व्यक्तियों का चयन किया गया है क्या उक्त भ्रष्टाचार की जांच करा कर दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

खण्ड विकास अधिकारी मूढ़ा पाण्डे ने आदेश दिनांक 15-10-85 पत्रांक-4952/आई0 आर0 डी0/एम0 पी0 आर0 के अनुसार माह सितम्बर, 1985 तक एकीकृत ग्राम्य विकास योजना की प्रगति रिपोर्ट एवं नये तथा पुराने लाभार्थियों की सूची मा0 सदस्य महोदय को उनके विकासखंड मुख्यालय पहुंचने पर दिनांक 15-10-1985 को उपलब्ध करा दी थी ।

खण्ड विकास अधिकारी मूढ़ापाण्डे द्वारा लाभार्थियों का चयन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया गया है और केवल उन्हीं लाभार्थियों का चयन किया गया है, जो इसी श्रेणी में आते हैं और अनुदान पाने के पात्र हैं । धनी एवं व्यावसायिक व्यक्तियों का चयन नहीं किया गया है । अतः किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के0 के0 मेहरोत्रा खण्ड विकास अधिकारी मूढ़ापाण्डे, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

68—श्री मो0 रिजवानुलक हक—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 24-10-85 को उन्हें प्राप्त हुआ जिसमें श्री के0 के0 मेहरोत्रा खंड विकास अधिकारी मूढ़ा पाण्डे जनपद मुरादाबाद की शिकायत की गयी थी कि उन्होंने विभिन्न योजनाओं एन0 आर0 ई0 पी0 व आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 में सरकारी धन का दुरुपयोग व गोल माल किया था तथा फर्जी मस्टररोल तथा वाउचर तैयार कराये हैं ? यदि हां तो मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा करायी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जी नहीं ।

इस मामले की जांच अतिरिक्त कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 ने की है । शिकायत में 11 बिन्दु उठाये गये थे और इनमें से 9 बिन्दुओं की जांच अब तक पूर्ण हो चुकी है और इन बिन्दुओं द्वारा लगाये गये आरोप निराधार पाए गये हैं । बिन्दु 2 व 8 के सम्बन्ध में जांच चल रही है तथा जांच पूर्ण होने पर माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जायगा । बिन्दु-2 एन0 आर0 ई0 पी0/आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 सड़क निर्माण के पूर्व खंड विकास अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कराने तथा बिन्दु 8 रामपुर भीला में बन रहे तालाब में किये गये तथाकथित घोटाले से संबंधित है ।

प्रदेश में स्थित मुस्लिम वक्फ सम्पत्तियों के अनधिकृत क्रय एवं विक्रय

69—श्री फजलुल बारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित मुस्लिम वक्फ सम्पत्तियों के अनाधिकृत क्रय एवं विक्रय की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने के लिये सरकार किसी व्यवस्था पर विचार कर रही है ? यदि हां तो उसको क्रियान्वित कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समयबद्ध वेतनमान

70—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक राजकीय कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें भी दस वर्ष की सेवा के उपरान्त समयबद्ध वेतनमान देने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

जी नहीं । नियमित शिक्षकों को चयन वेतनमान दिनांक 18-12-81 को शिक्षक प्रतिनिधियों से हुये समझौते पर 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा के आधार पर दिया गया है ।

प्रदेश में सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों तथा माडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का वेतन-क्रम

71—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आदर्श विद्यालयों से प्रोन्नत सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों तथा माडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का वेतनक्रम क्या है ? क्या सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों से माडल स्कूल के प्रधानाध्यापकों का ग्रेड अधिक है ? यदि हां तो इसका क्या कारण है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

सी0 टी0 वेतनक्रम रु0 450-720 तथा माडल स्कूल के प्रधानाध्यापकों का वेतनक्रम रु0 490-860 है ।

जी हां ।

माडल स्कूल के प्रधानाध्यापकों के कर्तव्य एवम् दायित्व अधिक होने के कारण उनका वेतनमान सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों से अधिक रखा गया है ।

जनपद बदायूं के स्थानीय राजकीय इण्टर कालेज में जीव विज्ञान एवं इतिहास प्रवक्ताओं की व्यवस्था

72—श्री अवनीश कुमार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं के स्थानीय राजकीय इण्टर कालेज के जीव विज्ञान एवं इतिहास प्रवक्ताओं की व्यवस्था एक वर्ष से नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश एवं प्रतिस्थानी की व्यवस्था की कठिनाई के कारण रिक्तियों की व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

72अ—श्री जयदीप सिंह बरार—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

अलीगढ़ के ग्राम नाई नगला ताहर में सीनियर बेसिक विद्यालय की स्थापना तथा अन्य विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य

73—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा समिति अलीगढ़ के निर्णय के अनुसार जिला योजना वर्ष 1985-86 के अंतर्गत स्वीकृति सीनियर बेसिक विद्यालय ग्राम नाई नगला ताहर में नहीं खोला गया तथा जिला योजना 85-86 में स्वीकृत भवन निर्माण हेतु अनुदान की राशि से ग्राम श्यामपुर मानिकपुर (वि0 खण्ड सिकन्दराराऊ) तथा ग्राम खेड़ी सुल्तानपुर (वि0 खण्ड हसायन) में जू0 वे0 विद्यालय के भवनों के निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं कराये गये ? यदि हां तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

ग्राम नाई नगला ताहर में सीनियर बेसिक विद्यालय अभी नहीं खोला गया है ।

जी हां ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

अलीगढ़ में बालाहार योजना के अन्तर्गत घोटाले की जांच

74—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रा0 शिक्षक संघ अलीगढ़ के महामंत्री श्री नर सिंह पाल सिंह ने जनपद में बालाहार

योजना के अंतर्गत घोटाले की शिकायत आपसे और जिलाधिकारी अलीगढ़ से माह नवम्बर, 1985 में की थी ? यदि हां तो जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां, शिकायत दिसम्बर माह में की गई थी ।

जांच चल रही है, शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ के बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की नई नियुक्तियां

75—श्री जगवीर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की बे0 प्रा0 पाठशालाओं में अध्यापकों की छात्र संख्या को देखते हुए भारी कमी है ? यदि हां तो क्या शासन अध्यापकों की नई नियुक्तियां कर कमी को पूरा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां ।

विचार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अखण्ड प्रताप सिंह, ग्राम दारोडीहा फैजाबाद वगैरह की शिकायती-पत्रों की जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही का विवरण

76—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अखण्ड प्रताप सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट दारोडीहा जनपद फैजाबाद तथा श्री राम अवतार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट अशरफपुर बरवा, जनपद फैजाबाद का शिकायती प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-8-85 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से करायी गयी और जांच रिपोर्ट तथा उस पर कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षार्थी श्री रमेश कुमार शाही का परीक्षाफल

77—श्री देव कुमार यादव—

क्या यह सही है कि हाईस्कूल परीक्षा 1983-84 में अनुक्रमांक 1370721 से आदर्श बजरंग इण्टर कालेज बांदा केन्द्र से हाईस्कूल विज्ञान की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी श्री रमेश कुमार शाही पुत्र श्री अनिरुद्धशाही को प्रयोगात्मक परीक्षा (विज्ञान) में अनुपस्थित दिखा कर उसका परीक्षा फल अब तक रोक रखा गया है जबकि परीक्षा फार्म स्वीकृत करने वाले केन्द्र राजकीय इण्टर कालेज मटौंध जनपद बांदा में उक्त छात्र को उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने के प्रमाण उपलब्ध है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त परीक्षार्थी के परीक्षाफल को तत्काल घोषित करके इस धांधली के उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह—

नहीं । हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षा 1984 के परीक्षार्थी रमेश कुमार शाही, अनुक्रमांक 1370721 का परीक्षाफल, विज्ञान प्रयोगात्मक के अंक अनुपलब्ध होने के फलस्वरूप परीक्षार्थी को अनुपस्थित दिखा कर, पूर्ण किया गया था । माननीय विधायक जी के पत्र दिनांक 20-1-86 के आधार पर, निर्धारित केन्द्र से विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक

प्राप्त करके संबंधित परीक्षार्थी का परीक्षाफल संशोधित करके जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा के माध्यम से पुस्तक संख्या 464/86, दिनांक 17-3-86 द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज मटौंध, बांदा को भेजा जा चुका है ।

परीक्षाफल घोषणा में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड जहांगीराबाद ऊंचागांव में प्राइमरी पाठशालाओं की कमी

78—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड जहांगीराबाद ऊंचागांव में कितने ऐसे ग्राम हैं जिनमें प्राइमरी पाठशाला नहीं है जिन ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला नहीं है उनमें पाठशाला खोलने में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

प्रश्नगत विकास खण्डों में 59 ग्राम ऐसे हैं जहां प्राइमरी पाठशाला नहीं है ।

असंवित क्षेत्रों में प्राइमरी पाठशालाओं की स्थापना यथासम्भव वर्षानुवर्ष की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अमौसी डिपो की लखनऊ से कानपुर आ रही बस में कन्डक्टर द्वारा यात्रियों को फर्जी टिकट बेचने की जांच

79—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि ता0 27-3-83 को अमौसी डिपो की लखनऊ से कानपुर आ रही एक बस में कन्डक्टर ने यात्रियों को फर्जी टिकट बेचे और प्रबन्ध निदेशक ने जांच का मामला उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निरोधक समिति के पदाधिकारियों को सौंपा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है कि जांच रपट में क्या पाया गया ? जांच रिपोर्ट को किस तारीख को आयुक्त परिवहन को प्रस्तुत किया गया ? जांच में किनको दोषी पाया गया उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी नहीं । अतः इस पर अन्य अगली कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता किन्तु एक अन्य मामले में उप प्रधान प्रबन्धक केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर ने अपने पत्र संख्या डीजीएम/5905 एम, दिनांक 11-7-83 द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ को टिकटों की अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र लिखा था, जिसकी प्रतिलिपि श्री कमलेश कुमार बाजपेयी, अध्यक्ष, भ्रष्टाचार निरोधक समिति को भी पृष्ठांकित की थी । पत्र में यह भी सूचित किया गया था कि श्री बाजपेयी दिनांक 10-7-83 को प्रबन्ध निदेशक महोदय से मिले थे और प्रबन्ध निदेशक ने यह निर्देश दिया था कि श्री बाजपेयी लखनऊ क्षेत्र में जो भी परिपत्र देखना चाहें, उन्हें दिखा दिये जायं ।

श्री बाजपेयी दिनांक 23-7-83 को क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ से मिले और उनके कार्यालय में अभिलेखों का अवलोकन किया तथा 4374 एवं 4376 (बच्चा टिकट) की फोटो प्रति उपलब्ध करायी परन्तु प्रश्नगत टिकटों की मूलप्रतियां, बस संख्या, मार्ग एवं तिथि की सूचना देने में श्री बाजपेयी ने असमर्थता व्यक्त की । उपरोक्त टिकटों की मूलप्रति भी श्री बाजपेयी द्वारा नहीं दिखायी गयी । क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ के कार्यालय द्वारा यह सूचनाएं उनसे लिखित रूप में मांगी गयी परन्तु उनके द्वारा उक्त बिन्दुओं पर कोई सूचना नहीं दी है । अतएव इस प्रकरण पर

वांछित सूचनायें उपलब्ध होने पर ही आगे कोई कार्यवाही सम्भव हो सकती है ।

श्रीमती मुक्तेश्वरी देवी श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त सहायक अध्यापिका, कन्या क्रमोत्तर पाठशाला, जगदीशपुर, सुल्तानपुर की ग्रेच्युटी तथा पेंशन

80—श्री मु0 आजम खां—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रीमती मुक्तेश्वरी देवी श्रीवास्तव सेवा निवृत्त सहायक अध्यापिका, कन्या क्रमोत्तर पाठशाला जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर किस दिनांक को सेवा निवृत्त हुयी थीं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि श्रीमती श्रीवास्तव की ग्रेच्युटी का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक पेन्शन भुगतान प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

दिनांक 30-6-85 को ।

जी नहीं ।

परिषदीय अध्यापकों को ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं है ।

औपचारिकताएं पूर्ण होते ही ।

आगरा जनपद में बालाहार योजना के अंतर्गत व्यय धनराशि तथा उसका क्रियान्वयन

*81—श्री चन्द्रभान मौर्य –

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में वर्ष 1984-85 में बालाहार योजना के अन्तर्गत कितने रुपये का व्यय किया गाया ? क्या यह योजना उन स्कूलों में लागू की जाती है जहां हरिजन स्कूलों की संख्या 35 प्रतिशत से कम न हो ? वर्ष 1984-85 में कुल कितने स्कूलों में यह योजना लागू की गयी तथा उनमें से कितने हरिजन स्कूल थे ? क्या मंत्री जी इस मामले की जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

कुल रुपया 7,55,242-45 व्यय हुआ । शिक्षा विभाग द्वारा केन्द्र को खोलने में हरिजन स्कूलों की संख्या का कोई ऐसा निर्धारित मानक नहीं है । बरोजना के आधार पर अनुसूचित जाति, जन जाति, बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित संचालित प्राइमरी स्कूलों में योजना लागू की जाती है ।

वर्ष 1984-85 में कुल 177 विद्यालयों में यह योजना लागू की गई थी उनमें से कोई भी हरिजन स्कूल नहीं था ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला परिषद् आगरा के अन्तर्गत हड्डी एवं खाल आदि का लाइसेन्स

82—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् आगरा के अन्तर्गत हड्डी, खाल आदि के लाइसेन्स वर्ष 1985-86 में जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और इनको जारी करने का आधार क्या है क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में बनाये गये उप नियमों पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये लाइसेन्स जारी किये गये हैं और इससे जिला परिषद् आगरा की लाखों रुपये की हानि हो रही है ? क्या इस लाखों रुपये की हानि के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । जिला परिषद् आगरा द्वारा बनाई गयी उपविधियों के आधार पर 49 लाइसेन्स जारी किये गये हैं । यह सही है कि परिषद् द्वारा बनाई गयी उपविधियों पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की प्रत्याशा में यह लाइसेन्स जारी किये

गये हैं परन्तु इससे जिला परिषद् आगरा को कोई हानि नहीं हो रही है तथा उपविधियों पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति दिनांक 24-8-85 को प्राप्त कर ली गई है । ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जनपद के कतिपय विकास खण्डों में महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या तथा शिक्षिकाओं का चयन

83—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विकास खण्ड टूण्डला एतमादपुर तथा खंदौली में ब्लाक वाइज कितने महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं ? वर्ष 1985-86 का अनुमानतः व्यय क्या है और उनमें अनुसूचित जाति की तथा पिछड़ी जाति की प्रौढ़ शिक्षकों की संख्या क्या है ? क्या यह सही है कि व्यवहार में कहीं भी प्रौढ़ शिक्षा का कार्य नहीं चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो जिला चयन समितियों द्वारा योग्य शिक्षिकाओं का चयन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

आगरा जनपद के विकास खण्ड टूण्डला में 130 तथा एतमादपुर में 170 कुल 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र वर्ष 1985-86 में खोले गये । यह सभी केन्द्र महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं । विकास खण्ड खंदौली में अभी कोई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं खोला गया है । विकास खण्ड टूण्डला एवं एतमादपुर में संचालित 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की परियोजना का वर्ष 1985-86 का अनुमानित व्यय 7,26,449 रु0 है । इन 300 केन्द्रों पर कार्यरत महिला अनुदेशकों में अनुसूचित जाति की प्रौढ़ शिक्षिकाओं की संख्या 39 तथा पिछड़ी जाति की प्रौढ़ शिक्षिकाओं की संख्या 74 है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए योग्य शिक्षिकाओं का चयन परियोजना स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

84—श्री काशी सिंह ऐरी—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश छात्र कल्याण निधि समिति सचिवालय, लखनऊ से छात्रों को अनुदान दिये जाने की सूचना का विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन

85—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन छात्र कल्याण निधि समिति सचिवालय लखनऊ से छात्रों को अनुदान दिये जाने की सूचना के साथ छात्रों से प्रार्थना-पत्र मंगाने के लिए 1985-86 में किस-किस दैनिक/साप्ताहिक समाचार-पत्रों (या अन्य विज्ञापन माध्यमों से) में क्रमशः कब-कब विज्ञापन प्रकाशित किये गये ? इस हेतु अंतिम तिथि क्या घोषित की गयी थी ?

डाक्टर संजय सिंह—

विज्ञापन निम्नलिखित समाचार-पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों के अंकों में प्रकाशित हुये :

डा0 संजय सिंह—

	तिथि
1—दैनिक अमर उजाला, आगरा	12-12-85
2—दैनिक अमर उजाला, बरेली	11-12-85
3—दैनिक आज, गोरखपुर	14-12-85
4—दैनिक आज, वाराणसी	13-12-85

	तिथि
5—दैनिक जागरण, कानपुर	12--12-85
6—दैनिक नव भारत टाइम्स, दिल्ली	14-12-85
7—दैनिक स्वतन्त्र भारत, लखनऊ	13-12-85

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 1985 थी ।

86—श्री काशी सिंह एेरी—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

प्रदेश के परिवहन आयुक्त द्वारा किराये पर चलने वाली टूरिस्ट टैक्सी कैबों को दो रंग में करने के निर्देश

87—श्री काशी सिंह एेरी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन आयुक्त ने अपने अगस्त, 85 के आदेशानुसार दिनांक 28-8-85 से किराये पर चलने वाली टूरिस्ट टैक्सी कैबों को दो रंग में करने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो पर्यटकों को टैक्सी में बैठने की प्रचलित मानसिकता के आधार पर टैक्सी चालन व्यवसाय करने वालों के जीवन यापन का ध्यान रखते हुए किसी प्रकार का रंग भेद न रखने के निर्देश देगी ताकि व्यक्तिगत और टैक्सी कैबों में रंग में अन्तर न हो ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

राज्य परिवहन प्राधिकारण उत्तर प्रदेश जो एक अर्धन्यायिक संस्था है, ने अपने प्रस्ताव दिनांक 23-8-85 द्वारा यह आदेश दिये थे कि स्पेशल टूरिस्ट टैक्सी कैब परमिट (अम्बेसडर तथा फियेट) केवल निम्नांकित को दिये जायेंगे ।

(1) मान्यता प्राप्त टूरिस्ट एजेन्सियां ।

(2) एेसे होटल जो पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिये टैक्सी व्यवसाय कर रहे हों । उनके द्वारा पिछले संतोषजनक टैक्सी व्यवसाय के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने पर ।

(3) आल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी कैब परमिटधारी ।

उपरोक्त श्रेणी से भिन्न प्रार्थियों को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए केवल साधारण टैक्सी कैब परमिट दिये जा सकते हैं जिससे आछादित गाड़ियों का काली-पीली रंग में होना आवश्यक है । रंग भेद को समाप्त करने का मामला राज्य परिवहन प्राधिकरण के विचाराधीन है तथा टूरिस्ट टैक्सियों को दो रंगों में रखने के बजाय जब इसके लिए अलग पंजीयन चिन्ह आवंटित करने का प्रस्ताव है ताकि इनकी प्राइवेट कारों से अलग पहचान हो सके ।

87-अ—श्री काशी सिंह एेरी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन आयुक्त के द्वारा अगस्त 1985 में निकाले गये दिनांक 28-8-1985 से प्रभावी आदेश को किन कारणों/नीतियों के आधार पर जारी किया गया है कि टैक्सियों के रंगों में अन्तर किया जाय, उपरोक्त आदेश के पूर्व के रंगों की दशा किस नियमों पर आधारित थी ?

डाक्टर संजय सिंह—

राज्य परिवहन प्राधिकारण उत्तर प्रदेश के समक्ष कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि इक्साइइज रिबेट प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों द्वारा फियेट/अम्बेसडर स्पेशल टूरिस्ट टैक्सी (एक रंग) का परमिट प्राप्त कर उनका प्रयोग निजी रूप में करते हैं । फलस्वरूप जनता को यातायात की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है तथा परमिट देने

के उद्देश्य भी फलीभूत नहीं हो पाता । इसलिए इन टैक्सियों के निजी रूप में प्रयोग करने पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने गुणों व अवगुणों को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त आदेश पारित किये हैं ।

उत्तर प्रदेश नियमावली के नियम 130-ए के उप नियम बी के परन्तुक के अनुसार टूरिस्ट मोटर कैब काले तथा पीले रंग में होने की आवश्यकता से मुक्त हैं । अन्य मोटर कैब का काले पीले रंग में होना अनिवार्य है ।

पौण्ड कीपर के पद से सेवा निवृत्त श्री शिवदास प्रसाद, निवासी सेमरिया जगन्नाथवासी चित्रकूट बांदा की पेंशन ग्रेच्युटी तथा बीमा

88—श्री राम सजीवन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिवदास प्रसाद, निवासी सेमरिया जगन्नाथ वासी चित्रकूट बांदा जिला परिषद् में दिनांक 8-12-50 से 30-6-81 तक पौण्ड कीपर के पद पर कार्य करने के बाद रिटायर हो गये ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उन्हें 1-4-60 से पूरा वेतनमान मिलता था ? यदि हां, तो उनकी पेंशन ग्रेच्युटी व बीमा की राशि इतनी लम्बी अवधि के बाद भी न मिलने के क्या कारण हैं ? उसके लिए कौन दोषी है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जी नहीं । श्री शिवदास प्रसाद त्रिपाठी को दिनांक 1-4-60 से नहीं वरन् दिनांक 10-8-60 से पूर्णकालिक अस्थायी पौण्ड कीपर के पद का वेतन मिलना प्रारम्भ हुआ था । प्रश्नगत कर्मचारी ने जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1972 के नियम 3 (ग) के अनुसार पेंशन लेने का विकल्प पत्र नहीं भरा था अर्थात् पेंशन, ग्रेच्युटी लेना स्वीकार नहीं किया था । इसलिए उन्हें पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान अनुमन्य नहीं था ।

श्री शिवदास त्रिपाठी को उनकी बीमा की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है । इस संबंध में हुए विलम्ब के लिए संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दे दी गयी है ।

श्रीमती कमला कटियार, सहायक विकास अधिकारी (महिला) विकास खण्ड बहुवा, फतेहपुर का स्थायीकरण

89—श्री राम सजीवन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती कमला कटियार सहायक विकास अधिकारी (महिला) विकास खण्ड बहुवा जिला फतेहपुर विगत 22 वर्षों से इस पद पर कार्यरत हैं और इसके पूर्व 9 वर्षों तक ग्राम सेविका के पद पर कार्य किया है ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया ? क्या आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश (कार्यक्रम अनुभाग), लखनऊ के आदेश संख्या सा0 9/एल/या--1-1-74, दिनांक दिसम्बर 15/17, 1979 के अनुपालन में उन्हें जिला उन्नाव से स्थायी होना था ? अभी तक स्थायी न करने के लिए कौन दोषी है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्रीमती कमला कटियार महिला मंगल योजना की छटनीशुदा कार्यकत्री होने के कारण वर्ष 1968 में व्यवहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें सहायक विकास अधिकारी (महिला) के पद पर खपाया गया और उन्होंने व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायक विकास अधिकारी (म0) के पद पर दिनांक 16-11-1968 को योगदान किया और

तबसे इस पद पर निरन्तर कार्यरत हैं । इनकी सेवायें लगभग 18 वर्ष की हो गयी हैं । विघटित महिला मंगल योजना से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार श्रीमती कटियार महिला मंगल योजना में दिनांक 1-11-1963 से सहायक विकास अधिकारी (म0) के पद पर कार्यरत थी । महिला मंगल योजना में ग्राम सेविका के पद पर नियुक्ति के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति ग्राम्य विकास विभाग में सीधे सहायक विकास अधिकारी (म0) के पद पर ही की गयी थी ।

जी नहीं ।

जी हां ।

श्रीमती कटियार के अभी तक स्थायीकरण न करने के लिये श्री अविनाश कुमार निगम, सहायक जिला विकास कार्यालय, उन्नाव दोषी थे । जिन्हें उक्त मामले में बरती गयी लापरवाही के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है । उनकी सेवा पुस्तिका और चरित्र पंजिका के अवलोकन के पश्चात् उनके स्थायीकरण के प्रश्न पर शीघ्र विचार कर लिया जायेगा ।

90—श्री राम सजीवन—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

91—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

[9वें सोमवार के लिए स्थगित]

सीतापुर में श्री यतीन्द्र कुमार त्रिपाठी का परिचालक के पद पर नियमितीकरण

92—श्री राम सागर, श्री भगवानदीन कुशवाहा, श्री गया प्रसाद वर्मा तथा श्री जगमोहन सिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि यतीन्द्र कुमार त्रिपाठी जिन्हें चतुर्थ श्रेणी पद से परिचालक पद पर दिनांक 13-5-80 को नियुक्त किये जाने के उपरान्त नियमित न करके कनिष्ठ लोगों को नियमित नियुक्ति प्रदान कर दी गयी ? यदि हां, तो इन्हें ड्यू तिथि से नियमित कब तक कर दिया जायेगा ? क्या यह भी बतायेंगे कि इन्हें डिपो प्रबन्धक सीतापुर के पत्रांक 4394 दि0 12-9-84 के द्वारा डिसइंगेज कर दिया गया जबकि श्रम कानूनों में ऐसा प्राविधाना नहीं है एवं तदुपरान्त पत्रांक 4397, दिनांक 12-9-84 द्वारा आरोप-पत्र का उत्तर देने हेतु निर्देशित किया गया ? ऐसा क्यों ? इस अवैधानिक आदेश को समाप्त कर वरिष्ठता एवं वेतन का लाभ कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

ड्यू तिथि से इन्हें नियमित करना सम्भव नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े जाने तथा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप इन्हें वरिष्ठता सूची के अंतिम क्रम पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया था ।

श्री त्रिपाठी अल्पकालीन रिक्तियों में कार्य कर रहे थे तथा 30-6-84 तक ही इन्होंने कार्य किया था । भ्रष्टाचार के मामलों में इन्हें पत्रांक 2357, दिनांक 30-6-82 द्वारा आरोप-पत्र दिया गया था जिसकी जांच में वे असहयोग कर रहे थे । अतः डिपो प्रबन्धक ने वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी को पत्र दि0 12-9-84 द्वारा इन्हें पुनः ड्यूटी पर न लिये जाने के सम्बन्ध में निर्देश भेजे थे, इसमें श्रम कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया ।

नियुक्ति अधिकारी द्वारा पारित दन्डादेश अवैधानिक नहीं था । श्री त्रिपाठी ने उक्त आदेश दिनांक 18-7-85 के विरुद्ध कोई अपील नहीं की है । अतः आदेश को समाप्त करने एवं उन्हें

वरिष्ठता वेतन सम्बन्धी कोई लाभ अनुमन्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री आर0 एन0 तिवारी आशुलिपिक परिवहन झांसी क्षेत्र का निलम्बन

93—चौधरी महराज सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री भगवान दीन कुशवाहा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 एन0 तिवारी, आशुलिपिक, झांसी क्षेत्र का दिनांक 25-6-84 का निलम्बन आदेश मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के निर्णय दिनांक 1-8-84 द्वारा निरस्त होने के बाद बिना किसी प्रशासनिक निरस्तीकरण आदेश के पुनः 13-10-84 को निलम्बित करने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि श्री तिवारी को जीवन निर्वाह भत्ते से मिलने वाली धनराशि से भवन निर्माण अग्रिम की वसूली की जा रही है, जो अनियमित है ? क्या यह भी सही है कि जिस अधिकारी ने निलम्बन के आदेश तथा आरोप-पत्र जारी किये हैं वह उसके लिये सक्षम नियुक्ति अधिकारी नहीं है ? यदि हां तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराके अनियमित आदेशों को निरस्त कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संदर्भ में 4/5 सितम्बर, 1985 को श्री जगमोहन सिंह, बृजेन्द्र पाल सिंह, गया प्रसाद वर्मा तथा अन्य विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षर से तथा नेता विरोधी दल विधान सभा, उत्तर प्रदेश का दिनांक 10 सितम्बर, 85 का कोई पत्र प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

श्री आर0 एन0 तिवारी, आशुलिपिक को तत्कालीन संयुक्त प्रधान प्रबंधक (प्रशा0 एवं का0) के आदेशानुसार निलम्बित किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 1-8-84 द्वारा यह निर्णय लिया था कि संयुक्त प्रधान प्रबन्धक श्री तिवारी को निलम्बित करने के लिए सक्षम् अधिकारी नहीं थे । अतएव उच्च न्यायालय ने निलम्बन आदेशों को अवैध ठहराते हुये उन्हें निरस्त करने के आदेश दिये तथा मत व्यक्त किया कि सक्षम अधिकारी श्री तिवारी के विरुद्ध नियमानुसार नये आदेश पारित कर सकते हैं । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निलम्बन आदेश निरस्त किये जाने के पश्चात् किसी अन्य निरस्तीकरण आदेश की आवश्यकता नहीं थी । अतः सक्षम् अधिकारी द्वारा पुनः दिनांक 13-11-84 को निकाला गया निलम्बन आदेश उचित है ।

परिवहन निगम एक स्वशासी संस्था है । इस प्रकरण में निगम द्वारा वित्त हस्त पुस्तिका भाग-5 खण्ड 1 पैरा 250 के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है ।

जी नहीं श्री तिवारी के विरुद्ध निलम्बन आदेश प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्गत किये गये हैं जो निदेशक मण्डल द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत श्री तिवारी को निलम्बित करने के लिये सक्षम थे । क्षेत्रीय कार्यालय के आशुलिपिक का नियुक्ति प्राधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक में निहित है जो कि आरोप पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी है । श्री तिवारी के विरुद्ध क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आरोप-पत्र जारी किया गया है जो नियमानुकूल है । अतः निलंबन आदेश एवं आरोप पत्र निरस्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । श्री जगमोहन सिंह, श्री बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री गया प्रसाद तथा अन्य विधायकों तथा नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र दिनांक 10-9-85 प्राप्त हुआ जिसमें श्री आर0 एन0 तिवारी, आशुलिपिक, झांसी क्षेत्र को सवेतन बहाल करने एवं उनके अवशेष वेतन और भत्तों का भुगतान करने का अनुरोध किया गया था ।

श्री तिवारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही गतिशील थी । अतएवं माननीय विधायकों की संस्तुतियों के अनुसार कोई कार्यवाही सम्भव नहीं थी ।

ललितपुर जनपद की मड़ावरा, मदनपुर मार्ग से पहाड़ी गांव के सम्पर्क पर ओड़ी नदी पर पुल का निर्माण

94—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद की मड़ावरा, मदनपुर मार्ग से पहाड़ी गांव के सम्पर्क पर ओड़ी नदी का पुल बनाने का, सरकार का कोई विचार है जबकि प्रतिवर्ष वर्षा काल से शरद् ऋतु तक सैकड़ों जानवर ओड़ी नदी पार करने में काल कवलित हो जाते है तथा बीमारी से पीड़ित लोग पहाड़ी गांव में दम तोड़ देते है ? यदि हां, तो जन सुविधाओं के लिए उक्त पुल कब तक निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 1,00,000 रु0 की धनराशि प्रश्नगत पुल/काजले के शीघ्र निर्माणार्थ संबंधित ग्राम सभा को हस्तान्तरित करने के आदेश जिलाधिकारी ललितपुर द्वारा दे दिये गये है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका जूनियर बेसिक विद्यालय सफेदाबाद, बाराबंकी द्वारा प्रस्तुत किया गया चिकित्सा प्रमाण-पत्र

95—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

विधान सभा के वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र के 6वें सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 91 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित अध्यापिका ने किस तिथि को चिकित्सा अवकाश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया एवं किस तिथि को लिखित अनुरोध किया कि उक्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर मु0 चिकित्सा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराना संभव नहीं है अतः ऐसे ही चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कर दिया जाय ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

चिकित्सा प्रमाण पत्र देखने से स्पष्ट नहीं होता कि किस तिथि को प्रस्तुत किया गया है और श्रीमती कमला देवी द्वारा दिये गये पत्र पर भी कोई तिथि अंकित नहीं है ।

जिला परिषद् नैनीताल में विभिन्न पदों पर अन्य विभागों के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति तथा उनके स्थानान्तरण पर रोक

96—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल की जिला परिषद् में विगत पांच वर्षों से कौन-कौन से कर्मचारी (द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के) प्रतिनियुक्तियों पर अन्य विभागों से लगातार बने हुये है ? इन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण सरकारी आदेश के बाद भी रोक दिये गये ? इस प्रकार शासनादेशों को न मानने एवं उसे बदलने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् नैनीताल में विगत पांच वर्षों से द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कोई कर्मचारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्त पर कार्यरत नहीं है ।

रतनसेन डिग्री कालेज बांसी, बस्ती की बी0 एड0 प्रविष्टियों में जाली प्रमाण-पत्र

97—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रतन सेन डिग्री कालेज बांसी जनपद बस्ती में सत्र 1985-86 की तीन चौथाई बी0 एड0 प्रविष्टियां जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर की गयी हैं ? यदि नहीं, तो वर्तमान सत्र की समस्त 180 छात्रों के प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां या प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रतियां सदन के पटल पर रखी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

प्राप्त शिकायत की जांच करने के आदेश दिये गये हैं ।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि जांच की जा रही है ।

मुहल्ला तुरकहिया बाकर मंजिल, गांधी नगर, बस्ती में वक्फ नं0 24 की सम्पत्ति का विवरण

98—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि 19 दिसम्बर, 1916 में मुहल्ला तुरकहिया बाकर मंजिल गांधी नगर, बस्ती में वक्फ नं0 35 भी श्री निसार हुसेन ने किया था ? यदि हां, तो उक्त वक्फ के पास कितनी सम्पत्ति थी ? 30 दिसम्बर, 1985 तक कितनी सम्पत्ति है ? क्या उक्त वक्फ की सम्पत्ति कुछ स्थानान्तरित की गई है ? यदि हां, तो किसकी अनुमति से ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं, श्री निसार हुसैन पुत्र श्री सलामत हुसैन ने 19 दिसम्बर, 1916 ई0 को वक्फ नं0 24 तुरकहिया तप्पा देवरवा, गांधी नगर, पक्का बाजार जिला बस्ती जिसके अन्तर्गत तीन कोठरियों वाला एक पक्का मकान तथा दो किस्ता मकानात जिसमें एक जनाना व एक मरदाना था, वक्फ किया था ।

उक्त वक्फ सम्पत्ति में से तीन कोठरियों वाला एक मंजिला मकान वाकिफ द्वारा सन् 1927 में श्री मोहम्मद सईद के हित में हिबा के रूप में स्थानान्तरण किया गया था । इस सम्पत्ति को सिविल जज बस्ती ने वक्फ घोषित किया था जिसके विरुद्ध दूसरी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय में अपील में गई है । अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

गोरखपुर मण्डल में जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकृत होने की दशा में योग्यतानुसार प्रधानाध्यापक बनाये जाने की मांग

99—श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में वर्ष 80-81 से 84-85 तक कितने जू0 हा0 स्कूल ऐसे थे जिनके प्रधानाध्यापक स्कूल के हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकृत होने की दशा में योग्यता रखते हुए भी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक नहीं हुए ? यदि ऐसा हुआ है तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

हां । गोरखपुर मण्डल में कुल 14 जूनियर हाईस्कूल ऐसे हैं जो 80-81 से 84-85 तक जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकृत होने की दशा में वहां के प्रधानाध्यापक पद की योग्यता रखते हुये भी हाईस्कूल स्तर के प्रधान अध्यापक नहीं हुये ।

शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि में रखकर विस्तृत क्षेत्र में अर्ह प्रतिभाशाली, अनुभवी एवं श्रेष्ठतम् प्रधान

को चुनने हेतु पद का चुनाव सीधी भर्ती रखा गया है और दो अर्ह ज्येष्ठतम अध्यापक को साक्षात्कार का अवसर दिये जाने पर भी आयोग द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया ।

श्री मुकुट लाल शर्मा, क्वार्टर मास्टर प्रादेशिक प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र डाभा सेमर, फैजाबाद द्वारा किये गये लाखों रुपये के गबन की जांच

100—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुकुट लाल शर्मा, क्वार्टर मास्टर प्रादेशिक प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र डाभा सेमर, जनपद फैजाबाद में विगत 18 वर्षों से कार्यरत हैं और इस अवधि में इन्होंने लाखों रुपये का गबन किया है जिसकी जांच भी करायी जा चुकी है लेकिन अभी तक श्री शर्मा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री मुकुट लाल शर्मा के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

श्री शर्मा प्रश्नगत केन्द्र में दिनांक 9-8-1974 से कार्यरत हैं । इनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतें मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा की गयी जांच के उपरान्त सही नहीं पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोहनलाल गंज, क्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत जूनियर बेसिक विद्यालयों का एस0 डी0 आई0 द्वारा निरीक्षण तथा कार्यवाही

101—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मोहनलाल गंज, क्षेत्र लखनऊ में कार्यरत एस0 डी0 आई0 ने दिनांक 29-12-85 दिन रविवार को उस क्षेत्र के कई (जूनियर बेसिक विद्यालय उतरावां, कनकहा, पुरनपुर, मेंहदौली, कुशमिठा, सुखलाल खेड़ा आदि) जूनियर बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण किया एवं अध्यापकों से अभद्र व्यवहार किया जिससे क्षेत्र के अध्यापकों में व्यापक असंतोष व्याप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां, मोहनलाल गंज क्षेत्र में कार्यरत एस0 डी0 आई0 द्वारा कार्य की अधिकतावश दिनांक 29-12-85, रविवार को जूनियर बेसिक विद्यालय उतरावां, गढ़ी कनकहा, मेहदौली, कुशमिठा, छोटी खेड़ा का निरीक्षण किया गया । रविवारीय अवकाश की एवज में अगले दिन उपरोक्त विद्यालयों में प्रतिकर अवकाश दे दिया ।

इस प्रश्न के पूर्व अध्यापकों से अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में अध्यापकों या अन्य किसी की ओर से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

अब प्रश्न में निहित तथ्य को प्रश्नकर्ता की शिकायत मानकर जांच करा ली जायेगी और उसके परिणाम के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी । वैसे रविवार के दिन विद्यालयों का निरीक्षण करने तथा उसके एवज में अगले दिन प्रतिकर अवकाश देने विषयक अनियमित कार्य करने के लिये मोहनलालगंज के एस0 डी0 आई0 को सचेत करने के आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को दे दिये हैं ।

102-103—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये]
उत्पादन अधिकारी अधीनस्थ शैक्षिक सेवा (राजपत्रित) की लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती तथा रिक्त पद पर पदोन्नति

104—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा सं0 शिक्षा (2)/1039/15-274-1/6/1-69, दिनांक मई, 1974 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि उत्पादन अधिकारी अधीनस्थ शैक्षिक सेवा (राजपत्रित) की सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी ? क्या यह भी सही है कि इस पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारी के पदोन्नति हो जाने से यह पद दिनांक 1-8-79 से रिक्त चल रहा है ? यदि हां, तो शिक्षा निदेशालय द्वारा क्या लोक सेवा आयोग को इस पद के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो किस दिनांक को ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया जायेगा ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

पद पर कार्य संचालनार्थ तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं जिनकी अवधि दिनांक 28-8-79 से 31-12-81 तक तथा 20-1-82 से 2-10-85 तक रही तथा 23-11-85 से अब तक जारी है ।

जी हां ।

दिनांक 20-3-86 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी स्थित जिला परिषद् कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपीगंज की छात्राओं कुमारी पूनम एवं कुमारी नीलम की छात्रवृत्ति

105—श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला स्थित जिला परिषद् कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोपीगंज की छात्राओं कुमारी पूनम आत्मजा सुभाष चन्द्र एवं कुमारी नीलम आत्मजा सुभाषचन्द्र को क्रमशः वर्ष 82 एवं 83 में छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो अभी तक उनको छात्रवृत्ति न मिलने का क्या कारण है ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । भुगतान में विलंब का कारण यह था कि छात्रवृत्ति का बिल खो गया था और छानबीन के पश्चात् छात्रवृत्ति का बिल पुनः दिनांक 11-3-86 को प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रधानाचार्य को सम्बन्धित छात्राओं को भुगतान हेतु भेजा गया । विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

पक नेशनल इण्टर कालेज, मुहम्मदपुर, सदर, आजमगढ़ के बकाये वेतन का भुगतान

106—श्री मयंकर सिंह तथा श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय रामचन्द्र सिंह 'कलित' अध्यापक, नेशनल इण्टर कालेज, मुहम्मदपुर, सदर, जिला आजमगढ़ का वेतन भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और उनके सभी बकाये धन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

डाक्टर संजय सिंह—

प्रश्नगत इण्टर कालेज के वेतन निर्धारण अधिनियम पर आने के पश्चात् अर्थात्

1-4-71 से 25-9-77 तक का वेतन भुगतान विभाग द्वारा 1-9-78 को किया जा चुका है। 26-9-77 से 14-11-77 तक चिकित्सा अवकाश अनुमन्य ना होने के कारण उक्त अवकाश की अवधि के वेतन का भुगतान नहीं हुआ। दिसम्बर 1966 से मार्च 1971 तक का अवशेष वेतन तथा भविष्य निधि के प्रबन्धकीय अंशदान की धनराशि क्रमशः 12946.97 तथा 270.06 का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जो प्रबन्धतंत्र को करना है। इसके भुगतान हेतु प्रबन्धतंत्र को जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पडरौना के भवन निर्माण हेतु नगरपालिका पडरौना द्वारा शिक्षा विभाग को दी गयी भूमि

107—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में पडरौना नगरपालिका क्षेत्र में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि पडरौना-रामकोला मार्ग पर बीस वर्ष पूर्व नगरपालिका परिषद् ने खरीदकर शिक्षा विभाग को विधिवत् हस्तांतरित कर दी थी ? उक्त भूमि पर भवन निर्माण हेतु प्रदेश सरकार ने आठ वर्ष पूर्व धनराशि भी आवंटित की तथा सार्व0 नि0 विभाग ने भवन निर्माण के लिए विधिवत् निविदा आमंत्रित करने के बाद भवन निर्माण प्रारम्भ क्यों नहीं किया ? क्या उक्त भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किये जाने की लिखित शिकायत भूतपूर्व विधायक पुरुषोत्तम कौशिक ने भूतपूर्व शिक्षा मंत्री चौ0 नौनिहाल सिंह एवं भूतपूर्व शिक्षा मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी तथा शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से की थी ? भूतपूर्व विधायक श्री कौशिक ने नवम्बर, 1985 तक कुल कितनी शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? क्या समस्त विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

वर्ष 1973 में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पडरौना के भवन निर्माण हेतु नगरपालिका, पड़रौना द्वारा शिक्षा विभाग को 3.67 एकड़ भूमि दी गई थी किन्तु शासन की अनुमति से भूमि का हस्तांतरण न होने के कारण वर्ष 1981 में शासन के नगर विकास विभाग द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को प्रश्नगत भूमि पर पार्क बनाने की स्वीकृति दे दी गई। शिक्षा विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई थी। अतएव उक्त भूमि पर भवन निर्माण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता। माननीय भू0 पू0 विधायक श्री कौशिक के 11 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 9 भवन निर्माण के सम्बन्ध में तथा 2 अवैध कब्जे से संबंधित थे। चूंकि प्रश्नगत भूमि शिक्षा विभाग के कब्जे में नहीं है अतएव शिक्षा विभाग द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखपुर जिले के विभिन्न विकास क्षेत्रों में लगाये गये संयंत्रों का भौतिक सत्यापन

108—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के विभिन्न विकास क्षेत्रों में जो बायोगैस लगाये गये थे उसके लिए कोई जांच दल पिछले महीने गया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि जांच रिपोर्ट में ऐसे भी तथ्य प्रकाश में आये कि बायोगैस लगा ही नहीं और भुगतान हो रहा है ? क्या यह भी सच है कि जितने बायोगैस लगने की सूचना शासन को थी उससे कम बायोगैस लगाये गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिए

दोषी अधिकारी के विरुद्ध शासन ने कौन सी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां, दल द्वारा तीन विकास खंडों का स्थलीय सत्यापन किया गया था और विकास खण्ड पनियार में एक संयंत्र अपूर्ण पाया गया था किन्तु इस अपूर्ण संयंत्र हेतु अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है । गोरखपुर जिले में 643 संयंत्र निर्मित होने की सूचना दी गई है । इन सभी संयंत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है । सत्यापन के बाद संयंत्रों की संख्या कम पाये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

विकास विद्यालय हाई स्कूल इलाहाबाद के कर्मचारियों हेतु कथित पेंशन योजना

109—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि **विकास विद्यालय हाई स्कूल, इलाहाबाद** के कर्मचारी शासन द्वारा स्वीकृत पेन्शन योजना से वंचित है ? यदि नहीं, तो श्रीमती गंगोत्री भट्ट, गृह माता, विकास विद्यालय, इलाहाबाद जो 10-7-82 को अवकाश ग्रहण कर चुकी है, उन्हें पेन्शन से वंचित क्यों किया गया है ?

डाक्टर संजय सिंह—

प्रश्नगत विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है । अतः उक्त विभाग के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए लागू पेंशन योजना से आच्छादित नहीं है ।

इलाहाबाद में सम्पन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन में परिवहन निगम की बसों द्वारा किया गया कार्य एवं भुगतान

110—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि18-19 नवम्बर, 1985 को इलाहाबाद में साम्पन्न स्वतंत्रता संग्राम सेननी सम्मेलन में राज्य सड़क परिवहन निगम तथा इससे अनुबंधित क्रमशः कितनी बसों ने परिवहन कार्य किया ? इस कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि का किस दर से किस संस्था द्वारा परिवहन निगम को किस तिथि को भुगतान किया गया ?

डाक्टर संजय सिंह—

18-19 नवंबर, 85 को इलाहाबाद में सम्पन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन में परिवहन निगम की 300 बसों ने परिवहन कार्य किया । निगम से अनुबंधित बसों को इस कार्य हेतु नहीं लगाया गया । सम्मेलन में लगाई गई उपरोक्त बसों के देयक रुपया 4.20 प्रति किलोमीटर तथा पर्वतीय भागों में रुपया 5.65 प्रति किलोमीटर (विभागीय नियमों के आधार पर) एवं 16 प्रतिशत यात्री कर, 10 प्रतिशत अतिरिक्त यात्रीकर, 5 प्रतिशत यात्री बीमाकर चार्ज करते हुए कुल रुपया 12, 86, 221.01 पैसे के बिल संबंधित जिलाधिकारियों तथा गृह विभाग को प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा रुपया 4, 420.92 पैसे के संशोधित बिल प्रस्तुत किये जा रहे हैं । भुगतान परिवहन निगम को अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

गांधी स्मारक सुन्दर लाल इण्टर कालेज विलसंड़ा, जिला पीलीभीत में लेखा परीक्षण, आपत्तियों का निस्तारण, प्राधानाचार्य को दिया गया आरोप-पत्र

111—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी स्मारक सुन्दर लाल इण्टर कालेज विलसंड़ा, जिला पीलीभीत में वर्ष 73-74 तथा 75-76 में जो लेखा परीक्षण हुआ उसमें दर्शाई गई आपत्तियों के निस्तारण पर जो टिप्पणियां, लेखा परीक्षकों द्वारा 75-76 के बाद से अब तक (वर्ष 84-85) जो भी लेखा परीक्षण उपरोक्त कालेज में हुए, उनमें की गई है उनका संक्षिप्त विवरण क्या है ?

डाक्टर संजय सिंह—

1—वर्ष 73-74 में कोई भी लेखा परीक्षण नहीं हुआ । वर्ष 72-73 का लेखा परीक्षण 30-4-74 को हुआ था जिसकी आडिट आख्या संलग्न है । संलग्नक (1)† इसका अनुपालन न होने के कारण प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी (5) क में दि0 31-7-79 को हुई थी । तदुपरांत आडिट में दर्शायी गई आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रयास किये गये । फलस्वरूप प्रधानाचार्य स्तर की अनियमितताएं दूर हो चुकी है । भूतपूर्व प्रबन्धक की उदासीनता के कारण प्रबन्धकीय स्तर की अनियमितायें अभी शेष है । भूतपूर्व प्रबंधक ने इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में याचिका योजित कर रखी है ।

2—वर्ष 75-76 तथा 76-77 का आडिट हुआ इसमें 73-74 की सभी अनियमिततायें सम्मिलित कर ली गयीं । आपत्तियां एवं अनुपालन आख्या संलग्न है । संलग्नक-2†

3—वर्ष 75-76, 76-77 की अनुपालन आख्या रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 25-3-82 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत तथा रजिस्टर्ड पत्र द्वारा लेखाधिकारी, उप शिक्षा निदेशक, तृतीय मण्डल, बरेली को प्रेषित की जा चुकी है ।

112—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 73-74 तथा 75-76 में आपत्तियों के लिए कालेज के प्रधानाचार्य को दोषी पाने के कारण कालेज के प्रबन्धकों द्वारा प्रधानाचार्य को निलम्बित करके आरोप पत्र दिया था ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे तथा इस पर की गई कार्यवाही की प्रगति क्या है ?

†छापी नहीं गई ।

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

आरोप-पत्र संलग्न है । संलग्नक-3†

प्रबंध समिति ने 19-6-78 को प्रधानाचार्य को निलम्बित किया और प्रबंध समिति द्वारा सेवा समाप्ति का प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत को भेजा गया । जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत ने नियमानुसार सुनवाई करके प्रबंध समिति के सेवा समाप्ति के प्रस्ताव को अननुमोदित करते हुए अपने आदेश दिनांक 9-4-79 द्वारा प्रधानाचार्य को वेतन सहित बहाल कर दिया ।

जनपद सीतापुर में लघु सिंचाई विभाग द्वारा और जल निगम द्वारा कराया गया बोरिंग का कार्य एवं दरें

113—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में छः इंची बोरिंग का कार्य 40 मी0 गहराई तक लघु सिंचाई विभाग द्वारा और जल निगम के द्वारा किया जा रहा है ? लघु सिंचाई विभाग की दरें और जल निगम की बोरिंग की दरें क्या है ? क्या यह सही है कि जल निगम की दरें अधिक हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

लघु सिंचाई विभाग द्वारा छः इंची बोरिंग का कार्य सिंचाई हेतु किया जाता है । जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प हेतु बोरिंग का कार्य कराया जा रहा है । बोरिंग पर व्यय की स्थिति निम्नवत् है :

लघु सिंचाई विभाग की दरें

0 से 30 मीटर गहराई तक बोरिंग करने के लिये कैसिंग पाइप से बोरिंग करना, लोवरिंग तथा पाइप उखाड़ना सम्मिलित करते हुये 35 रु0 प्रति मीटर व 30 मीटर से ऊपर 40 मीटर के लिये 40 रु0 प्रति मीटर है ।

†छापी नहीं गई ।

जल निगम की दरें

जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प लगाने हेतु 0 से 40 मीटर तक की बोरिंग की दरें औसतन 35 रु0 प्रति मीटर बताई गई है ।

श्री राम निवास गुप्ता, लिपिक जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली का लिपिकों की अनियमित प्रोन्नति के विरुद्ध दिया गया प्रत्यावेदन

114—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम निवास गुप्ता, लिपिक जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली का श्री नत्थू लाल शर्मा तथा मिराज अली लिपिक की वर्ष 1979 में की गयी अनियमित प्रोन्नति के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर शिक्षा निदेशक ने क्या निर्णय लिया है तथा श्री गुप्ता के वरिष्ठ होते उन्हें जनवरी, 1985 में प्रोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो प्रोन्नति न देने के फलस्वरूप श्री गुप्ता को जो आर्थिक हानि हुई है उसका दायित्व किस पर है तथा उसके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

डाक्टर संजय सिंह—

सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है । सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब के लिये जांच की जायेगी ।

बस्ती जनपद के विकास खण्डों में हरिजन पेयजल कूप तथा आवास पर स्वीकृत धन-राशि

115—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती के प्रत्येक वि0 खण्ड में विगत 5 वर्षों में कुल कितना हरिजन पेयजल कूप तथा आवास किस-किस वर्ष में कितना स्वीकृत हुआ उसमें से कितना-कितना किन-किन गांवों में बनकर तैयार हुआ और कितना अधूरा पड़ा है तथा स्वीकृत धनराशि में से कितना धन व्यय हुआ कितना शेष है ? क्या शासन पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बस्ती जनपद के 32 विकास खण्डों के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में कुल 758 हरिजन पेयकूप एवं 35 हैण्डपम्प स्वीकृत हुआ उसमें से 679 पेयकूप तथा 35 हैंड पम्प पूर्ण हुए । शेष 79 पेयकूप अधूरे है । इस कार्य हेतु 43,13,978 रु0 स्वीकृत हुए जिसके सम्मुख 38,86,286 रु0 व्यय हुए तथा 4,27,692 रु0 शेष है । इसी प्रकार विगत 5 वर्षों में जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में 4621 आवास स्वीकृत हुआ उसमें से 4062 आवास पूर्ण हुए तथा शेष 559 आवास अधूरे है । इस मद में कुल 1,16,54,456 रु0 स्वीकृत हुए जिसके सम्मुख 1,05,31,533 रु0 व्यय हुए तथा 11,22,923 रु0 अवशेष है ।

मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज भाटपार-रानी, जनपद देवरिया के प्राचार्य श्री राम नयन मिश्र को अनुचित रूप से प्राप्त वेतन की कटौती

116—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज के भाटपाररानी, जनपद देवरिया के प्राचार्य, श्री राम नरायन मिश्र ने मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज, भाटपाररानी, देवरिया से माह दिसम्बर, 73 से सन् 77 तक रु0 200 (दो सौ रु0) प्रति माह की दर से अनुचित रूप से प्राप्त किये है जिसकी कटौती हेतु शासनादेश सितम्बर, 75 में हो चुके है, क्या उपरोक्त धन की कटौती हुई है ? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पुनः कटौती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां, श्री राम नयन मिश्र को दिसम्बर 1973 से मार्च 1975 तक प्रबन्ध समिति ने अपने स्रोतों से 200 रुपया प्रतिमाह दिया है । दिनांक 1-4-1975 से अप्रैल 1976 तक 200 रुपया वेतन वितरण अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है ।

जी नहीं, इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य होने की जानकारी प्राप्त होने पर निदेशालय (उच्च शिक्षा) के आदेश दिनांक 19 मई, 1976 द्वारा वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है । जी नहीं ।

श्री मिश्र से इस अवधि में डिग्री कालेज में अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्य लिया गया था, जिसका उन्हें मानदेय दिया गया है सम्बन्धित अधिकारियों से आख्या मांगी जा रही है ।

राजकीय हाई स्कूलों के सहायक अध्यापक/प्रधानाचार्यों का वेतनमान सम्बन्धी शासनादेश

117—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शासनादेश सं0 ख-1/532/65/15 दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के अनुसार राजकीय हाई स्कूलों के सहायक अध्यापक/प्रधानाचार्यों का वेतनमान रु0 100-180 के स्थान पर रु0 80-125 हो गया था ? इस विसंगति से जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के कितने अध्यापक/प्रधानाचार्य अभी भी प्रभावित हैं ? कितने व्यक्ति इसी परिवर्तित वेतनमान के अंतर्गत सेवा निवृत्त हो गये ? सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

(क) प्रश्नगत शासनादेश अथक प्रयास के बावजूद उपलब्ध नहीं हो सका है ।
(ग) प्रश्न में शासनादेश की संख्या भी प्रत्यक्षतः पूर्ण नहीं प्रतीत होती । मामले का परीक्षण कराया जायेगा ।

(12 बजकर 20 मिनट)

व्यवस्था के प्रश्न

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने एक प्रश्न दिया था जो कि आज की कार्य सूची में प्रश्न संख्या 14 पर है । इसको यह लिखकर काट दिया गया है कि विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त । मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि आगरा जिले में कितने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं, जहां पर चपरासी अथवा जल वाहक नियुक्त नहीं है ? यह कहा गया कि हर जिले से इसकी सूचना मंगवानी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कार्यालय में आ जाइयेगा, मैं फाइल मंगवाकर देखूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न मैंने लिखित रूप में आपकी सेवा में भेज दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

आपने कब दिया था ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, ठीक सवा दस बजे मैंने एक सूचना 300 में और एक सूचना प्रश्नों की व्यवस्था के बारे में आपके कार्यालय में दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

जब 300 पर आयेंगे तथा उसको भी ले लेंगे ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 286(3) को देखने का कष्ट करें इसमें दिया हुआ है कि सदन में प्रवेश करते समय या सदन से बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते समय या वहां से उठते समय भी अध्यक्ष पीठ के प्रति नमन करेंगे । श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी आज जब सदन में आ रहे थे, तो उन्होंने न तो आपको नमस्ते किया न हम लोगों को नमस्ते किया । इस तरह से इन्होंने नियम का उल्लंघन किया और सदन का अपमान किया है और अब यह सुन भी नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

गौरी शंकर भइया, आप बैठिये । इन्होंने आपसे नमस्ते कर लिया है, काफी है ।

श्री गौरी शंकर भइया—

आप मुख्य मंत्री जी को निर्देशित करें कि ये आपको नमस्ते किया करें ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अंतर्गत 12 सूचनाए प्राप्त हुई हैं। । जो इस प्रकार से है:—

1—श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शत-रुद्र प्रकाश, श्री सरदार सिंह, श्री महेन्द्र सिंह भाटी तथा श्री किरनपाल सिंह की है ।

2—श्री कल्यान सिंह, श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी), श्री सत्य प्रकाश विकल ।

3—श्री सात्यपाल सिंह

4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

6—श्री सत्यपाल सिंह

7—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा

8—श्री मित्रसेन

9—श्री राम सजीवन

10—श्री दीप चन्द्र सोनकर

11—श्री धनराज यादव तथा

12—श्री राज किशोर सिंह जी की है ।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 के तहत राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री के आश्वासन का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आज मैंने खुद ही औचित्य का प्रश्न उठाया है । अभी तक मैं औचित्य के प्रश्न पर बल देता था । आज जब पानी सिर से ऊपर निकल रहा है और सरकार नहीं सुन रही है तो मुझे खुद औचित्य का प्रश्न उठाना पड़ा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने 13 मार्च को सदन में घोषणा की थी कि गिरोहबन्द विधेयक के अन्तर्गत किसी राजनीतिक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा । मननीय अध्यक्ष महोदय, इस घोषणा को उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है । दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान जो कार्य-पालिका के प्रमुख अंग हैं, उन्होंने 13 मार्च को मुख्य मंत्री की घोषणा से पूरी तरह से असहमति जाहिर कर दी है । आज यह हालत हो गई है कि कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद् जिसके मुख्यमंत्री हेड हैं दोनों के बीच गम्भीर मतभेद पैदा हो गया है । उत्तर प्रदेश के अन्दर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । कार्यपालिका ने मुख्य मंत्री और मंत्रिपरिषद् की घोषणाओं को, उनके आदेशों का पालन अस्वीकार कर दिया है ।

मैंने 13 मार्च की कार्यवाही के पृष्ठ 132 पर कहा है—"अभी तक यह विधे-यक पेश भी नहीं हुआ है, पेश होने से पहले इसका दुरुपयोग शुरू हो चुका है । मान्यवर, हम लोगों ने कहा उसके बाद भी इन्हें सद्बुद्धि नहीं आयी । अगर

अभी भी सद्बुद्धि आ जाय, तो अच्छा रहे । मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि यह चली चले का मला है, यहां पर, आप हमेशा इस कुर्सी पर नहीं बैठे रहेंगे ।'' विपक्ष के लोगों की यह भावना थी, उसी के बीच में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसी दिन यह कहा कि किसी राजनीतिक दुर्भावना से या किसी निर्दोष व्यक्ति को बन्द नहीं किया जायेगा । अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । यह मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा की । उसी वक्त मैंने यह भी कहा था कि इसका दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग को रोकने के लिये, हमारे विपक्ष के तमाम अनुरोध के बाद आप विधेयक जब सदन में ला रहे हैं, हम सहमति प्रगट करेंगे अगर आप उत्तर प्रदेश में श्वेत पत्र जारी कर दें कि ये लोग गिरोहबन्द, और असामाजिक तत्व हैं । उत्तर प्रदेश की जनता इनसे आतंकित और भयभीत है । ऐसे लोगों की सूची सदन में प्रकाशित कर दे और उस पर चर्चा हो जाय । हम सारे लोग देख लेंगे और मुख्य मंत्री का सहयोग करेंगे । आज फिर कह रहा हूं कि आप दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं तो श्वेत पत्र जारी करके सूची सदन में पेश करें । आज पूरी तरह से इसका दुरुपयोग शुरू हो गया है ।

माननीय, यह परम्परा शुरू से रही है घोषणा होती रही कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, मीसा में तस्करों और असामाजिक तत्वों को बन्द किया जायेगा । इन दोनों के खिलाफ मीसा लागू किया जायेगा । लेकिन आपने देखा आपात काल के दौरान स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जैसे देश भक्तों के खिलाफ मीसा का इस्तेमाल किया गया । हजारों लोगों के खिलाफ, मेरे जैसे लोगों के खिलाफ मीसा लागू किया गया । मुझे 19 महीने जेल में बन्द किया गया और आरोप यह लगाया गया कि रेल की पटरी उखाड़ने और डाकखाना जलाने की घोषणा कर रहे थे । रासुका का भी आपने देखा, तमाम घोषणाओं के बाद भी दुरुपयोग हुआ । इस प्रकार आप देखें गिरोहबंद कानून लाया गया, विधेयक पेश किया गया, उसके पास होने से पहले ही दुरुपयोग शुरू हो गया था । अब मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि किन-किन के खिलाफ इसका दुरुपयोग किया गया है । मान्यवर, हमारे बागपत में बड़ौत में शिक्षकों ने वहां के बिजली के असिस्टेंट इंजीनियर से मिल कर उनसे कहा कि परीक्षाएं सामने आ गयी हैं, लड़कों को बिजली नहीं मिल पा रही है, वे पढ़ नहीं पा रहे हैं । कोई कार्यवाही नहीं हुई । फिर 5 मार्च को वहां के छात्र एस0डी0ओ0 बिजली विभाग से मिले । नारेबाजी की छात्रों ने । इस पर एस0डी0ओ0 ने गोली चलवा दी छात्रों पर । बड़ी मुश्किल के बाद इसकी रिपोर्ट लिखी गयी, लेकिन उसके बाद कार्यवाही कुछ नहीं हुई । तब सारे दलों के नेताओं ने एकजुट होकर इसका प्रतिकार करने का फैसला किया । लेकिन उसके पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया । एक लोकदल के नेता जो 1985 के चुनाव में बागपत से लड़े थे श्री साहब सिंह, एक और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कामरेड महेन्द्र सिंह, इनको गिरफ्तार करके गिरोहबंदी में, जेल भेज दिया गया । उस दिन जब सामान्य प्रशासन पर चर्चा हो रही थी, मैंने कहा था कि भोलानाथ तिवारी जो 'स्वतंत्र भारत' के प्रतिनिधि हैं सुल्तानपुर के, उन्हें गिरोहबन्दी में बन्द कर दिया गया ।

इसके बाद मान्यवर देखें, ग्राम बिसरख के बारे में मा0 विधायक महेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कई दिन हुए कि उनके क्षेत्र सरफाबाद के दादरी में ब्लाक विसरख में श्री श्याम सिंह, जो जिला परिषद् के मेम्बर हैं, 20 साल से प्रधान हैं तथा उनके भाई धर्मपाल सिंह, जो सरफाबाद, दादरी के रहने वाले हैं, श्री कृष्ण इण्टर कालेज के प्रबन्धक हैं, मोहन सिंह इण्टर

कालेज के चेयरमैन हैं, गुरुद्वारा सिंह सभा के उपाध्यक्ष हैं, इनके खिलाफ गिरोहबन्दी लगाकर गिरफ्तार किया गया । श्याम सिंह को जेल भेजा गया । उनकी पत्नी का कत्ल कर दिया गया । पैरोल के लिये कहा तो जज ने पैरोल दे दिया । लेकिन गाजियाबाद के डी0 एम0 और एस0पी0 ने पैरोल रुकवा दिया । हालत यह है कि इसी तरह से उन्नाव की रिपोर्ट है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के ब्लाक प्रमुख हैं, सुखवीर सिंह । उनकी किसी बात को लेकर बी0डी0ओ0 से कहा-सुनी हो गई । उन्होंने बी0डी0ओ0, डी0 एम0 और एस0पी0 से मिलकर उन्हें गिरोहबंदी में गिरफ्तार कराने की कार्यवाही शुरू कर दी । (श्री भगवती सिंह विशारद द्वारा कुछ कहने पर) विशारद जी, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं । मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि इसी तरह से आप देखेंगे मथुरा में यही बात है । वहां भरत चतुर्वेदी और श्याम सुन्दर चतुर्वेदी के खिलाफ माफिया गिरोह बताकर समाज विरोधी क्रिया कलाप विरोधी कानून के अन्तर्गत उनको गिरफ्तार किया जा रहा है । उसकी कार्यवाही शुरू हो गयी है । यह थोड़े से उदाहरण हैं । यह स्थिति पूरे प्रदेश की है ।

मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मथुरा में एक किशन सिंह हैं और भी हैं, इनके साथ यही बात है । बुलन्दशहर में भी यही हाल है । पूरे प्रदेश में राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध यह कार्यवाही की जा रही है । मुख्य मंत्री जी बार-बार आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा होगा तो डी0 एम0 और एस0 पी0 के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, लेकिन किसी के भी खिलाफ कार्यवाही नहीं की है । इसलिये मेरी तीन मांगें हैं । एक यह कि इसके बारे में एक श्वेत-पत्र जारी किया जाय, दूसरे एक सूची जाहिर की जाय कि उत्तर प्रदेश की जनता को जिन-जिन लोगों से खतरा हो, उनके नाम जाहिर किये जायं । सूची जाहिर करेंगे तो हम विपक्ष के लोग सहयोग करेंगे । तीसरी बात जिन लोगों के नाम लिये गये हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी अभी घोषणा करें कि गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मेरठ मथुरा आदि जहां भी इस तरह की कार्यवाही की जा रही है, उसको वापस लें और वहां के डी0 एम0 और एस0 पी0 के खिलाफ कार्यवाही करें ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं, आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि यह दिल्ली के लोग भी जब देखेंगे कि इसी गिरोहबंदी कानून के कारण जन असंतोष उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रहा है, दिल्ली के लोग यह बहाना करके मुख्य मंत्री पद से हटायेंगे । मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं । मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं । प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर आज तक जब-जब इस तरह का मौका आया अपने को बचाने के लिये अपने साथियों की हमेशा बलि दी है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको महत्वपूर्ण समझिये और गम्भीरता से लीजिये । यही आपको बलि का बकरा बनाकर इस पद से अपमानित करके हटायेंगे । इसलिए मैं यह मांग करूंगा कि आप इस गिरोहबंदी विधेयक को आज सदन में वापस लीजिये और जहां पर दुरुपयोग किया गया है, उन अधिकारियों के विरुद्ध आप कार्यवाही कीजिए । आज लोकतंत्र कमजोर हो रहा है । बिजली मांगने के लिये लड़के और टीचर जायें और बदले में उनको गोली मिलती है । मान्यवर, हमारा संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का । अगर लोकतांत्रिक संस्थायें कमजोर हो जायेंगी, तो जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं अत्याचार करने वाले लोग हैं, उनको खुला मैदान मिलेगा चरने का । इसको आप गम्भीरता से लीजिये । इसलिए आप इस विधेयक को आज सदन में वापस लीजिये । जहां-जहां पर इसका दुरुपयोग हुआ है, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिए और जिनका नाम आज मैंने लिया है,

उनको रिहा करने की आप आज ही घोषणा कीजिये ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, आज सदन में एक ऐसा आचत्य का प्रश्न उपस्थित हुआ है, जिसका सम्बन्ध नागरिक स्वतन्त्रता से है, संविधान के द्वारा दिये गये हमारे मौलिक अधिकारों से है । माननीय मुख्य-मंत्री जी ने इस सदन में स्पष्ट घोषणा की थी कि इस गिरोहबन्दी अध्यादेश और उसके पश्चात् बनने वाले गिरोहबंदी अधि-नियम का राजनैतिक, सामाजिक कार्य-कर्ताओं और पत्रकारों के खिलाफ दुरु-पयोग नहीं किया जायेगा । आज ऐसा लगता है कि प्रदेश के अंदर एक सवै-धानिक संकट व्याप्त हो गया है । प्रशास-निक संकट व्याप्त हो गया है । मान्यवर, एक तरफ मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति इस सदन में एक घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ इनके अधिकारी उस घोषणा के प्रतिकूल दूसरा आचरण कर रहे हैं । इसके दो ही अर्थ निकल सकते हैं । एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करने के लिये सदन में घोषणा कर दी परन्तु, दूसरी ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को इशारा कर दिया कि राजनीतिक, सामा-जिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को इसके अन्तर्गत बंदी बनाया जाय । अगर यह सच नहीं है तो फिर दूसरी बात यह सच हो सकती है कि प्रशासनिक अधिकारी मान-नीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गयी घोषणा का कोई मूल्य नहीं मान रहे हैं । अगर पहली बात सच है तो फिर सदन के अंदर दिये गये बचन-भंग हो रहे हैं । अगर दूसरी बात सही है तो फिर प्रशासनिक अधिकारी शासन की पकड़ को मानने के लिये तैयार नहीं है । इस स्थिति से आज प्रदेश के अन्दर जनता के मन में आतंक व्याप्त हो गया है, अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो गयी है । जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यादेश जारी करवाया था, उसी समय हम लोगों ने यह बहुत प्रारम्भ में ही आशंकायें व्यक्त की थी कि इसका निश्चित तौर पर राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ, पत्रकारों और जो सामाजिक न्याय के लिये संघर्ष करने वाले लोग हैं—उनके खिलाफ दुरुपयोग होगा । माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की थी इस बारे में, इनके विरुद्ध कोई दुरुपयोग नहीं किया जायेगा । लेकिन, आज दुरुपयोग हो रहा है ।

मान्यवर, जब मैं यह बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । मान्यवर, रासुका का भी इसी तरह से दुरुपयोग हो रहा है । श्री मोहन लाल कपूर जो दो बार इस सदन के सदस्य रह चुके हैं और इण्टरमीडिएट कालेज के प्रिंसिपल भी हैं और भारतीय जनता पार्टी, मेरठ जिले के अध्यक्ष भी हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, को रासुका के अन्तर्गत बन्द कर आगरा जेल में डाल दिया गया है । लोक दल के श्री मन्जूर अहमद को रासुका के अन्तर्गत जेल में डाल दिया गया है । मेरठ जिले के ही श्री सुरेन्द्र कुमार रस्तोगी, श्री सुशील कुमार रस्तोगी और श्री देवेन्द्र कुमार गोयल-ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, को गिरोहबन्दी अध्यादेश के अन्तर्गत बन्द कर जेल में डाल दिया गया है । श्री नन्द किशोर गुप्त उर्फ किशोरी लाल, मण्डल महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, जहानाबाद, आजमगढ़ को गिरोह-बन्दी अध्यादेश के तहत बन्द किया गया है । जगदीश सिंह, महामंत्री, मह-रौनी, ललितपुर को गिरोहबंदी के तहत जेल में भेज दिया गया है । भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री रामपाल सिंह, उतरौला, जिला गोण्डा को गिरोहबन्दी अध्यादेश के अन्तर्गत जेल में डाल दिया गया है । श्री वशिष्ठ नारायण सेठ, नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जौनपुर को गिरोहबन्दी

अध्यादेश के तहत बन्द कर जेल में डाल दिया गया है । श्री चन्द्र भान राम, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, बस्ती व 3 अन्य कार्यकर्ताओं को गिरोहबन्दी अध्यादेश के तहत जेल में डाल दिया गया है । श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, सुल्तानपुर को गिरोहबन्दी के अन्दर जेल में डाल दिया गया है । श्री गुलाब सोनकर, समता पार्टी, आजमगढ़ को भी गिरोहबन्दी अध्यादेश के तहत बन्द कर जेल में डाल दिया गया है । श्री दीनानाथ तिवारी, पत्रकार, सुल्तानपुर को गिरोहबन्दी अध्यादेश के तहत जेल में डाल दिया गया है । इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के महामंत्री और भूतपूर्व विधायक प्रोफेसर रामजी सिंह को अपने गृह जनपद के अपने क्षेत्र मऊ में जाने के लिये 12 मार्च से 25 अप्रैल तक उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है ।

मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि इस गिरोहबन्दी अध्यादेश के तहत जिन-जिन राजनैतिक लोगों को बन्द किया जाना है, हर जिले में उनकी सूची तैयार की जा रही है । प्रत्येक जिले में डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 मिलकर राजनैतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा उनके काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाले स्वतंत्र लेखन के पत्रकारों को इस अध्यादेश के तहत जेल में डालने की सूचियां तैयार कर रहे हैं । मैं एक-दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं । डा0 विद्याकान्त त्रिपाठी जो एक पत्रकार हैं, को सूची में लाया जा रहा है । श्री आचार्य मोहन मिश्र, जो इटावा के एक पत्रकार हैं, इटावा जिले के हैं, को गिरोहबन्दी अध्यादेश के तहत बन्द करने के लिए सूची में नाम लाया जा रहा है । श्री चतुर्भुज दीक्षित, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, इटावा का नाम सूची में लाया जा रहा है और श्री अनिल राठौर, महामंत्री, भारतीय युवा मोर्चा को सूची में लाया जा रहा है । ये तो मैंने आपको कुछ नाम बताये । इस प्रकार के कई नाम हैं, जिन्हें सूची में लाया जा रहा है । पहले भी हमने इस अध्यादेश पर शंकायें जाहिर की थी । माननीय नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह जी ने इस सम्बन्ध में एक श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा है, उसका मैं भी समर्थन करता हूं वे कौन-कौन से माफिया गैंग हैं और कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं, जिनके खिलाफ शेष कानूनों से कार्यवाही हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है सिवाय गिरोहबन्दी अध्यादेश के ? यदि ऐसे माफिया गैंग के लोगों के खिलाफ आप इस अध्यादेश का प्रयोग करें तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन इसका दुरुपयोग सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनैतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के खिलाफ किया जा रहा है ।

इसलिए हमारी मांग है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की स्पष्ट घोषणा करें कि जिले-जिले में जो पत्रकारों, राजनैतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूचियां बनाई जा रही है और ठीक उसी प्रकार का माहौल तैयार किया जा रहा है जो 1975 में इमरजेन्सी के समय था । जो 1975 में इमरजेन्सी घोषित हुई थी, इस अध्यादेश के द्वारा प्रदेश के अन्दर अघोषित आपात्काल लागू हो गया है । जनता आश्वासन चाहती है कि ऐसी सूची बदले की भावना से प्रेरित होकर एस0 एस0 पी0 नहीं बनायेंगे । जितने ऐसे कार्यकर्ता पकड़े गये हैं चाहे वे सामाजिक कार्यकर्ता हों या राजनैतिक कार्यकर्ता हों या पत्रकार हों, उनकी रिहाई के तुरन्त आदेश दिये जायं । जिन अधिकारियों ने गिरोहबन्दी अधिनियम का दुरुपयोग किया है, उनकी भी सूची प्रकाशित

की जाय और उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ सदन में कहा है, ईमानदारी से उसका पालन करिये । मैं बड़े विनम्र शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि इस गिरोहबन्दी अध्यादेश के अन्दर राजनैतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं या पत्रकारों या जनता के अच्छे लोगों के खिलाफ की जा रही आपकी यह कार्यवाही, आपकी सरकार के कफन की कील बनेगी और मुख्यमन्त्री के पद की मौत का वारंट बनेगी ।

(मेजों की तेज थपथपाहट)

माननीय मुख्यमंत्री जी वादा करें कि जो सूचियां हैं, नष्ट की जायेंगी । जिन लोगों ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उन अधिकारियों की गिरफ्तारी की जायगी, क्योंकि उन्होंने इस काले कानून का दुरुपयोग किया है । कुछ अच्छा इतिहास बनाइये, मुख्यमंत्री जी । मुख्यमंत्री आयेंगे, आकर चले जायेंगे । उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी बहुत जल्दी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अपने माथे पर कलंक का टीका लेकर मत जाइए । इतिहास से कुछ सीखिये । 1975 में लगायी गयी एमरजेन्सी से कुछ सबक सीखिये । जनता आपको माफ नहीं करेगी । नागरिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है । आज स्पष्ट घोषणा करें कि प्रदेश की जनता को क्या संदेशा देना चाहते हैं । यह भी सुनिश्चित करें कि जो घोषणायें की हैं और जो आज करने वाले हैं, उनका पालन भी होगा । इसके साथ ही मैं अपने इस औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री हरशरन सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

हमारे विरोधी विधायक ने यह प्रश्न जो उठाया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, मामले को बढ़ायें नहीं । मैंने माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह को बुला लिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

13 तारीख को जब इस सदन में यह काला विधेयक लाया गया था तभी नेता, विरोधी दल सहित सभी नेताओं ने और तमाम अन्य सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि इस गिरोहबन्दी कानून का दुरुपयोग होगा । 13 तारीख से आज 23-24 तारीख हो रही है, 11 दिनके अन्दर आप स्वयं देखें कि आज इस कानून का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है । माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका कतई दुरुपयोग नहीं किया जायगा और केवल उन्हीं लोगों को, जो कि इसके अन्तर्गत आते हैं, जो माफिया गिरोह के सरगना हैं, जो जनता को प्रताड़ित करते हैं,

(व्यवधान)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

श्रीमन् पत्रकार गैलरी में विधायक लोग पर्चा बांट रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया अब आप लोग बैठें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

सदन मैं चला रहा हूं आप नहीं चला रहे हैं । कृपया आप लोग बैठें और माननीय सदस्य को बोलने दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

जो माफिया गिरोह है और उसके जो सरगना हैं, मुख्य मंत्री जी ने कहा

कि उनके खिलाफ इसका प्रयोग किया जायेगा ।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग शान्ति से सुनें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

आज इसको लागू हुए केवल 11 दिन हुए हैं और इतने दिनों में ही यह देखने में आ रहा है कि मुख्य-मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन का उल्टा हो रहा है । मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि मीसा, रासुका कानून जब बना था तो इसी तरह से आश्वासन दिये गये थे और उसके बाद भी उसका दुरुपयोग हुआ था । उसमें राजनैतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जेल भेजे गये थे । उसका भी अपना एक इतिहास है, आज तक उसका कोई दूसरा रूप नहीं मिलेगा । उस समय माफिया के अन्तर्गत लोग जेलों में 19-19 महीने तक रहे थे और उन लोगों ने जेल काटी थी ।

उसी तरह से आज इस काले कानून का दुरुपयोग शुरू हो गया है । मुख्य मंत्री ने कहा था कि यह कानून बनाया गया है, ठेकेदारों के लिये । जो कि बन्दूक की नोंक पर पी0 डब्ल्यू0 डी0 के ठेके, सिंचाई विभाग के ठेके, शराब के ठेके बन्दूक और रायफल की नोंक के बल पर अफसरों को डरा, धमका कर ले रहे हैं, उनके खिलाफ यह प्रयोग किया जायेगा । लेकिन अफसोस है कि आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है । जो लोग ठेका पहले जिस तरह से हासिल किया करते थे, आज भी कर रहे हैं । जो लोग पहले कत्ल किया करते थे, आज भी वे कत्ल कर रहे हैं । जो लोग पहले भी सामूहिक हत्यायें किया करते थे, आज भी कर रहे हैं । कहने का मतलब यह है कि जो लोग पहले जो काम जोर-जबरदस्ती से किया करते थे, आज भी वे वैसे ही कार्य कर रहे हैं ।

आज इस काले कानून का प्रयोग सामाजिक कार्यकर्त्ता के विरुद्ध, राजनैतिक कार्यकर्ता के विरुद्ध, पत्र-कारों के विरुद्ध, वकीलों के विरुद्ध किया जा रहा है । यह क्या स्थिति बन रही है ? क्या ये लोग समानान्तर सरकार चला रहे हैं ? मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

बरार जी, आप कृपा करके बैठें ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन् मैं नियमानुसार ही व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

पहले ये अपनी बात कह लें, उसके बाद क्या व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

यह कांग्रेस पार्टी का हाल यह हो गया है कि ये सही बात को सुनने को तैयार नहीं हैं । आज प्रदेश की जो स्थिति हो गयी है, ये लोग उसे सुनने के लिये कतई तैयार नहीं हैं । उन्हीं की साजिश से प्रदेश के अन्दर आज यह हो रहा है । जबकि मुख्य मंत्री ने कहा था कि इस प्रदेश के अन्दर किसी व्यक्ति के खिलाफ इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा । लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि

किसके-किसके खिलाफ इसका प्रयोग किया जा रहा है :—

(1) श्री शशि कान्त सिंह, अध्यक्ष, डिग्री कालेज, बलिया, इनके खिलाफ रासुका लगायी गयी है ।

(2) श्री राघव सिंह, महामंत्री, डिग्री कालेज, इनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 भी नहीं दर्ज की गयी और ये रासुका में जेल में बन्द हैं ।

(3) फैजाबाद की घटना मैंने आपको पहले भी बतलाई है । सफाई कर्मचारियों की कि उनके प्रति गिरोहबन्दी कानून लगा दिया गया है । फैजाबाद में सफाई कर्मचारियों पर यह कानून लागू किया गया । मैंने डी0 आई0 जी0 से कहा, तो उन्होंने कहा कि मामला समाप्त कर दिया गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? कृष्ण कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष, नगर कांग्रेस कमेटी पिहानी हरदोई थे, उन्होंने जनता पार्टी 1985 में ज्वाइन कर लिया तो उन पर गिरोहबन्दी कानून लगा दिया । जब तक वह कांग्रेस में थे, भले आदमी थे और जब जनता पार्टी में आ गये तो गिरोहबन्दी कानून लगा दिया, तो यह बात है ।

मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य-मंत्री जी आज घोषणा करें कि जहां पर इस तरह का कानून लगाया गया है, इसे तत्काल वापस लिया जाये और जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसका गलत ढंग से प्रयोग किया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये, नहीं तो हम लोगों को मोरारजी भाई का अनुसरण करना पड़ेगा । जैसा उन्होंने लोक सभा में किया था, वह कार्यवाही आज यहां पर करनी पड़ेगी, दण्ड देने के लिये । आज इस सदन में इस गम्भीर मसले पर माननीय मुख्य मंत्री जी अपना बयान दें कि जिनके खिलाफ यह लागू किया गया है, उसे तुरन्त वापस लेंगे और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसका दुरुपयोग किया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

बरार जी आपके नौ रत्नों में से हैं, उनसे बात कर लें ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैं श्री बरार जी के बोलने पर व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं । आप हमको सुन लीजिये, तब उनको समय दें । आप नियमावली को देख लें ।

मान्यवर, मैं व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं कि जब एक मद समाप्त हो जाये और दूसरी मद ली जाये, तभी व्यवस्था का सवाल उठाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं है । मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन के जितने भी कार्य होते हैं, वह नियमावली के अनुसार संचालित होते हैं । नियम 900 की सूचना नियमों के तहत दी जाती है और जिस पर कृपापूर्वक आप अनुमति देते हैं । मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं, माननीय सदस्य बोल रहे हैं । जब हम किसी विषय पर बोलेंगे तो यह बताना पड़ेगा कि किस नियम के आधार पर बोल रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद, नियमावली

के किस नियम के अनुसार जिसके आधार पर इस सदन का कार्य विनियमित होता है के संबंध में माननीय सदस्य बोल रहे हैं और इस नियम को आज लागू नहीं किया जा रहा है । मेरा मूल प्रश्न जो मैंने उठाया, वह यह है कि जो कल्यान सिंह ने नियम 300 की सूचना दी है, उसको पूरा सुन लिया....

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

यह निर्णय आप करेंगे या मैं करूंगा ?

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह किस नियम के आधार पर बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के लिये किसी नियम की जरूरत नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

व्यवस्था के लिये नियमों की जरूरत है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैं विषय के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । किसी भी नियम का हवाला न कल्यान सिंह जी ने दिया है और न रेवती रमण सिंह जी ने दिया है कि औचित्य के प्रश्न किस अनुच्छेद अथवा नियम, जिससे सदन का कार्य विनियमित हो, के तहत उठाया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

और कोई बात कहनी है आपको ?

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, एक मिनट सुन लें । (व्यवधान) । इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार तो क्या सुना भी नहीं जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको सुन लिया, अब आप बैठें ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, एक वाक्य में अपनी बात समाप्त करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली । अब आप बैठें ।

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । मैंने मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है । जिनसे ताल्लुक है, उनसे सुनिये ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक निवेदन आपसे किया था । हमारे और कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । माननीय राज किशोर सिंह, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री कौशिक रमा शंकर को आप दो-दो मिनट सुन लें ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, बड़े खेद की बात है कि गिरोहबन्दी विधेयक पेश करते समय विपक्ष द्वारा जो शंका व्यक्त की गई थी, वह सारी सही निकली । जो घोषणायें मुख्य मंत्री जी ने उस समय की थीं, उसके विपरीत शासन काम कर रहा है । इस गिरोहबन्दी कानून का प्रयोग जन आन्दोलनों को दबाने और विशेषकर श्रमिक आन्दोलनों को दबाने के लिये किया जा रहा है । मान्यवर, इसके दो उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं । बाराबंकी नगर में जवाहरलाल नेहरू डिग्री कालेज के चार छात्रों को 22 तारीख को गिरफ्तार किया गया है । मुझे सूचित किया गया है कि गिरोहबन्दी कानून के तहत उन्हें बन्द किया गया है । उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट इसके पूर्व कभी नहीं है । होली के मामले को लेकर वहां पर छात्रों के दो धड़ों में झगड़ा हुआ और पुलिस ने कुछ राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये चार लड़कों-मोहम्मद, हनीफ, मुहम्मद शमीम, अभय श्रीवास्तव और एक अन्य छात्र को 22 तारीख को बन्द किया है । मान्यवर, अगर होली की छुट्टी न होती तो सारे बाराबंकी के छात्र सड़कों पर निकल आते । लेकिन होली की छुट्टी हो गई, कोई आन्दोलन नहीं हुआ । दूसरे स्पिनिंग मिल बांदा के सारे श्रमिकों को इस कानून का हवाला देकर उसका मैनेजर गुन्डों को बुलाकर पिटवा रहा है और धमकी दे रहा है कि हम तुमको गिरोहबन्दी कानून के अन्तर्गत बन्द करेंगे । इस तरह 36 श्रमिकों को बन्द कर दिया है । श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार कठोर कानूनों के बल पर नहीं चल सकती है । इसका साक्षी इतिहास है । अंग्रेजों को कठोर कानूनों के बावजूद हिन्दुस्तान छोड़कर जाना पड़ा ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, विरोधी दलों के नेताओं ने यह बहुत पहले ही शंका व्यक्त की थी कि इस कानून के बनने के बाद उसका दुरुपयोग होगा और हो रहा है । मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके विपरीत पूरी तरह से, इनकी जो मशीनरी है, वह उसका उल्लंघन कर रही है । अभी हाल ही में आजमगढ़ में श्री गुलाब सोनकर को इसलिये गिरफ्तार किया गया कि उसने एक शराब की दुकान बन्द करने के लिये आन्दोलन चलाया था । उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं थी । सिर्फ यह आन्दोलन चलाया था कि मऊनाथ भंजन में एक विशेष स्थान पर स्थित शराब की दुकान बन्द की जाय । बाद में शासन ने उस दुकान को वहां से बन्द भी करवा दिया । लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया । सहारनपुर में एक रवीन्द्र पाठक हैं, उन्होंने बी0 ए0 एम0 एस0 की परीक्षा में 67 प्रतिशत अंक पाये हैं, वह इन्टर्नशिप कर रहा था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । इसी तरह से एक कन्हैया पांडेय हैं, उनके खिलाफ कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं है । इसी तरह से एक सुरेश पांडेय हैं, गोरखपुर में जिला परिषद् के सदस्य हैं, उनके खिलाफ कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं है, उनको इस कानून के तहत बन्द कर दिया गया है । इस तरह से यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बाद भी इस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं । मुख्य मंत्री जी अपनी घोषणाओं को याद करें ।

श्री अध्यक्ष—

(नेता सदन के खड़े होने तथा श्री राम नरेश आदि कई सदस्यों के भी

खड़े होने पर) आप लोग बैठें मैंने माननीय नेता सदन को बुलाया है ।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, यह कोई चर्चा नहीं हो रही है कि सारे माननीय सदस्यों को आप बुलवायें । कोई बात अगर उठाई गयी औचित्य के सवाल पर तो आपने जिन माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया था, बुलवाया । अब पूरे हाउस को बुलवायेंगे तो यह चर्चा का विषय बनेगा । (व्यवधान) अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि जो निर्दोष है, जिनके खिलाफ कोई अपराध नहीं है या अपराध नहीं किये हैं, राजनैतिक लोग हैं, विरोधीदल के लोग हैं या हमारी पार्टी के लोग हैं, कार्यवाही नहीं होगी । अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में 517 लोगों को एंटीगैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है । इसकी मैं सूची मंगा रहा हूं जिनको इसमें बन्द किया गया है । उनके खिलाफ क्या-क्या धारायें हैं क्या-क्या अपराध दर्ज हैं ? मैं चाहता हूं कि अगर माननीय नेता विरोधीदल चाहेंगे तो जिस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी चाहेंगे, जब कभी चाहेंगे, मैं जानकारी करवा दूंगा । अगर कोई निर्दोष व्यक्ति होगा, मैं फिर कहता हूं जैसा मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ा गया तो उस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, छोड़ा नहीं जायेगा । आज भी कह रहा हूं ।

माननीय नेता विरोधीदल ने अभी सुबह एक दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में कहा । मैंने टेलीफोन पर पता लगाया फैक्ट यह है । साहब सिंह जो मेरठ में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको पकड़ा गया है । तो मैं उनको बताना चाहता हूं उनके खिलाफ जो धारायें दर्ज हैं, वह इस प्रकार हैं :—

अपराध संख्या 68/75 धारा 395 आई० पी० सी० दिनांक 13-3-75, दूसरी अपराध संख्या 258 धारा 120-ए, 124-ए 128 आई० पी० सी० 26/43 डी० आइ० आर० क्रिमिनल ला (एमेंडमेन्ट) एक्ट दिनांक 4-8-75 इसी प्रकार अपराध संख्या 424/79 अण्डर सेक्शन 147/323, 336, 427, दिनांक 30-2-79, (व्यवधान) मैं बता रहा हूं जब आपकी सरकार थी । फिर अपराध संख्या 469/77 धारा 147/148 342 आइ० पी० सी०, दिनांक 27-10-77 । जब आपकी सरकार थी ।

अपराध संख्या 2 ए/80 धारा 147/148 आइ० पी० सी०, दिनांक 3-1-80 जब आपकी सरकार थी ।

इसी प्रकार धारा 107/116, दिनांक 28-1-86 तथा धारा 151/107/116, दिनांक 17-3-86 ।

तो जब आपकी सरकार थी उस वक्त के हैं । इसी प्रकार अनेक अपराध हैं । अभी जब बिजली कार्यालय गये, वहां पर झगड़ा हुआ, क्या-क्या कार्यवाही हुई तो यह सब अपराध दर्ज हैं । अब किसी व्यक्ति के बारे में कह देना कि निर्दोष पकड़ा गया है, कोई अच्छी बात नहीं है । 1975 से यह हिस्ट्री है । इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी चाहेंगे तो मैं जानकारी करा दूंगा । इस प्रकार जो आपने बताया है, हर व्यक्ति के बारे में । मैं बता दूंगा कि किस को कैसे पकड़ा जा रहा है और कैसे पकड़े गये हैं ? (व्यवधान) जहां तक श्री कल्याण सिंह का कहना है, तो आपको मालूम है कि अभी मेरठ में साम्प्रदायिक तनाव था, इसमें बहुत से लोग पकड़ गये हैं । इसलिये कि व्यवस्था गड़बड़ न होने पाये और अमन चैन कायम रहे । जहां कोई निर्दोष व्यक्ति पकड़े गये हैं, मैं उनकी एक-एक की रिपोर्ट मंगाऊंगा और छान-

बीन कराऊंगा और देखूंगा यदि निर्दोष को पकड़ा गया है तो जिसने पकड़ा है, उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा । इसलिये निर्दोष नहीं पकड़ा जायेगा । और कोई भी व्यक्ति राजनीति की आड़ लेकर अपराध करता है और कहे कि राजनैतिक आदमी को पकड़ रहे है तो मैं क्या कर सकता हूं ? इसलिये यह काम किया जायेगा ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो आपको भ्रम है, माननीय कल्यान सिंह, माननीय कौशिक जी को तो मैं हर व्यक्ति को आश्वस्त करना चाहता हूं कि छानबीन करके देखूंगा यदि कोई निर्दोष व्यक्ति को पकड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । जो अभी तक पकड़े गये है, जानकारी आप करा देंगे कि निर्दोष को पकड़ा गया है तो पकड़ने वाले के खिलाफ कार्यवाही करेंगे । लेकिन कह देना कि अपराध बढ़ रहे है, बन्दूक की नोक पर ठेके लिये जा रहे है, हरिजनों को तबाह किया जा रहा है, लोगों के मकान हड़पे जा रहे है, लूट की जा रही है, तो सरकार तमाशा देखती रहे । यह सरकार का काम नहीं है, इसलिये इन चीजों के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे और सही काम होगा । और कुंवर रेवती रमण सिंह अपने जिले में परेशान है । यदि कोई कार्यवाही नहीं होगी तो उन्हीं की परेशानी बढ़ेगी । इसलिये विरोधीदल के नेताओं और माननीय सदस्यों का हम आदर करना चाहते है और जब कभी कोई जानकारी देंगे तो उसमें जानकारी करके कार्यवाही की जायेगी और निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जब बोलने के लिए खड़े हुए तो मैं समझता था कि अपनी जानकारी के अनुसार भी वह कुछ बातें कहेंगे लेकिन वह नहीं कहीं और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता जो 1985 में चुनाव विधान सभा का लड़े थे बागपत से, श्री साहब सिंह और धारायें गिना दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कोई कलेक्टर या एस0 पी0 बिना आरोप के जेल भेज देगा । और वह 1975 की बात कह रहे है, 1976 और 1977 की बात कह रहे है । दूसरी बात रपट ही तो लिखी गयी है । तो केवल रपट धारा 395 में लिखी गयी श्री साहब सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा चला और कोई सजा हुई हो तो वह बता दें । इसीलिये कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता है, श्री महेन्द्र सिंह, उन्होंने कौन-कौन डकैती डाली है, यह बता दें ? यदि रपट लिखने पर ही इसमें बन्द किया जायेगा, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के अंदर, मंत्रिपरिषद् के अंदर कई एसे लोग है, जिनके खिलाफ एसी धारायें लिखी गयी है । यह धारा लगायेंगे । मैंने मुख्य मंत्री जी से पहले ही कहा था । मान्यवर, इसीलिए कहना नहीं चाहता । सूची आप प्रकाशित करा लो, तो यहां पर मंत्रिपरिषद् में भी एसे कई सदस्य है, जिनके खिलाफ एसी धाराएं लगाई गई है (व्यवधान) । मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन एक चेतराम नहीं है, कही ज्यादा है । क्या आप उनकी भेजवाओगे ? कहोगें तो उनके नाम भी बता दूंगा । संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी कहें तो मैं उनके नाम बता दूं, (व्यवधान) चाहते हो ? चाहते हो, तो बताए देता हूं । नाम चाहते है तो मैं गिना दूंगा । माननीय श्याम सूरत उपाध्याय, आप मेरे साथ बहुत रहे, आप पर एसी कौन सी धाराएं उस वक्त नहीं लगी ? इनसे पूछ लीजिए कि इन पर कौन-कौन धारा नहीं लगीं ? 302 को छोड़कर सभी धाराएं लगी है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल मैं आपसे अनुरोध करूंगा.... ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं मुख्य मंत्री जी से जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं । आप ऐसे हों डी0एम0 की रिपोर्ट और दरोगा की रिपोर्ट सही मानोंगे, तो सम्भव ही नहीं है कि आप नहीं दे देंगे । यह तो दरोगा ने रिपोर्ट लिखी है, उसके मातहत भेजी गई है, लेकिन वास्तविकता क्या है, यह आप जानें ? मंजूर अहमद, श्री कपूर साहब, श्री महेन्द्र सिंह और श्री साहब सिंह के बारे में और जो रेवती रमण सिंह जी ने नाम गिनाए हैं, उनके बारे में आप वास्तविकता जरा जान लें । आप इनके बारे में वास्तविकता स्वीकार करने के लिए तैयार रहें । यह बार-बार कहा है, आपकी कार्यपालिका मानने के लिए तैयार नहीं है, आपसे असहमति प्रकट कर रही है । सदन में केवल सूची गिरफ्तारियों की नहीं पूछी है, और किन-किन लोगों को आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, उनकी सूची क्या है ? वह भी आप बताएं । उनकी सूची क्या है, जिनको आप जेल भेज चुके हैं और जिनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो मंजूर साहब है, कपूर साहब है मेरठ के लोग हैं । यह जो वहां पर साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा, इसके पहले मेरठ में काफी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, उसके लिए प्रिकाशन लिया गया । इसलिए धाराओं की ऐसी कोई चीज नहीं है । यह रोकने के लिए किया गया है । यह ऐसी कोई चीज नहीं है । आपने देखा होगा कि इससे मेरठ में काफी राहत मिली है और साम्प्रदायिक तनाव आगे बढ़ने नहीं पाया ।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

माननीय नेता विरोधी दल ने मेरे बारे में कहा, धाराओं का जिक्र किया । जब मैं सोशलिट पार्टी में था, आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हुआ था, उस समय कुछ धाराएं लगी थीं (व्यवधान) लेकिन मेरे ऊपर क्रिमिनल काम करने की कोई धारा नहीं है । (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

इनके द्वारा स्वीकार हो गया । एक जिम्मेदार मंत्री मान रहे हैं । लोकतान्त्रिक लड़ाई लड़ते हुए धाराएं लगाई गई थीं, तमाम धाराएं ऐसी हमारे ऊपर भी लगी है । इमरजेन्सी में लगा दिया गया कि मैं रेल की पटरी उखाड़ रहा था या डाकखाना जला रहा था । ठेकेदारों की जो बात है, 20-21 मार्च को आपके ठेके हो चुके हैं । मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं पुनः सूची मंगा लें कि किन-किन को ठेके मिले हैं ?

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

21 मार्च को किन-किन के बिल पेमेन्ट हुए आप उनकी सूची मंगा लीजिए और देख लीजिये । मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि जिन्होंने पिछले साल ठेका लिया है । जो सबसे ज्यादा कुख्यात गुंडे है उनको सरकार और पुलिस हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करती है । बेईमान अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की आलोचना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 395 की रिपोर्ट है, आपने इस रिपोर्ट को सच मान लिया । आप बताये कि उनको कहां सजा हुयी है ? दरोगा की रिपोर्ट को आप सच मान लेते हैं । आपको इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था । साहब सिंह के बारे में आपने यह कहा तो वह जब विद्यार्थी थे, यूनियन के अध्यक्ष थे तो विद्यार्थियों के सवाल को लेकर पुलिस

से उनका झगड़ा हुआ और पुलिस ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिख दी और आपने कह दिया कि उनके खिलाफ 395 की रिपोर्ट है । वह हमारे बागपत से विधान सभा का चुनाव लड़ चुके हैं ।

इसी तरह से महेन्द्र सिंह, श्याम सिंह मंजूर अहमद, धरमपाल, मैंने ये जो नाम लिये हैं, उनको आप रिहा करें । आप एक श्वेतपत्र जारी कीजिये । आप केवल यहां पर घोषणा न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने दोनों पक्षों को सुना, यह नियम 300 के अंतर्गत आता नहीं है लिहाजा मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

(तत्पश्चात् विरोध पक्ष के बहुत से सदस्य "सदन के फ्लोर" पर आकर नारे लगाने लगे । जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री किरनपाल सिंह—

यह काला कानून वापस लो ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सभी सदस्य नारे लगाते रहे ।)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप लोग अपने स्थान पर जायं ।

(सभी सदस्य नारे लगाते रहे ।)

माननीय नेता विरोधी दल, कृपया अपने सदस्यों को नियंत्रित करें . . .

(निरन्तर नारे लगने से घोर व्यवधान उत्पन्न होने पर)

मैं 10 मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी । 1 बज कर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी)

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या-12 ।

(श्री सरदार सिंह, श्री शारदा प्रताप, श्री शारदानन्द अंचल, श्री औसान सिंह आदि कई लोकदल के सदस्य नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये तथा कुछ सदस्य कार्यवृत्त लेखक की मेज पर चढ़ कर नारे लगाने लगे, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 23—खेल विभाग, अनुदान संख्या 85—सांस्कृतिक कार्य विभाग, अनुदान संख्या 54—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 55—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या 56—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या 57—वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या 58—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या 59—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या **60—विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या 61—विधान सभा सचिवालय तथा अनुदान संख्या 62—विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)**

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23—खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परि-

व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,77,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,71,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,08,47,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,02,66,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,79,88,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 47,06,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 9,09,80,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,02,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60—विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,11,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने

वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,65,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23--खेल विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,77,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,71,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,08,47,03,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,02,66,19,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा

प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,79,88,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 47,06,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 9,09,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले पव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,02,20,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60—विधान परिषद् सचिवालय के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,11,27,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,65,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62—विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986

(घोर व्यवधान के मध्य)

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 को पुर:-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

विधेयक की प्रतियां बांट दी जायं ।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं)

(व्यवधान के मध्य)

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान के मध्य)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986

31 मार्च, 1987 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1986 कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्ष नाम

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित तिधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तंभ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 72,93,75,42,000 रुपये (केवल बहत्तर अरब, तिरानब्बे करोड़, पचहत्तर लाख, बयालिस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो । उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1986-87 के लिये 2,93,75,42,000 रुपये का निकाला जाना ।

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं । विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
			रु0	रु0	रु0
1	आबकारी विभाग	राजस्व	3,60,70,000	10,000	3,60,80,000
		पूंजी	..	..	..
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) ..	राजस्व	7,28,53,000	6,81,00,000	14,09,53,000
		पूंजी	31,52,00,000	3,26,85,000	34,78,85,000
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)	राजस्व	1,21,92,92,000	10,000	1,21,93,02,000
		पूंजी	9,25,19,000	..	9,25,19,000
4	उद्योग विभाग (खान और खनिज) ..	राजस्व	1,49,45,000	5,000	1,49,50,000
		पूंजी	3,50,00,000	..	3,50,00,000
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) ..	राजस्व	15,28,94,000	1,45,64,000	16,74,58,000
		पूंजी	5,04,31,000	1,15,67,000	6,19,98,000
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) ..	राजस्व	26,88,99,000	1,000	26,89,00,000
		पूंजी	3,05,41,000	..	3,05,41,000
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) ..	राजस्व	5,47,19,000	1,000	5,47,20,000
		पंजी	39,90,00,000	5,00,000	39,95,00,000

8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) ..	राजस्व	14,32,55,000	..	14,32,55,000
		पूंजी	50,05,000	..	50,05,000
9	उद्योग विभाग (नियत प्रोत्साहन)	राजस्व	14,55,000	..	14,55,000
		पूंजी	97,00,000	..	97,00,000
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	95,79,000	..	95,79,000
		पूंजी	2,86,90,01,000	..	2,86,90,01,000
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	12,37,37,000	6,30,000	12,43,67,000
		पूंजी	3,96,43,000	..	3,96,43,000
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) ..	राजस्व	76,31,84,000	2,12,000	76,33,96,000
		पूंजी	71,52,06,000	50,000	71,52,56 000
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ..	राजस्व	4,40,44,21,000	10,000	4,40,44,31,000
		पूंजी	7,25,53,000	..	7,25,53,000
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ..	राजस्व	49,5960,000	21,000	49,59,81,000
		पूंजी	2,00,000	..	2,00,000
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशु धन) ..	राजस्व	28,31,54,000	4,000	28,31,58,000
		पूंजी	..	..	..
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	3,27,89,000	4,21,000	3,32,10,000
		पूंजी	2,41,15,000	6,00,000	2,47,15,000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) ..	राजस्व	4,30,40,000	2,000	4,30,42,000
		पूंजी	1,000	..	1,000
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	10,60,57,000	5,37,40,000	15,97,97,000
		पूंजी	39,24,74,000	4,51,25,000	43,75,99,000
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	राजस्व	30,79,05,000	..	30,79,05,00
		पूंजी	4,76,00,000	..	4,76,00,00

अनुसूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
			रु0	रु0	रु0
20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	74,09,000	..	74,09,000
		पूंजी	..	..	..
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	..	1,48,15,000	1,48,15,000
		पूंजी	7,00,000	..	7,00,000
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	14,85,69,000	2,50,90,000	17,36,59,000
		पूंजी	6,45,11,40,000	45,00,50,000	6,90,11,90,000
23	खेल विभाग	राजस्व	2,77,92,000	..	2,77,92,000
		पूंजी	..	..	..
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	10,46,46,000	1,80,000	10,48,26,000
		पूंजी	6,00,00,000	4,86,000	6,04,86,000
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	14,34,51,000	12,84,50,000	27,10,01,000
		पूंजी	26,90,01,000	1,64,08,000	28,54,09,000
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	15,79,68,000	2,000	15,79,70,000
		पूंजी	2,000	..	2,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	2,67,69,55,000	43,13,000	2,68,12,68,000
		पूंजी	17,24,000	35,53,000	52,77,000
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	11,42,30,000	..	11,42,30,000
		पूंजी	..	..	..
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	13,55,82,000	..	13,55,82,000
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	30,10,000	..	30,10,000
		पूंजी	..	..	..
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	39,36,000	39,36,000
		पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	96,56,13,000	1,00,000	96,57,13,000
		पूंजी	..	..	..
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	12,46,11,000	1,000	12,46,12,000
		पूंजी	..	..	..
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	3,01,57,000	..	3,01,57,000
		पूंजी	..	..	..
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	26,93,65,000	25,000	26,93,90,000
		पूंजी	..	..	..
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	69,45,05,000	39,000	69,45,44,000
		पूंजी	40,01,000	..	40,01,000
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	53,92,29,000	5,000	53,92,34,000
		पूंजी	..	..	..

*भारित विनियोग से संबंधित क्रम-संख्या।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
			रु0	रु0	रु0
38	नागरिक उड्यन विभाग	राजस्व	2,20,24,000	..	2,20,24,000
		पूंजी	10,64,000	..	10,64,000
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	9,49,000	..	9,49,000
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	6,27,10,000	..	6,27,10,000
		पूंजी	25,000	..	25,000
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	2,03,63,000	..	2,03,63,000
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	27,72,32,000	3,80,26,000	31,52,58,000
		पूंजी	..	..	..
43	परिवहन विभाग	राजस्व	29,27,44,000	12,000	29,27,56,000
		पूंजी	2,000	..	2,000
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	75,79,000	..	75,79,000
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

45	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	25,09,000	..	25,09,000
		पूंजी	..	..	..
46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	27,14,78,000	2,000	27,14,80,000
		पूंजी	1,53,96,000	..	1,53,96,000
47	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	1,06,93,80,000	9,56,000	1,07,03,36,000
		पूंजी	57,77,38,000	5,30,000	57,82,68,000
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	26,83,000	2,73,000	29,56,000
		पूंजी	..	..	..
49	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	25,26,94,000	25,000	25,27,19,000
		पूंजी	..	..	..
50	राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत)	राजस्व	11,50,62,000	16,42,64,000	27,93,26,000
		पूंजी	1,41,23,000	21,78,000	1,63,01,000
51	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	93,05,75,000	1,39,77,000	94,45,52,000
		पूंजी	73,000	3,17,02,000	3,17,75,000
52	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	49,21,000	..	49,21,000
		पूंजी	1,50,000	..	1,50,000
53	वन विभाग	राजस्व	42,53,39,000	20,000	42,53,59,000
		पूंजी	19,56,000	..	19,56,000
54	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,00,02,03,000	5,86,35,20,000	6,86,37,23,000
		पूंजी	8,45,00,000	10,93,93,55,000	11,02,38,55,000
55	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	राजस्व	1,02,66,19,000	13,07,000	1,02,79,26,000
		पूंजी	..	..	..

अनुसूची—(क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
			रु0	रु0	रु0
56	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	5,03,60,000	..	5,03,60,000
		पूंजी	76,28,000	..	76,28,000
57	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	47,06,99,000	..	47,06,99,000
		पूंजी	..	..	..
58	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	9,06,05,000	4,000	9,06,09,000
		पूंजी	3,75,000	..	3,75,000
59	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	2,02,20,000	7,58,95,000	9,61,15,000
		पूंजी	..	..	..
60	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	1,11,27,000	3,19,000	1,14,46,000
		पूंजी	..	..	..
61	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	3,65,86,000	3,95,000	3,69,81,000
		पूंजी	..	..	..
62	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	..	..	
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

63	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	4,79,44,000	..	4,79,44,000
		पूंजी	..	..	..
64	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	71,31,32,000	1,000	71,31,33,000
		पूंजी	..	..	..
65	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	2,90,93,26,000	4,00,06,000	2,94,93,32,000
		पूंजी	80,00,000	..	8,00,000
66	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	4,01,93,29,000	10,00,01,000	4,11,93,30,000
		पूंजी	..	..	..
67	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	10,44,83,000	..	10,44,83,000
		पूंजी	..	..	..
68	शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	1,70,96,000	..	1,70,96,000
		पूंजी	..	..	..
69	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	18,29,82,000	3,000	18,29,85,000
		पूंजी	..	..	..
70	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	10,92,86,000	20,000	10,93,06,000
		पूंजी	..	..	..
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	52,15,90,000	5,000	52,15,95,000
		पूंजी	..	..	..
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	5,14,60,000	17,000	5,14,77,000
		पूंजी	18,86,18,000	1,00,000	18,87,18,000
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	3,62,87,000	16,43,000	3,79,30,000
		पूंजी	5,21,56,000	50,000	5,22,06,000
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	61,50,000	20,000	61,70,000
		पूंजी	22,95,70,000	3,25,000	22,98,95,000

अनुसूची (क्रजशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
			रु0	रु0	रु0
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	97,83,80,000	10,000	97,83,90,000
		पूंजी	1,44,81,15,000	50,000	1,44,81,65,000
76	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	47,07,95,000	10,000	47,08,05,000
		पूंजी	57,49,57,000	..	57,49,57,000
77	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	2,90,25,29,000	62,81,000	2,90,88,10,000
		पूंजी	3,68,46,43,000	1,25,51,000	3,69,71,94,000
78	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	26,97,000	4,000	27,01,000
		पूंजी	1,000	..	1,000
79	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	18,21,43,000	40,000	18,21,83,000
		पूंजो	..	..	..
80	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	86,44,000	..	86,44,000
		पूंजी	..	..	..
81	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	3,40,72,000	4,000	3,40,76,000
		पूंजी	5,00,000	..	5,00,000
82	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	16,28,99,000	4,000	16,29,03,000
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

83	सतर्कता विभाग	राजस्व	1,84,23,000	9,36,000	1,93,59,000
		पूंजी	..	..	..
84	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	60,16,000	5,000	60,21,000
		पूंजी	13,73,000	50,000	14,23,000
85	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	1,71,34,000	2,000	1,71,36,000
		पूंजी	..	..	..
86	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	8,03,000	1,000	8,04,000
		पूंजी	..	..	..
87	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	14,40,000	..	14,40,000
		पूंजी	..	..	..
88	सूचना विभाग	राजस्व	4,33,05,000	..	4,33,05,000
		पूंजी	..	..	..
89	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	75,45,000	2,000	75,47,000
		पूंजी	..	..	..
90	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	1,29,32,55,000	4,000	1,29,32,59,000
		पूंजी	..	..	..
	योग	राजस्व	3 ,99,11,06,000	6,62,27,01,000	42,61,38,07,000
		पूंजी	18,77,58,20,000	11,54,79,15,000	30,32,37,35,000
	कुल योग ..		54,76,69,26,000	18,17,06,16,000	72,93,75,42,000

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, 3, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1986 पारित किया जाय ?

(घोर व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं 1 अप्रैल को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 44 मिनट पर मंगलवार, 1 अप्रैल 1986 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
24 मार्च, 1986

नत्थी 'क'

(देखिए अ0 सू0 तारा0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 3 पर ।)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों विशेषकर आर्थिक दृष्टि से कमजोर भूमिहीन खेतिहर मजदूर तथा ग्रामीण शिल्पकारों की विषम आवासीय समस्या को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् की स्थापना की गयी है । परिषद् के कार्य संचालन हेतु उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम 1983 और उसके अधीन उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (ऋण व अग्रिम देना) नियमावली 1984 का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया है । परिषद् के कार्यकलापों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु नियमित बोर्ड का गठन किया गया है । परिषद् की अंतिम बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि निर्बल वर्ग की श्रेणी में आने वाले ग्रामीणों को 9000.00 रुपये तक की लागत के मकान के लिए हडको के अनुसार समय-समय पर अनुदान/ऋण उपलब्ध कराया जायगा । फिलहाल इस वर्ग के लोगों को तीन हजार रु0 तक का ऋण अनुमन्य है । इसी प्रकार अल्प आय वर्ग के लिए 24500.00 रुपये की लागत के मकान बनाने हेतु कुल लागत का 70 प्रतिशत या 18000.00 रुपया (ऋण (जो भी कम हो) दिया जायेगा और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए 33500.00 रुपये के लागत के मकान बनाने हेतु कुल लागत का 60 प्रतिशत अथवा 25000.00 रुपया (जो भी कम हो) उपलब्ध कराया जायेगा । हडको द्वारा निर्बल वर्ग को दिये जाने वाला ऋण 6 प्रतिशत ब्याज की दर से 11 वर्षों में वसूल किया जायगा । अल्प आय वर्ग और मध्यम आग वर्ग के लिये ऋण 10 प्रतिशत की दर से 20 वर्षों तक में वसूल किया जायेगा ।

फिलहाल भारत सरकार की ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत बनाये जा रहे अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त किए गये बंधुआ श्रमिकों के आवासों की योजना का संचालन/कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण ग्रामीण आवास परिषद् के माध्यम से कराया जा रहा है और इस हेतु परिषद् के मुख्यालय एवं मण्डल स्तर पर संयुक्त/उप विकास आयुक्तों के कार्यालय में एक तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना कर दी गयी है, जो मुख्यालय पर ग्रामीण आवास आयुक्त तथा मण्डलों में संयुक्त/उप विकास आयुक्त, (जो पदेन अति0/संयुक्त ग्रामीण आवास आयुक्त घोषित किए जा चुके हैं) के नियंत्रण में कार्य करेगा ।

परिषद् के ऋण विनियमों का हिन्दी रूपान्तर कराया जा रहा है । हिन्दी रूपान्तर हो जाने के बाद उसे गजट में प्रकाशित किया जायेगा । तदुपरांत ऋण के प्रार्थना-पत्र विकास खण्डों के माध्यम से एकत्र किये जायेंगे और ऋण की स्वीकृति के बाद उसके वितरण की व्यवस्था की जायेगी ।

परिषद् को इस समय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत गरीबी की सीमा के नीचे के अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के लिए प्रतिवर्ष प्रति विकास खण्ड 20-22 आवास बनाने की योजना के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है ।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारां0 प्र0 सं0 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

संलग्नक

श्री अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 7 नवम्बर, 1985 के साथ संलग्न श्री अरुण कुमार त्रिपाठी के पत्र दिनांक 5 नवम्बर, 1985 में रतन-सेन डिग्री कालेज, बांसी, बस्ती के लगाये गये मुख्य आरोप

(1) महाविद्यालय में बी0ए0 और बी0 एड0 कक्षाओं के प्रवेश में 500 से लेकर 15000 रु0 तक रिश्वत लिया जाता है ।

(2) छात्रों की काशनमनी कभी भी वापस नहीं की जाती है ।

(3) महाविद्यालय में शिक्षण शुल्क तथा हरिजन छात्रवृत्ति जैसी सरकारी निधियों में काफी गोलमाल किया गया है ।

(4) प्राचार्य द्वारा बी0एड0 कक्षाओं में रिश्वत लेकर फर्जी अंकपत्रों के आधार पर प्रवेश दिलाया जाता है ।

(5) गैर प्रान्त का गैर जिला के छात्रों से रिश्वत लेकर फर्जी अंकपत्रों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है ।

(6) बी0 ए0 के प्रवेश में 500 रु0 रिश्वत तथा नकल कराने के लिए 500 रु0 प्रति छात्र रिश्वत ली जाती है ।

(7) इस कालेज का कोई पंजीकृत बाइलाज नहीं है । गलत सूचना देकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से लाखों रु0 अनुदान लेकर हड़प कर लिया गया है ।

(8) वित्तीय अनियमितताओं को छिपाने के लिये 1978 में फर्जी अग्निकाण्ड दिखाया गया ।

(9) भविष्य निधि तथा वेतन संदाय खाता में भारी गोलमाल किया गया है । वेतन संदाय खाते में 2,41,000 रु0 कम जमा किया गया है ।

(10) महाविद्यालय की सम्पत्ति को प्रबंधक के नाम स्थानान्तरित किया गया है ।

(11) प्रबन्ध समिति में बहुमत बनाने के लिए अध्यापकों के वरीयता क्रम में हेर-फेर किया जाता है ।

पी0 एस0 यू0 पी0—5 वि0 स0—11-7-1986—813 प्रतियां---लाइनो